

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 जून 2011—ज्येष्ठ 20, शक 1933

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 मई 2011

क्र. ई -5-454-आयएस-लीव-5-1.—(1) श्री बी. पी. सिंह, आयएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 24 मई 2011 से दिनांक 28 मई 2011 तक पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ 29 मई 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री बी. पी. सिंह की अवकाश अवधि में श्री आई. एस. दाणी, आयएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, उच्च शिक्षा विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री बी. पी. सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री बी. पी. सिंह द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आई. एस. दाणी, उच्च शिक्षा विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री बी. पी. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. पी. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

1993

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 अप्रैल 2011

क्र. एफ-9-4-2005-ब-सोलह.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (34 सन् 1948) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रानिक, भोपाल, मध्यप्रदेश को उक्त अधिनियम के प्रावधानों से दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर 2010 तक की अवधि के लिये इस शर्त पर छूट प्रदान करता है कि आवेदित संस्था द्वारा अपने विद्यमान चिकित्सकीय सुविधाओं का स्तर यथावत बनाए रखेगा तथा यथासंभव उसे और अधिक उन्नत करेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
खेमराज माहौर, अवर सचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता

संरक्षण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2011

क्र. एफ-5-8-2007-उन्तीस-2.—उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 की सं. 68) की धारा 10 की उपधारा (1-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों, जिनकी सेवाएं विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा इस विभाग को प्रतिनियुक्ति पर सौंपी गई हैं को चयन समिति की अनुशंसा पर अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम के पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रतिनियुक्ति पर उनके नाम के सामने दर्शाये गये स्थान पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

| अनु. क्र. | न्यायिक अधिकारियों का नाम | पदस्थापना स्थान |
|-----------|---|-------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | श्रीमती पारो रायजादा, विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (अत्याचार निवारण अधिनियम) रीवा. | अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, सागर. |
| 2. | श्री मोहम्मद शमीम, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्र. 6 विद्युत् अधिनियम, 2003, इन्दौर. | अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, भोपाल. |

(1) (2) (3)

3. श्री श्यामकान्त कुलकर्णी, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्र. 7, विद्युत् अधिनियम, 2003, इन्दौर.

अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, छिन्दवाड़ा.

4. श्री रवि कुमार नायक, प्रथम अपर, जिला न्यायाधीश, बड़वानी.

अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, सिवनी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत केसरी, सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2011

क्र. एफ-5-8-2007-उन्तीस-2.—उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 की सं. 68) की धारा 10 की उपधारा (1-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों, जिनकी सेवाएं विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा इस विभाग को प्रतिनियुक्ति पर सौंपी गई हैं, को चयन समिति की अनुशंसा पर अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम के पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रतिनियुक्ति पर उनके नाम के सामने दर्शाये गये स्थान पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

| क्र. | न्यायिक अधिकारी का नाम | पदस्थापना स्थान |
|------|---|------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | श्री राम प्रकाश शरण, अध्यक्ष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, सिवनी. | अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, सतना. |
| 2. | श्री जगत मोहन चतुर्वेदी, प्रथम अतिरिक्त, जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश, गुना. | अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, रीवा. |

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2011

क्र. एफ-5-25-97-उन्तीस-2.—राज्य शासन इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-25-97-उन्तीस-2, दिनांक 29 अक्टूबर 2010 द्वारा श्री महेन्द्र सिंह पंवार को उपभोक्ता संरक्षण परिषद् में अशासकीय सदस्य मनोनीत किया गया था.

श्री महेन्द्र सिंह पंवार ने निजी व्यस्तता और व्यक्तिगत समय अभाव के कारण त्याग-पत्र स्वीकृत करने का अनुरोध किया है। अतः श्री महेन्द्र सिंह पंवार, उपभोक्ता संरक्षण परिषद्, मध्यप्रदेश को अशासकीय सदस्य के पद से दिया गया त्याग-पत्र स्वीकृत किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ललित दाहिमा, उपसचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 मई 2011

क्र. एफ-2-14-2011-तेरह.—राज्य शासन द्वारा इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ-2-3-10-तेरह, दिनांक 7 जनवरी 2011 में मध्यप्रदेश विद्युत् निरीक्षकालय के निम्नानुसार स्थापित नवीन कार्यालयों हेतु बुक ऑफ फाईनन्सिय पावर्स 1995 के भाग-1, सेक्शन 1 क्रमांक 3 अनुसार उनके समक्ष दर्शाये अधिकारियों को आहरण एवं संवितरण अधिकारी घोषित किया जाता है:—

| क्र. | नवीन कार्यालय | आहरण एवं संवितरण अधिकारी |
|------|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | वृत्त-उज्जैन एवं रीवा | अधीक्षण यंत्री (वि.सु.) एवं उपमुख्य विद्युत् निरीक्षक, उज्जैन एवं रीवा. |
| 2. | संभाग-शहडोल, सागर, होशंगाबाद एवं गुना. | कार्यपालन यंत्री (वि.सु.) एवं संभागीय विद्युत् निरीक्षक, शहडोल, सागर, होशंगाबाद एवं गुना. |
| 3. | उपसंभाग-बड़वानी झाबुआ, सिंगरोली, कटनी, मण्डला, दमोह, टीकमगढ़, विदिशा, राजगढ़, हरदा, अशोक नगर एवं शिवपुरी. | सहायक यंत्री (वि.सु.) एवं सहायक विद्युत् निरीक्षक, बड़वानी, झाबुआ, सिंगरोली, कटनी, मण्डला, दमोह, टीकमगढ़, विदिशा, राजगढ़, हरदा, अशोक नगर एवं शिवपुरी. |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. गुप्ता, अपर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 24 मई 2011

फा. 3(बी) 5-2011-इक्कीस-ब(एक).—मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा श्री नितिन कुमरे, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग 2, (प्रवेश स्तर) अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा की परिवीक्षाकाल के दौरान उनके परिवीक्षा में रहते हुए आचरण एवं प्रदर्शन के आधार पर उनका कार्य असंतोषजनक निर्धारित करते हुए उनकी सेवाएं समाप्त किए जाने का निर्णय मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय की प्रशासनिक फुल कोर्ट मीटिंग दिनांक 21 मई 2011 में लिया गया है।

और मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय द्वारा मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 1994 के नियम 11(सी) के अन्तर्गत यह अनुशंसा की गई है कि श्री नितिन कुमरे, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा (परिवीक्षाधीन) की सेवाएं समाप्त की जाएं।

अतः, मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए, एतद्द्वारा, श्री नितिन कुमरे, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, (प्रवेश स्तर) अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा (परिवीक्षाधीन) की मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 1994 के नियम 11(सी) सहपठित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8(4) के अन्तर्गत श्री नितिन कुमरे, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, (प्रवेश स्तर) अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा (परिवीक्षाधीन) की सेवाएं समाप्त करता है।

यह आदेश श्री नितिन कुमरे, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, (प्रवेश स्तर) अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा (परिवीक्षाधीन) पर निर्वाह होते ही प्रभावशील हो जावेगा।

भोपाल, दिनांक 28 मई 2011

फा. 3254-प्रस-विधि-2011-इक्कीस-ब(एक).—श्री आर. के. पाण्डे, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी वर्तमान में जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सतर्कता), जबलपुर की सेवाएं, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से मध्यप्रदेश विधान सभा, सचिवालय को सौंपी जाती हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. मिश्रा, प्रमुख सचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 मई 2011

क्र. डी-15-06-2011-चौदह-3.—मध्यप्रदेश, कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24, सन् 1973) की धारा 69 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-15-06-2011-चौदह-3, भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2011 से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग/ प्रसंस्करणकर्ता को मध्यप्रदेश खाद्य प्रसंस्करण नीति 2008 एवं मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति 2010 के प्रावधानों के अनुरूप विनिर्दिष्ट निबंधनों एवं शर्तों के अधीन मण्डी फीस से भुगतान में छूट दी गई है।

मध्यप्रदेश, कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24, सन् 1973) की धारा 69 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिसूचना में संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की “शर्त क्रमांक (3)” को विलोपित कर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्:—

“शर्त क्रमांक (3)—मध्यप्रदेश उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा अधिसूचित फूड पार्क में स्थापित उपरोक्त शर्त (2) में वर्णित अनुज्ञप्तिधारी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों जिनके द्वारा प्लांट एवं मशीनरी में रुपये 50.00 लाख से ज्यादा का निवेश किया हो को राज्य के किसी भी मण्डी क्षेत्र में क्रय की गई या राज्य के बाहर से किसी मण्डी क्षेत्र में लायी गयी अधिसूचित कृषि उपज पर मण्डी फीस से छूट प्राप्त होगी. परन्तु “गेहूँ” आधारित खाद्य प्रसंस्करण इकाई जिसके द्वारा प्लांट एवं मशीनरी में रुपये 50.00 लाख से ज्यादा का निवेश किया हो को केवल राज्य के किसी भी मण्डी क्षेत्र में क्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज पर ही मण्डी फीस से छूट प्राप्त होगी.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 26 मई 2011

क्र. डी-15-02-2010-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 26 मई 2011 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

Bhopal, the 26th May 2011

No. D-15-06-2011-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 69 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), State Government, as provided in the Madhya Pradesh Food Processing Policy 2008 and Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy 2010, have exempted Food Processing Industry/ Processor from payment of market fees payable under the said Act as per the terms and conditions specified in this department's notification No. D-15-06-2011-XIV-3, dated 2nd February 2011.

In exercise of powers conferred by sub-section (1) & (2) of Section 69 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby makes the following amendment in this Department's said notification, namely:—

In the said notification “Condition Number- (3)” is rescinded and shall be substituted by the following, that is;

“Condition Number-(3)—Food Processing Industry listed in condition (2) above, which have been established in the Food Parks, notified by the Madhya Pradesh Horticulture & Food Processing Department, with the investment in Plant and Machinery of above Rs. 50 Lakh, would be considered for exemption from payment of mandi Fee on the notified agricultural produce purchased within any market area of the state and or brought into any market area from out of state. However, “wheat” based Food Processing Industry with the investment in Plant and Machinery of above Rs. 50 Lakh would be considered only for exemption from payment of mandi Fee on the notified agricultural produce purchased within any market area of the State.”

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
AJAY SINGH GANGWAR, Dy. Secy.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 मई 2011

क्र. एफ-1(ए) 26-92-ब-2-दो.—श्री एम. आर. आसूदानी, भापुरसे, पुलिस महानिरीक्षक (दूरसंचार), भोपाल को दिनांक 30 मई से 17 जून 2011 तक उन्नीस दिवस अर्जित अवकाश,

दिनांक 29 मई एवं 18, 19 जून 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए, राज्य शासन, द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 में गृह नगर यात्रा के बदले में उत्तर पूर्वी राज्यों की यात्रा की परिवर्तित अवकाश यात्रा सुविधा की पात्रता के तहत सपरिवार "पूर्व शिलांग" (मेघालय) परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति दी जाती है:—

- | | |
|--------------------------|--------|
| 1. श्री एम. आर. आसूदानी | स्वयं |
| 2. श्रीमती भारती आसूदानी | पत्नी |
| 3. कु. आकांक्षा आसूदानी | पुत्री |

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री एम. आर. आसूदानी, भापुसे को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/ समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे।

(3) उक्त अवकाश अवधि में श्री एम. आर. आसूदानी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (दूरसंचार), भोपाल का कार्य श्री आर. के. मिश्रा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, राज्य सायबर पुलिस, पु. मु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(4) अवकाश से लौटने पर श्री एम. आर. आसूदानी, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (दूरसंचार), भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(5) श्री एम. आर. आसूदानी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (दूरसंचार), भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (3) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(6) अवकाशकाल में श्री एम. आर. आसूदानी, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. आर. आसूदानी, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1(ए) 154-93-ब-2-दो.—श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इन्दौर को The Second Course of Phase-IV Mid Career Training Programme में दिनांक 16 मई से 24 जून 2011 तक राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में एवं दिनांक 27 जून से 8 जुलाई 2011 तक केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यू. के. में प्रशिक्षण उपरांत दिनांक 11 से 15 जुलाई 2011 तक कुल पांच दिवस का अर्जित अवकाश (Ex India)

दिनांक 9, 10 एवं 16, 17 जुलाई 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है:—

1. विदेश में स्वास्थ्य/ चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे, राज्य शासन नहीं।
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे।

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इन्दौर का कार्य श्री पवन श्रीवास्तव, भापुसे, उपपुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर, श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थापान्न वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) अवकाशकाल में श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(5) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1(ए) 155-93-ब-2-दो.—श्री राजेश गुप्ता, भापुसे, उपपुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता, पु.मु., भोपाल को The Second Course of Phase-IV Mid Career Training Programme में दिनांक 16 मई से 24 जून 2011 तक राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में एवं दिनांक 27 जून से 8 जुलाई 2011 तक केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यू. के. में प्रशिक्षण उपरांत दिनांक 11 से 15 जुलाई 2011 तक कुल छः दिवस का अर्जित अवकाश (Ex India) दिनांक 9, 10 एवं 16, 17 जुलाई 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है:—

1. विदेश में स्वास्थ्य/ चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे, राज्य शासन नहीं।
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे।

(3) अवकाश से लौटने पर, श्री राजेश गुप्ता, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थापान्न उपपुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता, पु.मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(5) अवकाशकाल में श्री राजेश गुप्ता, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश गुप्ता, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1(ए)-244-96-ब-2-दो.—श्री ए. के. सोनी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (कानून व्यवस्था/ सुरक्षा) पु.मु., भोपाल को दिनांक 1 से 10 जून 2011 तक दस दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 11 एवं 12 जून 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए, राज्य शासन, द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 में भारत में कहीं भी यात्रा सुविधा की पात्रता के तहत सपरिवार “श्रीनगर” (जम्मू एवं कश्मीर) परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति दी जाती है:—

| | |
|-------------------------|-------|
| 1. श्री अशोक कुमार सोनी | स्वयं |
| 2. श्रीमती सैलजा सोनी | पत्नी |
| 3. मेहुल सोनी | पुत्र |
| 4. कनिष्क सोनी | पुत्र |
| 5. कुशाग्र सोनी | पुत्र |

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री ए. के. सोनी, भापुसे को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे।

(3) उक्त अवकाश अवधि में श्री ए. के. सोनी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (कानून व्यवस्था/सुरक्षा), पु. मु., भोपाल का कार्य श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, विशेष अभियान, गुप्तवार्ता पु. मु. भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(4) अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. सोनी, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (कानून व्यवस्था/सुरक्षा), पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(5) श्री ए. के. सोनी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (कानून व्यवस्था/सुरक्षा), पु. मु., भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (3) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(6) अवकाशकाल में श्री ए. के. सोनी, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए. के. सोनी, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 1 जून 2011

क्र. एफ 1(ए)-31-2007-ब-2-दो.—श्री के. सी. जैन, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, गुना, मध्यप्रदेश को पुलिस मुख्यालय के आदेश दिनांक 12 मई 2011 द्वारा दिनांक 27 मई से 3 जून 2011 तक सात दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 29 मई 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया गया है। राज्य शासन द्वारा उक्त अवकाश अवधि में उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 में गृह नगर यात्रा के बदले में भारत में कहीं भी यात्रा सुविधा की पात्रता के तहत सपरिवार “जम्मू कश्मीर” (वैष्णोदेवी) परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति दी जाती है :—

| | |
|------------------------|--------|
| 1. श्री के. सी. जैन | स्वयं |
| 2. श्रीमती राजश्री जैन | पत्नी |
| 3. कर्तव्य जैन | पुत्र |
| 4. कृति जैन | पुत्री |

भोपाल, दिनांक 3 जून 2011

क्र. एफ 1(ए)-55-94-ब-2-दो.—श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (सर्तकता), अ. अ. वि., पु. मु., भोपाल को दिनांक 25 जून से 8 जुलाई 2011 तक चौदह दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 9 एवं 10 जुलाई 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुये राज्य शासन द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 में गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की सुविधा की पात्रता के तहत सपरिवार, “नुब्रा वेली” (जम्मू एवं कश्मीर) परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति दी जाती है :—

| | |
|---------------------------|-------|
| 1. श्री बी. बी. एस. ठाकुर | स्वयं |
| 2. श्रीमती दुर्गा ठाकुर | पत्नी |
| 3. श्री राहुल ठाकुर | पुत्र |
| 4. श्री गौरव ठाकुर | पुत्र |

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे।

(3) उक्त अवकाश अवधि में श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (सर्तकता), अ. अ. वि., पु. मु., भोपाल का

कार्य श्री के. एन. तिवारी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, अ. अ. वि., पु. मु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(4) अवकाश से लौटने पर श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (सर्तकता), अ. अ. वि., पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(5) श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (सर्तकता), अ. अ. वि., पु. मु., भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (3) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(6) अवकाशकाल में श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1(ए)-210-96-ब-2-दो.—श्री ए. साई मनोहर, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक (प्रशा.), पु. मु., भोपाल को The Second Course of Phase-IV Mid Career Training Programme में प्रशिक्षण हेतु दिनांक 16 मई 2011 से 24 जून 2011 तक राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में एवं दिनांक 27 जून 2011 से 8 जुलाई 2011 तक कुल बारह दिवस यू. के. लंदन में प्रशिक्षण उपरान्त दिनांक 11 से 15 जुलाई 2011 तक कुल पाँच दिवस का अर्जित अवकाश (Ex India) दिनांक 9, 10 एवं 16, 17 जुलाई 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है :—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे, राज्य शासन नहीं.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई (Assignment) नहीं लेंगे.

(2) अवकाश से लौटने पर, श्री ए. साई, मनोहर, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक (प्रशा.), पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री ए. साई मनोहर, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है यदि श्री ए. साई मनोहर, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते हैं तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1(ए)-268-86-ब-2-दो.—श्री राजेन्द्र कुमार, भापुसे, अति. पुलिस महानिरीक्षक (प्रशि.) पु. मु., भोपाल को दिनांक 13 से 22 जून 2011 तक दस दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 11 एवं 12 जून 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुये राज्य शासन द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 में भारत भ्रमण की सुविधा की पात्रता के तहत सपरिवार “नुब्राह वेली” (लेह लद्दाख) परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति दी जाती है :—

- | | |
|------------------------------------|--------|
| 1. श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव | स्वयं |
| 2. डॉ. शुचि श्रीवास्तव | पत्नी |
| 3. सुकृति श्रीवास्तव | पुत्री |

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री राजेन्द्र कुमार, भापुसे को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.

(3) उक्त अवकाश अवधि में श्री राजेन्द्र कुमार, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (प्रशि.), पु. मु., भोपाल का कार्य श्री ए. के. श्रीवास्तव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (प्रशि.), पु. मु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(4) अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र कुमार, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक (प्रशि.), पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(5) श्री राजेन्द्र कुमार, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (प्रशि.), पु. मु., भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (3) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(6) अवकाशकाल में श्री राजेन्द्र कुमार, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेन्द्र कुमार, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक दास, प्रमुख सचिव.

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल 2011

क्र. एफ 19-4-10-बारह-1.—खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 75 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश द्वारा एफ. एस. 2009-2010 से 2011-12 तक के पूर्वक्षणे कार्य एवं भूवैज्ञानिक मानचित्रीकरण के लिये निम्नलिखित क्षेत्र अधिसूचित करती है. जिनके ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

| खनिज | जिला | क्षेत्र | अधिसूचना की कालावधि | सर्वे आफ इण्डिया का टोपोशीट क्रमांक | देशांश | अक्षांश |
|--|--------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| डोलोमाईट (औद्योगिक उपयोगिता जानने हेतु पूर्वक्षण) | छतरपुर | बाजना | 03 वर्ष | 54 पी/7 खण्ड (ए) खण्ड (बी) | 79°14' : 79°17' 79° 19' 30'' : 79° 24' 10'' | 24° 25' : 24°30' 24° 24' 30'' : 24° 26' 30'' |
| चूनापत्थर (विभिन्न श्रेणी हेतु पूर्वक्षण) | सतना | अमरपाटन तहसील का डिथोरा क्षेत्र | 03 वर्ष | 63 एच/3 | 81°05' : 81°15' | 24° 20' : 24°30' |

No. 19-4-10-XII-1.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 75 of the Mineral Concession Rules, 1960, the state Government, here by notifies the following areas for Prospecting & Geological mapping by Directorate of Geology and Mining Govt. of Madhya Pradesh for the F. S. 2009-2010 to 2011-12.

The details are as under.—

| Mineral | District | Area | Period of Notification | Survey of India Toposeet No. | Longitude | Latitude |
|--|------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Dolomite (Prospecting to assess industrial utility) | Chhatarpur | Bajna | 03 years | 54 P/7 Block (A) Block (B) | 79° 14' : 79° 17' 79° 19' 30" : 79° 24' 10" | 24° 25' : 24° 30' 24° 24' 30" : 26' 30" |
| Limestone (Prospecting of various grade) | Satna | Dithora area of Amarpatan tehsil | 03 years | 63 H/3 | 81° 05' : 81° 15' | 24° 20' : 24° 30' |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. तोमर, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2011

क्र. 3(ए)-2-2006-इक्कीस-ब-(एक).—राज्य शासन वर्ष 2012 में अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप निम्नलिखित न्यायिक सेवा के अधिकारियों को कंडिका 5 में अंकित दिनांक से सेवानिवृत्त किये जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है :—

| क्रमांक | न्यायिक अधिकारी का नाम/पद | जन्मतिथि दिनांक | अधिवार्षिकीय आयुपूर्ण करने की अवधि | सेवानिवृत्ति दिनांक |
|---------|--|-----------------|------------------------------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | श्री जसवंत सिंह क्षत्रिय, जिला एवं/वि. न्याया., डिंडोरी | 4-1-1952 | 3-1-2012 | 31-1-2012 |
| 2 | श्री नवलकिशोर गर्ग, प्रधान न्याया. कुटुम्ब न्याया., जबलपुर | 5-1-1952 | 4-1-2012 | 31-1-2012 |
| 3 | श्री किशोरीलाल बोरासी, अपर जिला न्याया. फा. ट्रेक कोर्ट, इन्दौर. | 6-1-1952 | 5-1-2012 | 31-1-2012 |
| 4 | श्री लक्ष्मण पवैया, अपर जिला न्याया., भिण्ड. | 3-2-1952 | 2-2-2012 | 28-2-2012 |
| 5 | डॉ. अनिल कुमार ठाकरे, अति. न्याया. कुटुम्ब न्या. जबलपुर. | 9-2-1952 | 8-2-2012 | 28-2-2012 |
| 6 | श्री लालजी प्रसाद शर्मा, अध्यक्ष, म. प्र. रा. उप. फोरम, होशंगाबाद. | 4-3-1952 | 3-3-2012 | 31-3-2012 |
| 7 | श्री जगदीश प्रसाद पाराशर, जिला न्यायाधीश, शहडोल. | 8-3-1952 | 7-3-2012 | 31-3-2012 |
| 8 | श्री करनसिंह भंडारी, अध्यक्ष, म. प्र. रा. उप फोरम, रतलाम. | 2-4-1952 | 1-4-2012 | 30-4-2012 |
| 9 | श्री ओमप्रकाश (जू.) दुबे, जिला न्याया., हरदा. | 10-5-1952 | 9-5-2012 | 31-5-2012 |
| 10 | श्री सुधीर कुमार अवस्थी, अपर जिला न्याया./विशेष न्याया. विद्युत अधि., मगोली. | 10-5-1952 | 9-5-2012 | 31-5-2012 |
| 11 | श्री नरसिंहदास पटले प्रधान न्याया. कुटुम्ब न्याया., टीकमगढ़. | 11-5-1952 | 10-5-2012 | 31-5-2012 |
| 12 | श्रीमती आशा भटनागर प्रधान न्याया. कुटुम्ब न्याया., उज्जैन. | 12-5-1952 | 11-5-2012 | 31-5-2012 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-----|--|-----------|------------|------------|
| 13 | श्रीमती चंद्रकांता गर्ग रजि. ने. लां. इन्स्टी, भोपाल. | 29-6-1952 | 28-6-2012 | 30-6-2012 |
| 14 | श्री शिव नारायण द्विवेदी, जिला न्यायाधीश, मुँरैना. | 1-7-1952 | 30-6-2012 | 30-6-2012 |
| 15 | श्री लाल सिंह दुवाशा, अपर जिला न्यायाधीश, होशंगाबाद. | 1-7-1952 | 30-6-2012 | 30-6-2012 |
| 16 | कु. प्रतिभा रत्नपारखी, जिला न्याया., सागर. | 1-1-1953 | 31-12-2012 | 31-12-2012 |
| 17 | श्री ऋषभ कुमार जैन, जिला न्याया., राजगढ़. | 1-1-1953 | 31-12-2012 | 31-12-2012 |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. मिश्रा, प्रमुख सचिव.

नर्मदा घाटी विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 मई 2011

क्र. एफ 31-17-2010-सत्ताईस-1.—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (5) में यथा विनिर्दिष्ट कृषक संगठनों के लिये उक्त सारणी के कालम (3) तथा (4) में यथा विनिर्दिष्ट कार्य क्षेत्र अधिसूचित करता हूँ, अर्थात् :—

| स. क्र. | सिंचाई प्रणाली का नाम | कार्य का कमाण्ड क्षेत्र | | |
|---------|--------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|
| | | ग्रामों की संख्या | विस्तार हेक्टेयर में | कृषक संगठनों की संख्या |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | कुंआ वितरण शाखा | 8 | 1485.59 | 1 |
| 2 | कुंआ वितरण शाखा एम.-3 आर | 9 | 1872.829 | 1 |
| 3 | कुंआ वितरण शाखा नहर | 17 | 1386.693 | 1 |
| 4 | कुंआ वितरण शाखा नहर डी-7 | 11 | 1693.335 | 1 |
| 5 | कुंआ वितरण शाखा नहर | 15 | 2018.895 | 1 |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. व्ही. सिंह, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

निर्वाचन भवन

58, अरेरा हिल्स, भोपाल (म. प्र.)—462 011

आदेश

भोपाल, दिनांक 30 मई 2011

क्र. एफ 67-171-10-तीन-842.—मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2011 के भाग-1 के पृष्ठ क्र. 1717 में प्रकाशित आदेश क्रमांक एफ-67-171-10-तीन-689, दिनांक 9 मई 2011 में अभ्यर्थी श्री अहिरवार पूरन, नगर पंचायत पलेरा, जिला टीकमगढ़ को 05 वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित किया गया है कि कंडिका 05 की प्रथम पंक्ति में अंकित श्री अहिरवार पूरन को नोटिस दिनांक 9 मार्च 2010 को तामील कराया गया में निम्न संशोधन किया जाये.

संशोधन

उक्त आदेश में 'दिनांक 9 अप्रैल 2010 को तामील कराया गया' पढ़ा जावे.

हस्ता./-

(रजनी उड़के)

सचिव

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 3 जून 2011

क्र. एफ 67-142-10-तीन-862.—मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2011 के भाग-1 के पृष्ठ क्र. 1186 एवं 1187 में प्रकाशित आदेश क्रमांक एफ-67-142-10-तीन-443 एवं 444, दिनांक 29 मार्च 2011 में 02 अभ्यर्थी श्री राजेश शर्मा आ. श्री श्याम मनोहर शर्मा एवं श्री राकेश कुमार जायसवाल, एडव्होकेट, नगरपालिका परिषद् सिवनी मालवा, जिला होशंगाबाद को 05 वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित किया गया है.

संशोधन

उक्त आदेश में जिला सिवनी के स्थान जिला होशंगाबाद पढ़ा जावे.

हस्ता./-

(रजनी उड़के)

सचिव

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश

क्र. 836-भू-अर्जन-11.

सिंगरौली, दिनांक 1 जून 2011

करारनामा

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
कटवारिया सराय, नई दिल्ली द्वारा उप महाप्रबंधक, विन्ध्याचल

प्रथम पक्ष

मध्यप्रदेश सरकार, राजस्व विभाग द्वारा कलेक्टर, जिला सिंगरौली

द्वितीय पक्ष

दिनांक 27-9-2010 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गए निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञापन क्रमांक एफ-12-18/2010/7/2ए, भोपाल, दिनांक 28-10-2010 के अनुसार पावरग्रिड के 765/400 के. वी. विन्ध्याचल पुलिंग उपकेन्द्र के निर्माण हेतु ग्राम खम्हरिया में रकबा 20.59 हे. एवं परसदेही में रकबा 4.91 हे. कुल किता 41, रकबा 25.50 हे. निजी भूमि हेतु प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के मध्य निम्न शर्तों के अधीन भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के तहत आज दिनांक 26-02-2011 को अनुबंध (करारनामा) निष्पादित करते हैं:

- परियोजना के लिए उक्त निजी भूमि अर्जन हेतु भूमि के परिगणित मूल्य की शत-प्रतिशत राशि मय 30% सोलेसियम एवं 12% ब्याज रु. 21525638/- (दो करोड़ पन्द्रह लाख पच्चीस हजार छः सौ अड़तीस रु. मात्र) बतौर अग्रिम जमा की जा चुकी है.
- परियोजना के अर्जन के लिए नियमानुसार परिगणित मूल्य का 10% प्रशासकीय व्यय की राशि रु. 2152564/- (इक्कीस लाख बावन हजार पांच सौ चौसठ रु. मात्र) बतौर अग्रिम जमा की जा चुकी है.
- केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा निर्देशों के अनुरूप परियोजना द्वारा विद्युत् संचरण का कार्य किया जाता है और उक्त व्यवस्था का अनुपालन परियोजना द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा.
- अर्जित की जाने वाली निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.
- भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जित की जा रही है, वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जाएगा.
- भूमि पर निर्माण कार्य करते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.
- परियोजना के निर्माण कार्य एवं अन्य कार्यों में विस्थापित परिवारों में उपलब्ध कौशल एवं शिक्षा के आधार पर नौकरी देने में प्राथमिकता दी जायेगी अथवा एक मुश्त समझौता (One time Settlement) किया जायेगा.
- कंपनी को दी गयी भूमि से उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बन्धक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा. (धारा 44-ए भू-अर्जन अधिनियम).
- यदि कंपनी को दी गई भूमि/भवन या उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है, तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें, शासन को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.
- भूमि की केवल सतह का ही उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नीव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौड़ खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.
- शासन की पूर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जायेगा.

12. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा. कम्पनी द्वारा कार्य योजना अनुसार प्रस्तावित भूमि पर लगे हुए वृक्षों को काटने के लिए मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 240/ 241 के प्रावधानों का पालन किया जायेगा.
13. ट्रांसमिसन प्रोजेक्ट्स के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 लागू नहीं है तथा ना ही पर्यावरण इम्पेक्ट मूल्यांकन (EIA) की आवश्यकता है. अतः इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है.
14. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित एवं स्थानीय संस्थाओं जैसे नगर निगम, नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग, कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होगा तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन करना होगा.
15. यदि कभी भी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है या बाद में कभी भी बन्द कर दिया जाता है तो उक्त भूमि उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जायेगी और कम्पनी को कोई मुआवजा देय नहीं होगा.
16. भूमि या उसके किसी भाग या उस पर बने भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जायेगा और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.
17. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर दी जायेगी.
18. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से भूमि पर निर्मित भवन परिसर आदि के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.
19. मौके के स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू-अर्जन की कार्यवाही के दौरान कलेक्टर द्वारा लगाई गई अन्य शर्तों का कार्पोरेशन द्वारा पालन किया जायेगा.
20. पावरग्रिड पर्यावरण एवं सामाजिक नीति और पद्धति (ESPP) 2005 के अनुसार विस्थापित परिवारों के लिए आवश्यक कार्यवाही की जायेगी.
21. भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों से संबंधित शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना कम्पनी के लिए बंधनकारी होगा.
22. पक्षकारों के मध्य उत्पन्न भू-अर्जन से संबंधित किसी भी विवाद का निराकरण जिले में स्थित न्यायालय में किया जायेगा.

यह अनुबंध (करारनामा) आज दिनांक 26-2-2011 को पावर ग्रिड कार्रोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली की तरफ से उप महाप्रबंधक, विन्ध्याचल एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग की तरफ से कलेक्टर, सिंगरौली द्वारा हस्तारक्षरित किया गया.

हस्ता./-
(सुभाष चन्द्र)
उप महाप्रबंधक
पावरग्रिड, विन्ध्याचल

हस्ता./-
(पी. नरहरि)
कलेक्टर,
जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश.

क्रमांक /850/राजस्व/ 2011

सिंगरौली, दिनांक 2 जून 2011

करारनामा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सासन पावर लिमिटेड, कृषि उपज मण्डी के पास, मेन रोड
बिलौंजी, बैढन, जिला-सिंगरौली (म.प्र.) **प्रथम पक्ष**

मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग द्वारा कलेक्टर, जिला-सिंगरौली(म.प्र.) **द्वितीय पक्ष**

मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक 12-12/09/सात/2-ए, भोपाल दिनांक 19.02.2010 के अनुसार सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट द्वारा जिला सिंगरौली में 4000 मेगावाट थर्मल पावर परियोजना की स्थापना के लिए कोयला आपूर्ति एवं कोयला उत्खनन हेतु बुनियादी संरचना के लिये ग्राम अमिलिया, पिडरबाह एवं बंधा, तहसील सिंगरौली, जिला-सिंगरौली की निजी भूमि रकवा 23.50 हेक्टेयर निजी भूमि अर्जन हेतु प्रथम व द्वितीय पक्ष के मध्य निम्न शर्तों के अधीन भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 41 के तहत आज दिनांक 01/06/2011 को अनुबंध/करारनामा निष्पादित करते हैं :-

1. परियोजना के लिए उक्त निजी भूमि अर्जन हेतु भूमि के परिगणित मूल्य की शत प्रतिशत राशि रूपये 3,46,74,696.00 मात्र (रु. तीन करोड़ छियालीस लाख चौहत्तर हजार छः सौ छियान्वये रू0 मात्र) कम्पनी द्वारा बतौर अग्रिम जमा की जा चुकी है।
2. कम्पनी द्वारा नियमानुसार दस प्रतिशत प्रशासकीय व्यय की राशि रू0 34,67,470.00 मात्र (रु. चौतीस लाख सतसठ हजार चार सौ सत्तर रू0 मात्र) कम्पनी द्वारा बतौर अग्रिम जमा की जा चुकी है।
3. सासन पावर लिमिटेड द्वारा कोल ब्लॉक से उत्खनित कोयला का उपयोग केवल प्रोजेक्ट द्वारा उत्पादित की जा रही विद्युत के उपयोग में लगाया जावेगा, अन्यत्र विक्रय नहीं किया जायेगा।
4. मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग के पत्र क्रमांक एफ-12-03/08/सात/2-ए दिनांक 12.08.2008 के निर्देशानुसार राज्य की आदर्श पुनर्वास नीति 2002 का परियोजना द्वारा पालन किया जायेगा।
5. अर्जित की जाने वाली निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कम्पनी द्वारा देय होगा।
6. भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जित की जा रही है, वही उपयोग कम्पनी द्वारा किया जायेगा।
7. कम्पनी द्वारा माइनिंग प्लान प्रस्तुत करना पड़ेगा तथा माइनिंग लीज नियमानुसार प्राप्त करना होगा।
8. भूमि पर निर्माण कार्य करते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा।
9. कम्पनी द्वारा जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है, उन कृषकों के परिवार के कम से कम एक सदस्य को कम्पनी के आदर्श पुनर्वास नीति वर्ष 2002 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप नौकरी देने के लिये बचनबद्ध होगी।

10. कम्पनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा, परन्तु परियोजना निर्माण के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु कम्पनी को ऋण दाता के पक्ष में भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण को बंधक रखने की पात्रता अनुमति के पश्चात् होगी।
11. यदि कम्पनी को दी गई भूमि, भवन अथवा उसके किसी भाग को विक्रय करती है, तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें शासन को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कम्पनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा।
12. प्रदूषण नहीं किया जायेगा, इस सम्बंध में सम्बन्धित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा कि पर्यावरण, जल स्रोत या वायु प्रदूषण नहीं किया जायेगा।
13. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियाँ अनुमोदन एवं अनापत्तियाँ सम्बन्धित एवं स्थानीय संस्थाओं जैसे नगर निगम, नगर तथा प्राणी निवेश विभाग, कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होगा तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन करना होगा।
14. यदि कभी भी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिए नहीं होता है तो बाद में कभी भी बन्द कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जायेगी और कम्पनी को मुआवजा देय नहीं होगा।
15. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी।
16. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा भातों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन परिसर आदि के निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

17. परियोजना से विस्थापित परिवारों को शिक्षा एवं अन्य सुविधाओं हेतु एक ट्रस्ट का गठन कलेक्टर, सिंगरौली एवं सासन पावर लिमिटेड के मध्य चर्चा अनुसार किया जावेगा।
18. मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू-अर्जन की कार्यवाही के दौरान अन्य आवश्यक शर्तों का कम्पनी द्वारा पालन किया जायेगा।
19. पक्षकारों के मध्य उत्पन्न भू-अर्जन से सम्बंधित किसी भी विवाद का निराकरण जिले में स्थित न्यायालय में किया जायेगा।

यह अनुबंध (करारनामा) आज दिनांक 01/06/2011 को सासन पावर लिमिटेड, कृषि उपज मण्डी के पास मेन रोड, बिलौंजी बैढ़न, जिला-सिंगरौली (म.प्र.) की तरफ से श्री दीपक माथुर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग की तरफ से कलेक्टर, जिला-सिंगरौली द्वारा हस्ताक्षरित किया गया।

हस्ता./-

(दीपक माथुर)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
सासन पावर लिमिटेड

हस्ता./-

(पी. नरहरि)

कलेक्टर,
जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश

क्रमांक/4494/प्रस्तु0/भू-अर्जन/2011 छिंदवाड़ा, दिनांक 02/06/2011

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का क्रमांक-1) की धारा 41 के अन्तर्गत

भू-अर्जन राजस्व प्रकरण क्रमांक/01/अ-82/2010-11

अनुबंध-पत्र (करारनामा)

यह अनुबंध-पत्र (करारनामा) प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर, जिला -छिंदवाड़ा एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं, (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "राज्यपाल" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती, और समनुदेशिति भी सम्मिलित हैं) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में "एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश) लिमिटेड" (कार्पोरेट ऑफिस:501 बी, इलेजेण्ट बिजनेस पार्क, अन्धेरी कुर्ला रोड, जे.बी. नगर, अन्धेरी (ई.) मुंबई, 400059) जो भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 का -1 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "कंपनी" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादन पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है। जिसकी ओर से मुख्यतया- श्री दीपक गुप्ता, संयुक्त प्रबंध संचालक, जो "एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश) लिमिटेड" में कार्य कर रहे हैं, के मध्य आज दिनांक.....02.....जून, 2011 को संपादित किया जा रहा है।

1. कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को (जिसे आगे राज्य शासन) कहा गया है, मध्यप्रदेश शासन उर्जा विभाग भोपाल के मध्य विद्युत उत्पादन के लिए हुये करार (एम.ओ.यू.) "एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश) लिमिटेड" (कार्पोरेट ऑफिस: 501 बी, इलेजेण्ट बिजनेस पार्क, अन्धेरी कुर्ला रोड, जे.बी. नगर, अन्धेरी (ई.) मुंबई,-400059) को छिंदवाड़ा जिले की तहसील-अमरवाड़ा के ग्राम-राहीवाड़ा की निजी भूमि रकबा-64.001 हेक्टेयर के मेसर्स एस.के.एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड द्वारा पॉवर प्लान्ट एवं कोल वॉसरी की स्थापना, कार्यालय भवन, स्कूल भवन, लेवर कॉलोनी आदि कार्यों के लिए परिशिष्ट-1 उल्लेखित निजी भूमि स्वामियों की प्रस्तावित भूमि एवं उस भूमि पर स्थित संरचनाएं एवं स्थित परिसंपत्तियों के भू-अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का क्रमांक-1) के प्रावधानों के अंतर्गत भू-अर्जन किये जाने हेतु आवेदन-पत्र पेश किया है। जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट-1 पर अंकित किया है :-

"परिशिष्ट-1"

ग्राम- राहीवाड़ा तहसील अमरवाड़ा जिला छिंदवाड़ा की निजी भूमि एव उस पर स्थित
संरचनाएं/परिसंपत्तियों का विवरण

| क्र. | भूमिस्वामी का नाम पिता/पति का नाम | प्रस्तावित खसरा नंबर | कुल रकबा (हेक्टर में) | अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में) | संपत्तियों का विवरण |
|------|---|--|---|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | खेमचंद पिता चिरौंजी नाई निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 233/2 255/3 | 0.081 0.396 | 0.081 0.396 | एक कच्चा कुआं |
| | योग :- | 02 | 0.477 | 0.477 | - |
| 2. | किशोरचंद पिता चन्दन गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 233/3 237 450/2 235 236 258/1 | 0.121 0.442 0.028 0.591 0.154 0.206 1.145 | 0.121 0.442 0.028 0.591 0.154 0.206 1.145 | - |
| | योग :- | 04 | 2.096 | 2.096 | - |
| 3. | मंगलप्रसाद पिता चंदरमन कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 233/4 | 1.214 | 1.214 | - |
| | योग :- | 01 | 1.214 | 1.214 | - |
| 4. | मोहन पिता बुधन अहीर निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 233/5 | 0.902 | 0.902 | - |
| | योग :- | 01 | 0.902 | 0.902 | - |
| 5. | पुन्नालाल पिता ताराचंद कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 233/6 | 0.809 | 0.809 | - |
| | योग :- | 01 | 0.809 | 0.809 | - |
| 6. | मानकचंद पिता खुन्नू कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 234 257/11 | 0.312 0.040 | 0.312 0.040 | - |
| | योग :- | 02 | 0.352 | 0.352 | - |

| | | | | | |
|--------|---|--------|-------|-------|---|
| 7. | मकरचंद, बुद्ध, दिनेश राधे पिता धनलाल असमती पिता धनलाल गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 238 | 0.975 | 0.975 | - एक कच्चा कुआं एक कच्चा कुआं |
| | | 239 | 0.283 | 0.283 | |
| | | 261 | 0.745 | 0.745 | |
| | | 262/1 | 0.400 | 0.400 | |
| | | 263/2 | 1.838 | 1.838 | |
| | | | 2.238 | 2.238 | |
| | | 264 | 0.717 | 0.717 | |
| योग :- | | 05 | 4.958 | 4.958 | |
| 8. | लखनलाल पिता चंदन गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 240 | 0.040 | 0.040 | - एक कच्चा कुआं |
| | | 242/2 | 0.380 | 0.380 | |
| | | 243/2 | 1.195 | 1.195 | |
| | | 257/5 | 0.040 | 0.040 | |
| | | | 1.655 | 1.655 | |
| | | 257/6 | 0.024 | 0.024 | |
| | | 258/2 | 0.959 | 0.959 | |
| | | 273/2 | 0.162 | 0.162 | |
| | | | 1.145 | 1.145 | |
| | | योग :- | | 02 | |
| 9. | प्रेमवती बेवा तुलाराम हरदयाल, चैतराम पिता तुलाराम, रूखमनी बेवा खेमलाल, रामकेश पिता खेमलाल गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 241 | 0.299 | 0.299 | - एक कच्चा कुआं आम वृक्ष - 02 |
| | | 257/4 | 0.101 | 0.101 | |
| | | 257/10 | 0.073 | 0.073 | |
| | | | 0.174 | 0.174 | |
| | | 262/2 | 0.725 | 0.725 | |
| | | 263/1 | 1.112 | 1.112 | |
| | | | 1.837 | 1.837 | |
| योग :- | | 03 | 2.310 | 2.310 | |
| 10. | भरदी, नंदलाल, छोटेलाल पिता मुसददी बुधिया बेवा नारायण; हरगोविंद, घनश्याम ना.बा. पिता नारायण पा.माँ बुधिया गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 242/1 | 1.011 | 1.011 | - एक कच्चा कुआं |
| | | 243/1 | 0.709 | 0.709 | |
| | | 244/2 | 0.024 | 0.024 | |
| | | 244/3 | 0.089 | 0.089 | |
| | | 245 | 0.462 | 0.462 | |
| | | | 2.295 | 2.295 | |
| | 256 | 0.486 | 0.486 | | |

| | | | | | |
|-----|---|-------|-------|-------|---------------|
| | | 257/7 | 0.283 | 0.283 | एक पक्का कुआं |
| | | 270/1 | 0.688 | 0.688 | |
| | | 271 | 0.227 | 0.227 | |
| | | 272 | 0.089 | 0.089 | |
| | | 273/1 | 0.987 | 0.987 | |
| | | | 2.274 | 2.274 | |
| | | 259 | 0.539 | 0.539 | |
| | योग :- | 04 | 5.594 | 5.594 | |
| 11. | सुरेश, राजू राजेश पिता मेखचंद ललताप्रसाद, लोकमन, कृपाराम, रूपचंद, मुंशीराम पिता चरनलाल कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 255/1 | 0.199 | 0.199 | - |
| | | 292/1 | 0.168 | 0.168 | |
| | योग :- | 02 | 0.367 | 0.367 | - |
| 12. | अमीरचंद पिता जिलेराम गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 255/2 | 0.397 | 0.397 | आम वृक्ष-01 |
| | | 287/2 | 0.886 | 0.886 | |
| | | 292/2 | 0.337 | 0.337 | |
| | योग :- | 03 | 1.620 | 1.620 | - |
| 13. | तिलकवती पति राजकुमार नाई निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 255/4 | 0.396 | 0.396 | आम वृक्ष-02 |
| | | 287/4 | 0.116 | 0.116 | |
| | | 287/6 | 0.654 | 0.654 | |
| | | 292/4 | 0.170 | 0.170 | |
| | योग :- | 04 | 1.336 | 1.336 | - |
| 14. | गोविंद पिता नारायण गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 255/5 | 0.397 | 0.397 | - |
| | योग :- | 01 | 0.397 | 0.397 | - |
| 15. | जवाहरलाल पिता घूडन नाई निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 255/6 | 0.198 | 0.198 | - |
| | | 292/6 | 0.198 | 0.198 | |
| | योग :- | 02 | 0.396 | 0.396 | - |
| 16. | राधे पिता धनलाल गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 263/3 | 0.405 | 0.405 | आम वृक्ष-1 |
| | | 270/2 | 0.007 | 0.007 | |
| | | 274 | 0.295 | 0.295 | |
| | | 275/3 | 0.486 | 0.486 | |
| | | | 0.788 | 0.788 | |
| | योग :- | 02 | 1.193 | 1.193 | |

| | | | | | |
|-----|--|--------|-------|-------|---------------|
| 17. | सोमती बेवा चिल्लू, चरनलाल, साहबलाल, कपसलाल पिता चिल्लू धनियाबाई, जानकीबाई, सविताबाई पिता चिल्लू गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 265 | 0.660 | 0.660 | एक कच्चा कुआँ |
| | | 266 | 0.299 | 0.299 | |
| | | | 0.959 | 0.959 | |
| | | 267 | 0.162 | 0.162 | |
| | | 268 | 0.473 | 0.473 | |
| | | 269 | 1.630 | 1.630 | |
| | | 275/2 | 0.049 | 0.049 | |
| | | | 2.314 | 2.314 | |
| | | 270/3 | 0.397 | 0.397 | |
| | | 270/4 | 0.405 | 0.405 | |
| | | 276 | 1.688 | 1.688 | |
| | | 450/7 | 0.877 | 0.877 | |
| | | | 2.565 | 2.565 | |
| | | 279/2 | 0.081 | 0.081 | |
| | | 282/1 | 0.490 | 0.490 | |
| | | 285/1 | 2.237 | 2.237 | |
| | | | 2.808 | 2.808 | |
| | 284/1 | 0.486 | 0.486 | | |
| | योग :- | 07 | 9.934 | 9.934 | - |
| 18. | गोपल पिता खुन्नू नाई निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 275/1 | 0.599 | 0.599 | - |
| | | 277 | 1.153 | 1.153 | - |
| | | योग :- | 01 | 1.752 | 1.752 |
| 19. | राधे बुद्ध मकरचंद दिनेश पिता धनलाल चिल्लू पिता रामू गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 278 | 0.547 | 0.547 | - |
| | | योग :- | 01 | 0.547 | 0.547 |
| 20. | फूल्लो बेवा झाड़ू संतोष पिता झाड़ू असाड़ू पिता गौरे सुकरचंद पिता सखूवा सुकलवती बेवा सखूवा गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 280 | 0.926 | 0.926 | एक कच्चा कुआँ |
| | | 281 | 0.417 | 0.417 | |
| | | 294 | 0.413 | 0.413 | |
| | | | 1.756 | 1.756 | |
| | | 440 | 0.757 | 0.757 | |
| | | 450/5 | 0.154 | 0.154 | |
| | | | 0.911 | 0.911 | |
| | | 442/1 | 1.658 | 1.658 | |
| | | 442/2 | 0.405 | 0.405 | |

| | | | | | |
|-----|--|-------|-------|-------|--|
| | | | 2.063 | 2.063 | |
| | | 450/6 | 0.081 | 0.081 | |
| | योग :- | 04 | 4.811 | 4.811 | - |
| 21. | श्यामराव पिता कुंजी कतिया | 282/2 | 1.142 | 1.142 | एक कच्चा कुआँ आम वृक्ष - 01 महुआ वृक्ष- 01 |
| | निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 283/1 | 0.418 | 0.418 | |
| | योग :- | 01 | 1.560 | 1.560 | - |
| 22. | गुलाबराव पिता कुंजी कतिया | 283/2 | 0.549 | 0.549 | - |
| | निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 284/2 | 0.097 | 0.097 | |
| | | 285/2 | 1.011 | 1.011 | |
| | योग :- | 03 | 1.657 | 1.657 | - |
| 23. | सकलाबाई पति बुद्धू गौली निवासी | 287/3 | 0.887 | 0.887 | - |
| | ग्राम भूमिस्वामी | 292/3 | 0.338 | 0.338 | |
| | योग :- | 02 | 1.225 | 1.225 | - |
| 24. | मकरचंद पिता धनलाल गौली | 287/5 | 0.890 | 0.890 | - |
| | निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 292/5 | 0.337 | 0.337 | |
| | योग :- | 02 | 1.227 | 1.227 | - |
| 25. | सुशीलाबाई वि. ओमप्रकाश आशीष, कु. रजनी पिता ओमप्रकाश कतिया निवासी छिन्दवाड़ा निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 295/1 | 0.203 | 0.203 | सागौन वृक्ष - 03 |
| | योग :- | 01 | 0.203 | 0.203 | |
| 26. | उदेराम पिता सुमेरचंद कतिया | 295/2 | 0.203 | 0.203 | सागौन वृक्ष - 03 |
| | निवासी ग्राम भूमिस्वामी | | | | |
| | योग :- | 01 | 0.203 | 0.203 | - |
| 27. | कन्हैया पिता सुमेरचंद कतिया | 295/3 | 0.314 | 0.314 | सागौन वृक्ष - 03 |
| | निवासी ग्राम भूमिस्वामी | | | | |
| | योग :- | 01 | 0.314 | 0.314 | - |
| 28. | सुंदर पिता सुमेरचंद कतिया | 296 | 0.255 | 0.255 | सागौन वृक्ष - 02 |
| | निवासी ग्राम भूमिस्वामी | | | | |
| | योग :- | 01 | 0.255 | 0.255 | - |

| | | | | | |
|-----|---|--------|-------|-------|------------------|
| 29. | बंशीलाल पिता सुमेरचंद कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 297 | 0.219 | 0.219 | सागौन वृक्ष - 03 |
| | योग :- | 01 | 0.219 | 0.219 | - |
| 30. | पचकौड़ी पिता मुल्लू कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 298 | 0.445 | 0.445 | - |
| | योग :- | 01 | 0.445 | 0.445 | - |
| 31. | कृष्ण पिता सुमेरचंद कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 299/2 | 0.259 | 0.259 | एक कच्चा कुआ |
| | योग :- | 01 | 0.259 | 0.259 | - |
| 32. | रूपलाल पिता परसराम गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 443 | 0.624 | 0.624 | महुआ वृक्ष- 04 |
| | योग :- | 01 | 0.624 | 0.624 | - |
| 33. | उजरिया पति शंकरलाल गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 444 | 0.016 | 0.016 | - |
| | | 445 | 0.470 | 0.470 | |
| | योग :- | 02 | 0.486 | 0.486 | - |
| 34. | मोतीलाल पिता हन्नू गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 447 | 1.542 | 1.542 | अचार वृक्ष- 01 |
| | | 448 | 0.704 | 0.704 | |
| | | 449 | 1.019 | 1.019 | |
| | | योग :- | 01 | 3.265 | 3.265 |
| 35. | समकुरिया वि. पन्नालाल मंगलप्रसाद, मंगलसी पिता पन्नालाल गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 450/3 | 0.667 | 0.667 | अचार वृक्ष- 01 |
| | योग :- | 01 | 0.667 | 0.667 | - |
| 36. | दीपलाल पिता ब्रम्हा कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 450/4 | 0.162 | 0.162 | एक कच्चा कुआ |
| | योग :- | 01 | 0.162 | 0.162 | - |
| 37. | सुमेरचंद पिता अबीरचंद देवकी, सनिया पिता अबीरचंद गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 450/8 | 2.023 | 2.023 | - |
| | योग :- | 01 | 2.023 | 2.023 | - |

| | | | | | |
|---------|--|--------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 38. | गनाराम पिता देवचंद लोहार निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 450/10 | 1.315 | 1.315 | - |
| | योग :- | 01 | 1.315 | 1.315 | - |
| 39. | पार्वति बेवा पन्नालाल गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 450/11 | 0.668 | 0.668 | - |
| | योग :- | 01 | 0.668 | 0.668 | - |
| 40. | सोहनलाल पिता मंगल गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 450/12 | 0.668 | 0.668 | - |
| | योग :- | 01 | 0.668 | 0.668 | - |
| 41. | भुजलोबाई बेवा पन्नालाल गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 450/13 | 0.668 | 0.668 | अचार वृक्ष- 03 |
| | योग :- | 01 | 0.668 | 0.668 | - |
| 42. | शीलू पिता गनाराम लोहार निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 450/9 | 0.505 | 0.505 | सागौन वृक्ष- 08 |
| | योग :- | 01 | 0.505 | 0.505 | - |
| 43. | शरण पिता गनाराम लोहार निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 450/14 | 0.506 | 0.506 | सागौन वृक्ष- 06 |
| | योग :- | 01 | 0.506 | 0.506 | - |
| 44. | रीतू पिता गनाराम लोहार निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 450/15 | 0.506 | 0.506 | सागौन वृक्ष- 08 |
| | योग :- | 01 | 0.506 | 0.506 | - |
| 45. | शशि पिता गनाराम लोहार निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 450/16 | 0.506 | 0.506 | सागौन वृक्ष- 04 |
| | योग :- | 01 | 0.506 | 0.506 | - |
| कुल योग | | 82 | | | 13 कुएं एवं |
| | | | 64.001 हेक्टेयर | 64.001 हेक्टेयर | 65 वृक्ष |

2. राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है, मध्यप्रदेश शासन उर्जा विभाग भोपाल के मध्य विद्युत उत्पादन के लिए हुये करार (एम.ओ.यू.) "एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश) लिमिटेड" (कार्पोरेट ऑफिस : 501 बी, इलेजेंट बिजनेस पार्क, अन्धेरी कुर्ला रोड, जे.बी. नगर, अन्धेरी (ई.) मुंबई, -400059) मेसर्स एस.के.एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड द्वारा पॉवर प्लान्ट एवं कोल वॉसरी की की स्थापना, कार्यालय भवन, स्कूल भवन, लेवर कॉलोनी आदि कार्यों के लिए उक्त विद्युत उत्पादन परियोजना का कियान्वयन प्रदेश के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है.
3. कंपनी के भू-अर्जन आवेदन-पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 22 फरवरी 2011 को संपन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-12-04/2010/सात/2ए/भोपाल दिनांक 11 मार्च 2011 के अंतर्गत भू-अर्जन की शर्त (विहित की गई शर्तों के अधीन) अनुमति प्रदान की गई है. इसका इस अनुबंध-पत्र में समावेश किया गया है.
4. कंपनी को प्रदत्त अनुमति की शर्तों के पालन में कंपनी को राज्यपाल के साथ भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-41 के अंतर्गत विहित किये गये प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है. कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध-पत्र निष्पादित किया जाता है.

कंपनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है, कि :-

- (क) कंपनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसे समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेगी जो भू-अर्जन अधिनियम 1894 के प्रावधानों के अंतर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी.
- (ख) कंपनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों (खर्च) का भुगतान भी करेगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू-अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा.
- (ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट-1 में वर्णित निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियां कंपनी को प्रदान करेगा.

1. छिंदवाड़ा जिले की तहसील-अमरवाड़ा के ग्राम-राहीवाड़ा की निजी भूमि रकबा-64.001 हेक्टेयर के मेसर्स एस.के.एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड द्वारा पॉवर प्लान्ट एवं कोल वॉसरी की की स्थापना, कार्यालय भवन, स्कूल भवन, लेबर कॉलोनी आदि संकर्मों के निर्माण हेतु कंपनी द्वारा प्रस्तुत किये गये भू-अर्जन आवेदन-पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 22 फरवरी 2011 को संपन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ- 12-04/2010/सात/2ए/भोपाल दिनांक 11 मार्च 2011 के अंतर्गत निम्न शर्तों पर भू-अर्जन की स्वीकृति प्रदान की गई है.


- (i) आवेदक कंपनी द्वारा भारत सरकार के द्वारा घोषित वर्ष 2007 अधिसूचित दिनांक 31/10/2007 के तहत राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति लागू होगी जिसके अधीन आवेदक कंपनी द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन की कार्यवाही विधिवत की जाए. मध्यप्रदेश शासन द्वारा यदि केन्द्र शासन की नीति के अलावा मध्यप्रदेश के लिए अन्य कोई शर्तें या निर्देश प्रसारित किये जाते हैं तो वे भी लागू किये जावेंगे.
- (ii) आवेदक कंपनी द्वारा (इस आशय की करारनामों या वचनबद्धता के अनुसार) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है, उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिये पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.
- (iii) आवेदक कंपनी द्वारा भू-अर्जन अधिनियम के अंतर्गत भू-अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत-प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरांत ही कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही की जाए.
- (iv) आवेदक कंपनी द्वारा संबंधित कंपनी के लिए भू-अर्जन किये जाने संबंधित कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के अनुसार किया जाए.
- (v) आवेदक कंपनी द्वारा संबंधित परियोजनाओं को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा मध्यप्रदेश पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जायेगी.
- (vi) आवेदक कंपनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करेगें.


- (vii) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था नगर तथा ग्राम निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं से आवश्यक आपत्तियां संबंधित कंपनी को प्राप्त करना होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जायेगा.
- (viii) आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की गई निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.
- (ix) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जित की जा रही है वह उपयोग कंपनी द्वारा किया जायेगा.
- (x) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि पर निर्माण कार्य करते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.
- (xi) आवेदक कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अंतरित करने का अधिकार नहीं होगा. (धारा 44—ए भू—अर्जन अधिनियम के तहत)
- (xii) यदि आवेदक कंपनी को दी गई भूमि/भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें, शासन को अपने कब्जों में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.
- (xiii) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.
- (xiv) आवेदक कंपनी द्वारा शासन की पुर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.
- (xv) आवेदक कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी. इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्राप्त करना होगा कि पर्यावरण जल स्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.
- (xvi) आवेदक कंपनी द्वारा यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं किया जाता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों संपत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.

- (xvii) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा ना तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जायेगा और ना ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.
- (xviii) आवेदक कंपनी द्वारा भूके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू-अर्जन की कार्यवाही के दौरान कलेक्टर द्वारा लगाई जाने वाली अन्य आवश्यक शर्तें.
- (xix) आवेदक कंपनी द्वारा पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.
- (xx) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि जिस प्रयोजन के लिए अर्जित की जा रही हो, उससे भिन्न प्रयोजन के लिये उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी.
- (xxi) आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण का अधिकार होगा.
- (xxii) आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी.
2. आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में भू-अर्जन की कार्यवाही के पूर्व यह भी देख लिया जाये कि, यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने पश्चात ही यह अनुमति प्रभावशील होगी, इसके साथ ही इस परिस्थिति में वैकल्पिक भूमि क्य कर देने की कार्यवाही की जायेगी.
3. आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में भू-अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये, कि प्रस्तावित परियोजना में वन अभ्यारण क्षेत्र (सेन्च्युरी) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है. यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी.
4. भू-अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व कंपनी से आदर्श पुनर्वास नीति 2002 एवं भारत सरकार की पुनर्वास नीति 2007 के अनुसार जिन कृषकों भूमि अर्जित की जा रही है. उनके संबंध में क्या सुविधाएं कंपनी देगी, पुनर्वास पैकेज प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाए.
5. आवेदक कंपनी से भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-41 के प्रावधानों अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये, जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया जाये.
6. आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बाबद् शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये.

दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क्रमांक-1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा एवं पक्ष क्रमांक-2 की ओर से श्री दीपक गुप्ता, संयुक्त प्रबंध संचालक, जो "एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश) लिमिटेड" (कार्पोरेट ऑफिस : 501 बी, इलेजेण्ट बिजनेस पार्क, अन्धेरी कुर्ला रोड, जे.बी. नगर, अन्धेरी (ई.) मुंबई, -400059) स्थानीय कार्यालय, विवेकानंद कॉलोनी छिंदवाड़ा द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध-पत्र उल्लेखित साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है।


साक्षियों के हस्ताक्षर
(पूरा नाम पिता का नाम एवं पूरा पता)
साक्षी क्रं.-1



नाम :- (डॉ. श्रीनिवास शर्मा)
अतिरिक्त कलेक्टर
पता : शासकीय आवास गृह
साउथ सिविल लाईन छिंदवाड़ा


नाम :- सतपाल सिंह अरोरा

पिता का नाम :- कस्तूरीलाल जी अरोरा
पता : 403 गंगाधाम अपार्टमेंट 148
गिरीपेठ जे.बी.-3 ठक्कर मार्ग नागपुर-10
(महाराष्ट्र राज्य)

पक्ष क्रमांक-1
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(पवन कुमार शर्मा)
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग,
जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)

पक्ष क्रमांक-2

For, SKS Power Generation (Madhya Pradesh) Ltd.
(दीपक गुप्ता)

संयुक्त प्रबंध संचालक,
"एस.के.एस. पॉवर जनरेशन
(मध्यप्रदेश) लिमिटेड"

क्रमांक/4495/प्रस्तु0/भू-अर्जन/2011 छिंदवाड़ा, दिनांक 02/06/2011

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का क्रमांक-1) की धारा 41 के अन्तर्गत

भू-अर्जन राजस्व प्रकरण क्रमांक/ 02 /अ-82/2010-11

अनुबंध-पत्र (करारनामा)

यह अनुबंध-पत्र (करारनामा) प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर, जिला -छिंदवाड़ा एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं, (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "राज्यपाल" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती, और समनुदेशिती भी सम्मिलित हैं) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में "एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश) लिमिटेड" (कार्पोरेट ऑफिस:501 बी, इलेजेंट बिजनेस पार्क, अन्धेरी कुर्ला रोड, जे.बी. नगर, अन्धेरी (ई.) मुंबई, 400059) जो भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 का -1 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "कंपनी" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादन पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी सम्मिलित है। जिसकी ओर से मुख्यतयार- श्री दीपक गुप्ता, संयुक्त प्रबंध संचालक, जो "एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश) लिमिटेड" में कार्य कर रहे हैं, के मध्य आज दिनांक.....०२.....जून, 2011 को संपादित किया जा रहा है।

1. कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को (जिसे आगे राज्य शासन) कहा गया है, मध्यप्रदेश शासन उर्जा विभाग भोपाल के मध्य विद्युत उत्पादन के लिए हुये करार (एम.ओ.यू.) "एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश) लिमिटेड" (कार्पोरेट ऑफिस: 501 बी, इलेजेंट बिजनेस पार्क, अन्धेरी कुर्ला रोड, जे.बी. नगर, अन्धेरी (ई.) मुंबई,-400059) को छिंदवाड़ा जिले की तहसील-अमरवाड़ा के ग्राम-धाधरा की निजी भूमि रकबा-72.239 हेक्टेयर के मेसर्स एस.के.एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड द्वारा पॉवर प्लान्ट एवं कोल वॉसरी की स्थापना, कार्यालय भवन, स्कूल भवन, लेवर कॉलोनी आदि कार्यों के लिए परिक्षिप्त-1 उल्लेखित निजी भूमि स्वामियों की प्रस्तावित भूमि एवं उस भूमि पर स्थित संरचनाएं एवं स्थित परिसंपत्तियों के भू-अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का क्रमांक-1) के प्रावधानों के अंतर्गत भू-अर्जन किये जाने हेतु आवेदन-पत्र पेश किया है। जिसका विवरण निम्नानुसार परिक्षिप्त-1 पर अंकित किया है :-

“परिशिष्ट-1”

ग्राम- धाधरा तहसील अमरवाड़ा जिला छिंदवाड़ा की निजी भूमि एव उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियों का विवरण

| क्रमांक | भूमिस्वामी का नाम पिता/पति का नाम | समुदाय संवर्ग से संबंध | प्रस्तावित खसरा नंबर | कुल रकबा (हेक्टर में) | अर्जन हेतु कुल प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में) | संपत्तियों का विवरण |
|---------|---|------------------------|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | बाबू पिता अबुआ; सोबिन्द पिता गुलाब; कैलाशपुरी, बैजन्ती, संतकुमारी, राजेन्द्र, पिता भद्री अशोक, उर्मिला, प्रमीला, बाबा पिता भद्री; सुकलिया बेवा मोती, गुरदन, गुरुदयाल, बडगू, नन्हू पिता मोती कलार नि.ग्राम भू-स्वामी निवासी ग्राम भूमिस्वामी | अन्य पिछड़ा वर्ग | 92 | 0.259 | 0.259 | |
| | योग :- | | 1 | 0.259 | 0.259 | |
| 2. | सेहतो बेवा पतिराम दुर्गेन्द्र, भीमेन्द्र पिता पतिराम; संतलाल पिता अमरलाल गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी | अनु.जनजाति | 93/2 93/4 104 105 106 143 103 142 144 145 146 150/2 | 0.028 0.061 0.036 0.846 0.093 0.121 1.185 0.227 0.437 0.049 0.304 0.481 0.243 | 0.028 0.061 0.036 0.846 0.093 0.121 1.185 0.227 0.437 0.049 0.304 0.481 0.243 | कुआ पक्का - 01 महुआ - 05 चार - 06 |
| | योग :- | | 5 | 2.926 | 2.926 | |
| 3. | भैयालाल पिता नोखे गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी | अनु.जनजाति | 93/5 101 100/2 100/7 147/3 | 0.101 0.190 0.291 0.304 0.121 0.425 | 0.101 0.190 0.291 0.304 0.121 0.425 | कुआ कच्चा - 01 |
| | योग :- | | 4 | 1.141 | 1.141 | |
| 4. | संतूलाल पिता अमरलाल गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी | अनु.जनजाति | 93/6 | 0.202 | 0.202 | |
| | योग :- | | 1 | 0.202 | 0.202 | |
| 5. | शिवप्रसाद पिता भुवनलाल कलार निवासी ग्राम भूमिस्वामी | अन्य पिछड़ा वर्ग | 195/1 | 0.397 | 0.397 | |
| | योग :- | | 1 | 0.397 | 0.397 | |

| | | | | | | |
|--------|---|---------------------|--------|-------|-------|---|
| 6. | धोकल पिता हीरा कलार निवासी ग्राम भूमिस्वामी | अन्य पिछड़ा वर्ग | 95 | 0.227 | 0.227 | |
| | | | 174/4 | 0.692 | 0.692 | |
| | | | 285/9 | 0.809 | 0.809 | |
| | योग :- | | 3 | 1.728 | 1.728 | |
| 7. | सरस्वती बेवा रामप्रसाद अर्जुन पिता रामप्रसाद कलार निवासी ग्राम भूमिस्वामी | अन्य पिछड़ा वर्ग | 96 | 0.150 | 0.150 | |
| | | | 97/2 | 0.373 | 0.373 | |
| | | | 97/3 | 0.648 | 0.648 | |
| | | | | 1.021 | 1.021 | |
| | | | 195/2 | 0.809 | 0.809 | |
| योग :- | | 3 | 1.980 | 1.980 | | |
| 8. | सालक राम पिता हीरालाल गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी | अनु.जनजाति | 97/4 | 0.045 | 0.045 | |
| | | | योग :- | | 1 | 0.045 |
| 9. | सालकराम पिता हीरालाल जानक पिता बाबू हरिचंद पिता बाबूलाल रामकली बेवा बालकराम सुमलाबाई बेवा मानक मोहपतिया पिता मानक देवकीबाई बेवा गोपी रामस्वरूप रामताप्रसाद पिता गोपी सीताबाई, विनीताबाई पिता गोपी गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी | अनु.जनजाति | 98 | 0.117 | 0.117 | कुंआ कच्चा - 01 आम - 01 महुआ - 02 चार - 06 |
| | | | 172 | 2.566 | 2.566 | |
| | | | 173 | 0.648 | 0.648 | |
| | | | | 3.331 | 3.331 | |
| | | | 163 | 0.445 | 0.445 | कुंआ कच्चा - 01 |
| | | | 168 | 0.081 | 0.081 | |
| | | | 169 | 0.166 | 0.166 | |
| | | | 171/3 | 0.131 | 0.131 | |
| | | | 171/5 | 0.036 | 0.036 | |
| | | | | 0.859 | 0.859 | |
| | | | 166 | 0.721 | 0.721 | |
| | | | 167 | 0.437 | 0.437 | |
| | | | | 1.158 | 1.158 | |
| | | | 170 | 0.603 | 0.603 | मकान पक्का - 01 कुंआ कच्चा - 01 चार - 04 महुआ - 02 |
| | | | 171/2 | 0.413 | 0.413 | |
| 171/4 | 0.607 | 0.607 | | | | |
| | 1.623 | 1.623 | | | | |
| योग :- | | 4 | 6.971 | 6.971 | | |
| 10. | बुद्ध पिता भूरा गोंड दददूलाल पिता नोखेगोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी | अनु.जनजाति | 99/2 | 1.214 | 1.214 | |
| योग :- | | | 1 | 1.214 | 1.214 | |
| 11. | दददुलाल पिता नोखे गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी | अनु.जनजाति | 100/1 | 0.283 | 0.283 | |
| | | | 100/6 | 0.121 | 0.121 | |
| | | | 147/1 | 0.668 | 0.668 | |
| योग :- | | | 3 | 1.072 | 1.072 | |

| | | | | | | |
|-----|--|------------|--------|-------|-------|-----------------------------|
| 12. | साधूराम पिता नोखे गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी | अनु.जनजाति | 100/3 | 0.324 | 0.324 | कुंआ कच्चा - 01 |
| | | | 100/8 | 0.113 | 0.113 | |
| | | | 147/4 | 0.696 | 0.696 | |
| | योग :- | 3 | 1.133 | 1.133 | | |
| 13. | अमरसिंग पिता ददुलाल गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी | अनु.जनजाति | 100/4 | 0.425 | 0.425 | |
| | | | योग :- | 1 | 0.425 | |
| 14. | दादुराम पिता नोखे गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी | अनु.जनजाति | 100/5 | 0.445 | 0.445 | |
| | | | 147/2 | 0.829 | 0.829 | |
| | | | 151/2 | 2.023 | 2.023 | |
| | योग :- | 3 | 3.297 | 3.297 | | |
| 15. | बिरजलाल, विरजपत पिता होरीलाल गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी | अनु.जनजाति | 100/9 | 4.522 | 4.522 | |
| | | | योग :- | 1 | 4.522 | |
| 16. | सेहतो बेवा पतिराम दुर्गेन्द्र, भीमेंद्र पिता पतिराम गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी | अनु.जनजाति | 102/2 | 0.809 | 0.809 | |
| | | | योग :- | 1 | 0.809 | |
| 17. | झाड़ू पिता माहू ताराचंद, संतराम पिता माहू गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी | अनु.जनजाति | 140 | 1.157 | 1.157 | |
| | | | योग :- | 1 | 1.157 | |
| 18. | रम्मू पिता मकखन गोंड (शासकिय पट्टेदार) निवासी ग्राम भूमिस्वामी | अनु.जनजाति | 148 | 0.886 | 0.886 | |
| | | | योग :- | 01 | 0.886 | |
| 19. | ऐतु पिता बैसाखू गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी | अनु.जनजाति | 149 | 0.749 | 0.749 | |
| | | | योग :- | 1 | 0.749 | |
| 20. | हरिचन्द्र पिता बूठा गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी | अनु.जनजाति | 151/1 | 0.405 | 0.405 | |
| | | | 191/2 | 0.049 | 0.049 | |
| | | | 191/3 | 0.526 | 0.526 | |
| | योग :- | 3 | 0.980 | 0.980 | | |
| 21. | कूरा बेवा धोकल गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी | अनु.जनजाति | 151/3 | 2.023 | 2.023 | मकान कच्चा - 04 चार - 03 |
| | | | 158 | 0.069 | 0.069 | |
| | | | 159 | 0.077 | 0.077 | |
| | | | 162 | 0.271 | 0.271 | |
| | | | 164 | 0.979 | 0.979 | |
| | | | 165 | 0.413 | 0.413 | |
| | योग :- | 5 | 3.832 | 3.832 | | |
| 22. | भददू पिता झीनों गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी | अनु.जनजाति | 152 | 1.529 | 1.529 | |
| | | | योग :- | 1 | 1.529 | |

| | | | | | | |
|--------|--|---------------------|--------|-------|-------|----------------------------------|
| 23. | महेंदा पिता वीरन गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी | अनु.जनजाति | 153 | 0.821 | 0.821 | |
| | | | 154 | 0.081 | 0.081 | |
| | | | 155 | 0.405 | 0.405 | |
| | | | 156/2 | 0.636 | 0.636 | |
| | योग :- | | 4 | 1.943 | 1.943 | |
| 24. | भागचंद पिता कम्पू गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी | अनु.जनजाति | 156/3 | 2.023 | 2.023 | |
| | | | योग :- | 1 | 2.023 | 2.023 |
| 25. | दिनेश महेश ना.बा.पिता विपतलाल पा.माँ जुनिया बेवा विपतलाल गोंड | अनु.जनजाति | 157 | 0.983 | 0.983 | |
| | | | 177/1 | 0.421 | 0.421 | |
| | | | योग :- | 2 | 1.404 | 1.404 |
| 26. | कूरा बेवा धोकल; रूपचंद पिता बूठा; रोशन, लालमन, लोटन, लालचंद, फूलचंद पिता पिरमू गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी | अनु.जनजाति | 160 | 1.562 | 1.562 | चार - 14 |
| | | | 161 | 2.286 | 2.286 | कुआ कच्चा - 01 महुआ - 14 |
| | | | योग :- | 2 | 3.848 | 3.848 |
| 27. | रामजी, रामदयाल पिता होरीलाल दुर्गावती, लखनवती पिता होरीलाल गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी | अनु.जनजाति | 174/3 | 0.607 | 0.607 | |
| | | | 175 | 2.622 | 2.622 | |
| | | | 177/3 | 1.538 | 1.538 | |
| | | | 178 | 0.833 | 0.833 | |
| | | | 181 | 1.125 | 1.125 | |
| | | | 190 | 0.202 | 0.202 | |
| | | | योग :- | 6 | 6.927 | 6.927 |
| 28. | जती, जतन पिता ब्रजलाल दर्शन नेरसिंग पिता भूरा गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी | अनु.जनजाति | 183 | 1.805 | 1.805 | |
| | | | 184 | 1.003 | 1.003 | |
| | | | | 2.808 | 2.808 | |
| | | | 185 | 0.769 | 0.769 | |
| | | | 187 | 0.129 | 0.129 | |
| | | | 189 | 0.874 | 0.874 | |
| | | | 192 | 0.223 | 0.223 | |
| | | | 193 | 2.229 | 2.229 | |
| | | | | 2.454 | 2.454 | |
| | | | 306/1 | 3.793 | 3.793 | आम - 01 महुआ - 03 चार - 01 |
| | | | 306/2 | | | |
| | | | 307/1 | | | |
| | | | | 1.925 | 1.925 | |
| | 8.172 | 8.172 | | | | |
| योग :- | 7 | 15.204 | 15.204 | | | |
| 29. | लोटन, फूलचंद पिता पिरमू गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी | अनु.जनजाति | 186 | 0.534 | 0.534 | |
| | | | योग :- | 1 | 0.534 | 0.534 |
| 30. | शेख अकबर पिता शेख जुम्मन मुसलमान निवासी अमरवाड़ा (शासकीय पट्टेदार) निवासी ग्राम भूमिस्वामी | अन्य पिछड़ा वर्ग | 285/2 | 0.129 | 0.129 | |
| | | | योग :- | 1 | 0.129 | 0.129 |

| | | | | | | |
|---------|---|---------------------|-------|--------------------|--------------------|---|
| 31. | इंदरवती पति रमेश गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी | अनु.जनजाति | 306/3 | 0.649 | 0.649 | आम - 01 महुआ - 03 चार - 06 |
| | | | 307/2 | 0.160 | 0.160 | |
| | | | 306/4 | 0.565 | 0.565 | |
| | | | 307/3 | 0.280 | 0.280 | |
| योग :- | | | 2 | 1.654 | 1.654 | |
| 32 | सुनील पिता शिवप्रसाद सुर्यवंशी निवासी ग्राम भूमिस्वामी | अन्य पिछड़ा वर्ग | 96/6 | 0.162 | 0.162 | |
| | | | 195/3 | 0.243 | 0.243 | |
| योग :- | | | 2 | 0.405 | 0.405 | |
| 33 | अनिल पिता शिवप्रसाद सुर्यवंशी निवासी ग्राम भूमिस्वामी | अन्य पिछड़ा वर्ग | 94/1 | 0.243 | 0.243 | |
| | | | 94/2 | 0.235 | 0.235 | |
| | | | | 0.478 | 0.478 | |
| | | | 97/1 | 0.234 | 0.234 | |
| | | | 97/5 | 0.202 | 0.202 | |
| योग :- | | | 3 | 0.914 | 0.914 | |
| कुल योग | | 33 | 77 | 72.239 हेक्टेयर | 72.239 हेक्टेयर | मकान कच्चे/पक्के - 05 कुएं कच्चे/पक्के - 07 विभिन्न प्रजातियों के - 72 वृक्ष |

- राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है, मध्यप्रदेश शासन उर्जा विभाग भोपाल के मध्य विद्युत उत्पादन के लिए हुये करार (एम.ओ.यू.) "एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश) लिमिटेड" (कार्पोरेट ऑफिस : 501 बी, इलेजेण्ट बिजनेस पार्क, अन्धेरी कुर्ला रोड, जे.बी. नगर, अन्धेरी (ई.) मुबई, -400059) मेसर्स एस.के.एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड द्वारा पॉवर प्लांट एवं कोल वॉसरी की स्थापना, कार्यालय भवन, स्कूल भवन, लेवर कॉलोनी आदि कार्यों के लिए उक्त विद्युत उत्पादन परियोजना का किग्रान्वयन प्रदेश के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है.
- कंपनी के भू-अर्जन आवेदन-पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 22 फरवरी 2011 को संपन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-12-04/2010/सात/2ए/भोपाल दिनांक 11 मार्च 2011 के अंतर्गत भू-अर्जन की शर्त (विहित की गई शर्तों के अधीन) अनुमति प्रदान की गई है. इसका इस अनुबंध-पत्र में समावेश किया गया है.
- कंपनी को प्रदत्त अनुमति की शर्तों के पालन में कंपनी को राज्यपाल के साथ भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-41 के अंतर्गत विहित किये गये प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है. कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध-पत्र निष्पादित किया जाता है.

कंपनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है, कि :-

- (क) कंपनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसे समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेगी जो भू-अर्जन अधिनियम 1894 के प्रावधानों के अंतर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी.
- (ख) कंपनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों (खर्च) का भुगतान भी करेगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू-अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा.
- (घ) उपर्युक्त (क) तथा (ख) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिसिष्ट-1 में वर्णित निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियाँ कंपनी को प्रदान करेगा.
1. छिंदवाड़ा जिले की तहसील-अमरवाड़ा के ग्राम-धाधरा की निजी भूमि रकबा-72.239 हेक्टेयर के मेसर्स एस.के.एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड द्वारा पॉवर प्लान्ट एवं कोल वॉसरी की की स्थापना, कार्यालय भवन, स्कूल भवन, लेवर कॉलोनी आदि संकर्मों के निर्माण हेतु कंपनी द्वारा प्रस्तुत किये गये भू-अर्जन आवेदन-पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 22 फरवरी 2011 को संपन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ- 12-04/2010/सात/2ए/भोपाल दिनांक 11 मार्च 2011 के अंतर्गत निम्न शर्तों पर भू-अर्जन की स्वीकृति प्रदान की गई है.
- (i) आवेदक कंपनी द्वारा भारत सरकार के द्वारा घोषित वर्ष 2007 अधिसूचित दिनांक 31/10/2007 के तहत राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति लागू होगी जिसके अधीन आवेदक कंपनी द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन की कार्यवाही विधिवत की जाए. मध्यप्रदेश शासन द्वारा यदि केन्द्र शासन की नीति के अलावा मध्यप्रदेश के लिए अन्य कोई शर्तें या निर्देश प्रसारित किये जाते हैं तो वे भी लागू किये जावेंगे.
- (ii) आवेदक कंपनी द्वारा (इस अक्षय की करारनामों या वचनबद्धता के अनुसार) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है, उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिये पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.

- (iii) आवेदक कंपनी द्वारा भू-अर्जन अधिनियम के अंतर्गत भू-अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत-प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरांत ही कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही की जाए.
- (iv) आवेदक कंपनी द्वारा संबंधित कंपनी के लिए भू-अर्जन किये जाने संबंधित कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के अनुसार किया जाए.
- (v) आवेदक कंपनी द्वारा संबंधित परियोजनाओं को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा मध्यप्रदेश पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जायेगी.
- (vi) आवेदक कंपनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करेंगे.
- (vii) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था नगर तथा ग्राम निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं से आवश्यक आपत्तियां संबंधित कंपनी को प्राप्त करना होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जायेगा.
- (viii) आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की गई निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.
- (ix) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जित की जा रही है वह उपयोग कंपनी द्वारा किया जायेगा.
- (x) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि पर निर्माण कार्य करते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.
- (xi) आवेदक कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अंतरित करने का अधिकार नहीं होगा. (धारा 44-ए भू-अर्जन अधिनियम के तहत)
- (xii) यदि आवेदक कंपनी को दी गई भूमि/भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें, शासन को अपने कब्जे

- में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.
- (xiii) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.
- (xiv) आवेदक कंपनी द्वारा शासन की पुर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.
- (xv) आवेदक कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी. इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा कि पर्यावरण जल स्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.
- (xvi) आवेदक कंपनी द्वारा यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं किया जाता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों संपत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.
- (xvii) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा ना तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जायेगा और ना ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.
- (xviii) आवेदक कंपनी द्वारा मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू-अर्जन की कार्यवाही के दौरान कलेक्टर द्वारा लगाई जाने वाली अन्य आवश्यक शर्तें.
- (xix) आवेदक कंपनी द्वारा पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.
- (xx) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि जिस प्रयोजन के लिए अर्जित की जा रही हो, उससे भिन्न प्रयोजन के लिये उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी.
- (xxi) आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा


शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण का अधिकार होगा.


(xxii) आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी.

2. आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में भू-अर्जन की कार्यवाही के पूर्व यह भी देख लिया जाये कि, यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने पश्चात ही यह अनुमति प्रभावी होगी, इसके साथ ही इस परिस्थिति में वैकल्पिक भूमि कय कर देने की कार्यवाही की जायेगी.
3. आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में भू-अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये, कि प्रस्तावित परियोजना में वन अभ्यारण क्षेत्र (सेन्च्युरी) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है. यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी.
4. भू-अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व कंपनी से आर्द्ध पुनर्वास नीति 2002 एवं भारत सरकार की पुनर्वास नीति 2007 के अनुसार जिन कृषकों भूमि अर्जित की जा रही है. उनके संबंध में क्या सुविधाएं कंपनी देगी, पुनर्वास पैकेज प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाए.
5. आवेदक कंपनी से भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-41 के प्रावधानों अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये, जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया जाये.
6. आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बाबद् शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये.

दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क्रमांक-1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा एवं पक्ष क्रमांक-2 की ओर से श्री दीपक गुप्ता, संयुक्त प्रबंध संचालक, जो "एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश) लिमिटेड" (कार्पोरेट ऑफिस : 501 बी, इलेजेंट बिजनेस पार्क, अन्धेरी कुर्ला रोड, जे.बी. नगर, अन्धेरी (ई.) मुंबई, -400059) स्थानीय कार्यालय, विवेकानंद कॉलोनी छिंदवाड़ा द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध-पत्र उल्लेखित साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है.


साक्षियों के हस्ताक्षर
(पूरा नाम पिता का नाम एवं पूरा पता)
साक्षी क्रं.-1



नाम :- (डॉ. श्रीनिवास शर्मा)
अतिरिक्त कलेक्टर
पता : शासकीय आवास गृह
साउथ सिविल लाईन छिंदवाड़ा

साक्षी क्रं.-2

नाम :- सतपाल सिंह अरोरा

पिता का नाम :- कस्तूरीलाल जी अरोरा
पता : 403 गंगाधाम अपार्टमेंट 148
गिरीपेठ जे.बी.-3 ठक्कर मार्ग नागपुर-10
(महाराष्ट्र राज्य)

पक्ष क्रमांक-1
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(पवन कुमार शर्मा)
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग,
जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)

पक्ष क्रमांक-2

For, SCS Power Generation (Madhya Pradesh) Ltd.
(दीपक गुप्ता)
संयुक्त प्रबंध संचालक,
DIRECTOR

"एस.के.एस. पॉवर जनरेशन
(मध्यप्रदेश) लिमिटेड"

क्रमांक / 4497 / प्रस्तु0 / भू-अर्जन / 2011 छिंदवाड़ा, दिनांक 02/06/2011

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का क्रमांक-1) की धारा 41 के अन्तर्गत

भू-अर्जन राजस्व प्रकरण क्रमांक / 03 / अ-82 / 2010-11

अनुबंध-पत्र (करारनामा)

यह अनुबंध-पत्र (करारनामा) प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर, जिला -छिंदवाड़ा एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं, (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "राज्यपाल" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती, और समनुदेशिति भी सम्मिलित हैं) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में "एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश) लिमिटेड" (कार्पोरेट ऑफिस:501 बी, इलेजेण्ट बिजनेस पार्क, अन्धेरी कुर्ला रोड, जे.बी. नगर, अन्धेरी (ई.) मुंबई, 400059) जो भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 का -1 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "कंपनी" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादन पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है। जिसकी ओर से मुख्यतयार- श्री दीपक गुप्ता, संयुक्त प्रबंध संचालक, जो "एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश) लिमिटेड" में कार्य कर रहे हैं, के मध्य आज दिनांक02.....जून 2011 को संपादित किया जा रहा है।

1. कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को (जिसे आगे राज्य शासन) कहा गया है, मध्यप्रदेश शासन उर्जा विभाग भोपाल के मध्य विद्युत उत्पादन के लिए हुये करार (एम.ओ.यू.) "एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश) लिमिटेड" (कार्पोरेट ऑफिस:501 बी, इलेजेण्ट बिजनेस पार्क, अन्धेरी कुर्ला रोड, जे.बी. नगर, अन्धेरी (ई.) मुंबई, -400059) को छिंदवाड़ा जिले की तहसील-अमरवाड़ा के ग्राम-मन्दानगढ़ की निजी भूमि रकबा-112.317 हेक्टेयर के मेसर्स एस.के.एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड द्वारा पॉवर प्लान्ट एवं कोल वॉसरी की स्थापना, कार्यालय भवन, स्कूल भवन, लेवर कॉलोनी आदि कार्यों के लिए परिशिष्ट-1 उल्लेखित निजी भूमि स्वामियों की प्रस्तावित भूमि एवं उस भूमि पर स्थित संरचनाएं एवं स्थित परिसंपत्तियों के भू-अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का क्रमांक-1) के प्रावधानों के अंतर्गत भू-अर्जन किये जाने हेतु आवेदन-पत्र पेश किया है। जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट-1 पर अंकित किया है :-

"परिशिष्ट-1"

ग्राम- मन्दानगढ़ तहसील अमरवाड़ा जिला छिंदवाड़ा की निजी भूमि एवं उस पर स्थित
संरचनाएं/परिसंपत्तियों का विवरण

| क्र) | भूमिस्वामी का नाम पिता/पति का नाम | प्रस्तावित खसरा नंबर | कुल रकबा हेक्टेयर में | अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा हेक्टेयर में | अर्जन स्थल पर आने वाली संपत्तियों का विवरण |
|------|--|----------------------------|-----------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | रामकिशोर सुरेश प्रेमचंद देवचंद महेश व रामकिशन पिता होरी गोंड, नि० कोल्हिया भूमिस्वामी | 1 | 0.279 | 0.279 | - |
| | योग | 01 | 0.279 | 0.279 | |
| 2 | तुलाराम पिता प्रेमलाल कतिया नि०ग्राम भूमिस्वामी | 3/2 | 2.023 | 2.023 | महुआ- 02, चार- 02, भिलमा-02 |
| | योग | 01 | 2.023 | 2.023 | |
| 3 | अमरचंद, बलदेव पिता चरणलाल मेहरा नि०ग्राम भूमिस्वामी | 2/1 | 0.900 | 0.900 | - |
| | योग | 01 | 0.900 | 0.900 | |
| 4 | मुकेश पिता नरेश मेहरा नि०ग्राम भूमिस्वामी | 2/2 | 0.302 | 0.302 | - |
| | योग | 01 | 0.302 | 0.302 | |
| 5 | अकलू पिता रामचन्द्र गोंड नि० ग्राम भूमिस्वामी | 4/1 | 0.232 | 0.232 | महुआ - 02, चार - 04, |
| | | 5/4 | 0.465 | 0.465 | महुआ-01 चार-01 |
| | | 8 | 0.260 | 0.260 | मकान कच्चा-01 कुंआ कच्चा-01 चार-01 |
| | | 9/18 | 0.242 | 0.242 | महुआ - 01, |
| | योग | 04 | 1.199 | 1.199 | |
| 6 | भगलू पिता रामचन्द्र गोंड नि० ग्राम भूमिस्वामी | 4/2 | 0.244 | 0.244 | कुंआ कच्चा-01 |
| | | 5/1 | 0.121 | 0.121 | |
| | | | 0.365 | 0.365 | |
| | | 5/5 | 0.465 | 0.465 | महुआ - 02 |
| | | 9/10 10/4 | 0.705 | 0.705 | मकान कच्चा-01 महुआ - 03 चार - 04 |
| | | 9/17 | 0.284 | 0.284 | |
| | योग | 04 | 1.819 | 1.819 | |

| | | | | | |
|-----|--|--------------------------|----------------|----------------|--|
| 7 | भगत पिता रामचन्द्र गौड नि० ग्राम भूमिस्वामी | 4/3 } 5/2 } 10/1 } | 0.201 0.270 | 0.201 0.270 | कुआ कच्चा- महुआ - 02, चार - 03, |
| | | | 0.471 | 0.471 | |
| | | 5/6 | 0.345 | 0.345 | महुआ - 03, चार - 04, |
| | | 9/12 | 0.829 | 0.829 | कुआ कच्चा-01 |
| योग | | 03 | 1.645 | 1.645 | |
| 8 | जागलाल पिता रामचन्द्र गौड नि० ग्राम भूमिस्वामी | 4/4 } 5/3 } 10/2 } | 0.545 | 0.545 | महुआ - 02, चार - 02 |
| | | 5/7 } 9/1 } | 0.303 | 0.303 | महुआ - 03, चार - 03 |
| | | 9/11 | 0.585 | 0.585 | मकान कच्चा-01 महुआ - 01, चार - 01 |
| | | 9/16 | 0.262 | 0.262 | |
| योग | | 04 | 1.695 | 1.695 | |
| 9 | सुरेश, किरेश, नरेश, पिता किसन अकलु बेबा किसन गौड निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 5/8 } 6/1 } | 0.585 | 0.585 | महुआ - 02, चार - 03, सागौन-04 |
| | | 9/6 | 0.555 | 0.555 | |
| | | 9/7 | 0.405 | 0.405 | कुआ पक्का-01 |
| | | 9/14 | 0.161 | 0.161 | |
| योग | | 04 | 1.706 | 1.706 | |
| 10 | रामजी पिता बाराती गौडनि० ग्राम भूमिस्वामी | 5/9 } 6/2 } | 0.685 | 0.685 | महुआ - 02, चार - 01 |
| | | 5/14 } | 0.041 | 0.041 | महुआ - 01 |
| | | 9/5 } | 0.161 | 0.161 | |
| | | | 0.202 | 0.202 | |
| | | 9/9 | 0.958 | 0.958 | |
| योग | | 03 | 1.845 | 1.845 | |
| 11 | सोमजी पिता बाराती गौड नि० ग्राम भूमिस्वामी | 5/10 } 7/1 } | 0.507 | 0.507 | महुआ - 03, चार - 05 |
| | | 5/13 } 9/4 } | 0.586 | 0.586 | महुआ-03 नीबू-01, जाम-05 |
| | | 9/8 | 0.566 | 0.566 | |
| | | 9/13 | 0.161 | 0.161 | |
| योग | | 04 | 1.820 | 1.820 | |

| | | | | | |
|----|--|---------------------------|-------|-------|---|
| 12 | सकरू पिता इन्दरसिंह गौड़ नि0 ग्राम भूमिस्वामी | 5/11 } 7/2 } | 0.257 | 0.257 | चार - 02 |
| | योग | 01 | 0.257 | 0.257 | |
| 13 | सकरलाल पिता इन्दरसिंह गौड़ नि0 ग्राम भूमिस्वामी | 5/12 } 9/3 } 10/3 } | 1.259 | 1.259 | कुंआ कच्चा-01 महुआ - 01, चार - 03 |
| | योग | 9/15 | 0.161 | 0.161 | |
| | योग | 02 | 1.420 | 1.420 | |
| 14 | मकरलाल पिता इन्दरसिंह गौड़ नि0 ग्राम भूमिस्वामी | 5/15 } 7/3 } | 0.257 | 0.257 | चार-02 |
| | योग | 02 | 0.257 | 0.257 | |
| 15 | सेहतलाल पिता अनकू गौड़ नि0 ग्राम भूमिस्वामी | 11/1 } 18/3 } | 0.809 | 0.809 | महुआ-02 |
| | योग | 02 | 1.481 | 1.481 | |
| 16 | गनिया बाई पति शिबू गौड़ नि0 ग्राम भूमिस्वामी | 11/2 | 1.389 | 1.389 | महुआ - 02, चार - 02 कहुआ- 02 |
| | योग | 01 | 1.389 | 1.389 | |
| 17 | मनेश पिता झनका गौड़ नि0 ग्राम भूमिस्वामी | 11/3 | 0.576 | 0.576 | मकान कच्चा-01 कुंआ कच्चा -01 आम- 01 चार- 04 |
| | योग | 04 | 0.926 | 0.926 | |
| 18 | रुसीलाबाई पति मनेश गौड़ नि0 ग्राम भूमिस्वामी | 11/4 } 12/1 } | 0.405 | 0.405 | पलाश -01 बेर- 01 चार- 01 |
| | योग | 05 | 1.364 | 1.364 | |
| 19 | रुसीलाबाई पति मनेश गौड़ विसरवती पति गनाराम गौड़ नि0 ग्राम भूमिस्वामी | 22/1 | 0.339 | 0.339 | कुंआ कच्चा -01 |
| | योग | 01 | 0.339 | 0.339 | |

| | | | | | |
|-----|---|------------------|-------|-------|--|
| 20 | विसरवती पति गनाराम गोंड नि0 ग्राम भूमिस्वामी | 11/5 } 12/5 } | 1.000 | 1.000 | महुआ - 02 आम - 03 चार - 02 साज - 03 तिनसा - 08 जाम - 04 |
| | | 17/6 | 0.008 | 0.008 | |
| | | 18/4 | 0.435 | 0.435 | महुआ -01 चा - 05 |
| योग | | 03 | 1.443 | 1.443 | |
| 21 | गनाराम पिता झनका गोंड नि0 ग्राम भूमिस्वामी | 11/6 } 12/9 } | 0.212 | 0.212 | महुआ-01 चार-05 |
| | | 12/3 | 0.229 | 0.229 | कुआ कच्चा -0 महुआ -01 चार - 02 |
| | | 12/4 | 0.060 | 0.060 | |
| | | 18/1 | 0.400 | 0.400 | मकान कच्चा 0 कुआ कच्चा 01 आम -01 |
| योग | | 04 | 0.901 | 0.901 | |
| 22 | सुकर बेबा ऐतू बक्तू पिता ऐतू गोंड नि0ग्राम भूमिस्वामी | 12/2 | 0.405 | 0.405 | महुआ -02 चा - 03 |
| | | 17/3 | 0.261 | 0.261 | |
| | | 17/5 | 0.073 | 0.073 | महुआ -02 चा - 02 |
| योग | | 03 | 0.739 | 0.739 | |
| 23 | हेमचंद पिता कन्हैया कतिया नि0ग्राम भूमिस्वामी | 13 | 0.206 | 0.206 | महुआ -01 |
| | | 25/1 | 0.540 | 0.540 | कुआ कच्चा-01 आम- 02 महुआ -02 चार - 04 |
| | | 33/3 | 0.089 | 0.089 | चार - 04 |
| | | 81 | 0.121 | 0.121 | जाम- 02 |
| | | 82 | 0.040 | 0.040 | |
| योग | | 05 | 0.996 | 0.996 | |
| 24 | जयवती पति दिनेश गोंड नि0ग्राम भूमिस्वामी | 14/1 | 0.074 | 0.074 | कुआ पक्का-01 आम-02 चार-01 महुआ-01 |
| | | 23/1 } 24/1 } | 0.186 | 0.186 | आम-04 |
| योग | | 02 | 0.260 | 0.260 | |
| 25 | तिलका बाई पति जंगलू गोंड नि0ग्राम भूमिस्वामी | 14/2 | 0.148 | 0.148 | कुआ कच्चा-01 आम-02 चार-01 महुआ-01 |
| | | 14/3 | 0.073 | 0.073 | |

| | | | | | |
|----|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| | | 17/2 17/11 23/3 24/4 | 0.388 | 0.388 | कुंआ पक्का -01 |
| | योग | 03 | 0.609 | 0.609 | |
| 26 | दयाराम, मयाराम, बलराम, जंगी पिता झाड़ू सुमरवती बेबा झाड़ू विनोद पिता कृपाल मु. सतवंती बेबा कृपाल जाति लोहार नि०ग्राम भूमिस्वामी | 15 | 0.332 | 0.332 | आम-01 चार-02 महुआ-02 भिलवा-01 |
| | | 16 | 0.340 | 0.340 | आम-02 चार-08 महुआ-02 |
| | योग | 02 | 0.672 | 0.672 | |
| 27 | भेदाबाई पति बेनीराम गौली नि० ग्राम भूमिस्वामी | 17/4 | 0.324 | 0.324 | चार-02 |
| | | 25/2 30 | 1.096 0.486 | 1.096 0.486 | कुंआ कच्चा -01 चार-02 |
| | | | 1.582 | 1.582 | |
| | | 27/1 | 0.032 | 0.032 | चार-01 |
| | | 33/2 | 0.073 | 0.073 | |
| | | 33/12 | 0.607 | 0.607 | |
| | योग | 06 | 2.618 | 2.618 | |
| 28 | कन्हैयालाल पिता गुलाब कतिया (शा.पट्टेदार) नि० ग्राम भूमिस्वामी | 17/8 | 1.619 | 1.619 | महुआ-01 |
| | कन्हैयालाल पिता गुलाब कतिया नि० ग्राम भूमिस्वामी | 22/3 | 0.061 | 0.061 | |
| | | 80 | 0.825 | 0.825 | कुंआ कच्चा-01 |
| | योग | 03 | 2.505 | 2.505 | |
| 29 | सिपतलाल पिता किशन लाल गोंड नि०ग्राम भूमिस्वामी | 17/9 | 0.195 | 0.195 | |
| | | 24/2 | 0.473 | 0.473 | कुंआ पक्का -01 आम-02 महुआ-01 |
| | | | 0.668 | 0.668 | |
| | योग | 01 | 0.668 | 0.668 | |
| 30 | पूना, पिता दादू कतिया नि०ग्राम भूमिस्वामी | 31/1 32/1 33/8 33/9 | 0.016 0.401 0.138 0.792 | 0.016 0.401 0.138 0.792 | चार-04 महुआ-02 |
| | | | 1.347 | 1.347 | |
| | | 33/6 | 0.429 | 0.429 | चार-01 |
| | योग | 02 | 1.776 | 1.776 | |
| 31 | पन्ना पिता दादू कतिया नि० ग्राम भूमि-स्वामी | 19/1 | 1.541 | 1.541 | चार-02 महुआ-04 भिलवा-02 |
| | | 33/7 | 0.502 | 0.502 | चार-05 |
| | | 33/10 | 0.308 | 0.308 | |
| | योग | 03 | 2.351 | 2.351 | |

| | | | | | |
|-----|--|-------|-------|-------|--|
| 32 | गंभीर पिता दूठी गोंड़ नि०ग्राम भूमिस्वामी | 19/2 | 1.011 | 1.011 | महुआ-01 |
| | | 31/3 | 0.340 | 0.340 | |
| | | 31/4 | 0.506 | 0.506 | बरगद-01 |
| | | 33/14 | 0.323 | 0.323 | |
| योग | | 04 | 2.180 | 2.180 | |
| 33 | बलीराम पिता भादू कतिया नि०ग्राम भूमिस्वामी | 72/6 | 0.900 | 0.900 | चार-02 महुआ-01 कुंआ कच्चा-01 |
| | | योग | | 01 | 0.900 |
| 34 | कबीरदास-श्याम-रवि पिता बलीराम कतिया नि.ग्राम भूमिस्वामी | 20/1 | 0.945 | 0.945 | चार-04 महुआ-02 |
| | | 21 | 0.729 | 0.729 | चार-06 महुआ-03 |
| | | 20/2 | 0.382 | 0.382 | |
| | | 31/7 | 0.708 | 0.708 | चार-06 महुआ-03 |
| | | 33/11 | 1.113 | 1.113 | चार-05 महुआ-03 |
| | | 72/7 | 0.312 | 0.312 | |
| योग | | 06 | 4.189 | 4.189 | |
| 35 | महेश पिता मथुराप्रसाद-परमानंद सोनू ना.बा. पिता नरेश पा.मा. शारदा बेबा नरेश टिकमनी बेबा मथुराप्रसाद लौहार नि.ग्राम भूमिस्वामी | 22/2 | 0.356 | 0.356 | चार-10 महुआ-04 |
| | | योग | | 01 | 0.356 |
| 36 | शांति पति कलिराम कतिया नि०ग्राम भूमिस्वामी | 23/2 | 0.607 | 0.607 | कुंआ कच्चा-01 चार-05 |
| | | 24/3 | | | |
| योग | | 01 | 0.607 | 0.607 | |
| 37 | भगवत प्रसाद पिता कन्हैया कतिया नि०ग्राम भूमिस्वामी | 25/3 | 0.556 | 0.556 | चार-02 महुआ-01 |
| | | 83/1 | 0.308 | 0.308 | |
| योग | | 02 | 0.864 | 0.864 | |
| 38 | कलिराम पिता भादू कतिया नि०ग्राम भूमिस्वामी | 26 | 1.072 | 1.072 | कुंआ कच्चा-01 आम-05 जाम-01 वेर-01 गुरार-02 |
| | | 29 | 0.526 | 0.526 | वेर-01 मिलवा-01 |
| | | 78 | 0.445 | 0.445 | आम-02 महुआ-02 |
| | | 79 | | | |
| | | योग | | 03 | 2.294 |
| 39 | कैलाश पिता कलिराम, अतरो पति कलिराम कतिया नि०ग्राम भूमिस्वामी | 27/2 | 0.777 | 0.777 | मोयन-01 आम-02 जामुन-01 महुआ-01 |
| | | योग | | 01 | 0.777 |

| | | | | | |
|----|---|---|--|--|---|
| 40 | रामस्वरूप पिता रम्मू कतिया नि0ग्राम भूमिस्वामी | 28/1 | 0.563 | 0.563 | |
| | योग | 01 | 0.563 | 0.563 | |
| 41 | गोविंद, रेखन पिता अनूप गौली नि0ग्राम भूमिस्वामी | 28/2 | 0.030 | 0.030 | कुआ कच्चा-0 |
| | | 65/2 | 0.012 | 0.012 | आम-03 |
| | योग | 02 | 0.042 | 0.042 | |
| 42 | संतलाल पिता गंभीर गोंड नि0ग्राम भूमिस्वामी | 31/5 | 0.210 | 0.210 | |
| | योग | 01 | 0.210 | 0.210 | |
| 43 | शिवचरण पिता मन्नू शा0पट्टेदार नि0ग्राम भूमिस्वामी | 32/2 (33/1 में से) | 1.982 | 1.982 | |
| | योग | 01 | 1.982 | 1.982 | |
| 44 | दिनेश पिता विपत गोंड नि0ग्राम भूमिस्वामी | 33/4 | 0.138 | 0.138 | |
| | | 65/3 | 0.004 | 0.004 | |
| | योग | 02 | 0.142 | 0.142 | |
| 45 | अजय विक्की पिता जतिराम, ममता बेबा जतिराम, रतनलाल पतिराम पिता गंगाराम, कतिया निवासी ग्राम- नि0ग्राम भूमिस्वामी | 31/6 33/5 33/15 72/1 72/5 75/6 | 0.616 0.276 1.112 0.405 1.120 0.049 | 0.616 0.276 1.112 0.405 1.120 0.049 | चार-01 महुआ-01 चार-02 महुआ-02 चार-1 |
| | योग | 06 | 3.578 | 3.578 | |
| 46 | रमेश-सरस-बन्तु-नेपाल त्रिलोकचंद, रमेशबती, सरसवती, सरला पिता बुद्धू फूल्लो वि. बुद्धू गोंड नि0ग्राम भूमि स्वामी शा0 पट्टेदार गोंड नि0ग्राम भूमिस्वामी | 33/13 | 0.567 | 0.567 | |
| | योग | 01 | 0.567 | 0.567 | |
| 47 | परताप पिता बरियारी गोंड नि0ग्राम भूमिस्वामी | 65/4 68/1 69/1 | 0.020 0.389 0.404 | 0.020 0.389 0.404 | कुआ कच्चा-01 आम-01 |
| | योग | 03 | 0.813 | 0.813 | |
| 48 | मेहताब पिता बरियारी गोंड नि0ग्राम भूमिस्वामी | 65/5 69/6 69/7 74/2 75/7 | 0.025 0.160 0.365 0.174 0.154 | 0.025 0.160 0.365 0.174 0.154 | मिलवा-01 चार-02 चार-01 |
| | योग | 05 | 0.878 | 0.878 | |

| | | | | | | |
|----|---|--------|-------|-------|--|--------------------|
| 49 | सतिया बेबा झमरलाल बंशी बंशालाल-अंशालाल पिता झमरलाल नि0ग्राम भूमिस्वामी | 66 | 0.914 | 0.914 | मकान कच्चा-01 | |
| | | 127/1च | 0.101 | 0.101 | | |
| | | | 1.015 | 1.015 | | |
| | योग | 01 | 1.015 | 1.015 | | |
| 50 | नवीन कुमार पिता सुमरूलाल कतिया नि0ग्राम भूमिस्वामी | 67/1 | 1.003 | 1.003 | मकान कच्चा-01 | |
| | | | 01 | 1.003 | | 1.003 |
| 51 | भारत पिता भागचंद गोंड नि0ग्राम भूमिस्वामी | 67/2 | 0.105 | 0.105 | कुआ कच्चा-01 भिलवा-01 चार-01 महुआ-01 | |
| | | 75/2 | 0.287 | 0.287 | | |
| | | 76/1 | 0.081 | 0.081 | | |
| | | 77/1 | 0.250 | 0.250 | | |
| | | | 0.331 | 0.331 | | |
| | | | 03 | 0.723 | | 0.723 |
| 52 | अरविंद पिता महेश कुमार गोंड नि0ग्राम भूमिस्वामी | 67/3 | 0.344 | 0.344 | मकान पक्का-01 सागौन-40 आम-30 आंवला-150 | |
| | | 69/12 | 0.805 | 0.805 | | |
| | | | 02 | 1.149 | | 1.149 |
| 53 | सरविंद पिता महेश कुमार गोंड नि0ग्राम भूमिस्वामी | 67/4 | 0.344 | 0.344 | मकान कच्चा-01 सागौन-200 आम-165 नीबू-04 बादाम-02 नारियल-05 जाम-07 जामुन-03 लौंग-01 खारक-01 | |
| | | 69/13 | 0.804 | 0.804 | | |
| | | 73/1 | 0.445 | 0.445 | | भिलवा-01 चार-01 |
| | | 73/2 | 0.231 | 0.231 | | |
| | | 75/5 | 0.097 | 0.097 | | भिलवा-01 |
| | | 76/2 | 0.575 | 0.575 | | |
| | | 77/2 | | | | |
| | | | योग | 06 | | 2.496 |

| | | | | | |
|----|---|-------|-------|-------|--|
| 54 | शिबू पिता बरयारी गोंड नि०ग्राम भूमिस्वामी | 68/2 | 0.380 | 0.380 | आम-01 |
| | | 69/8 | 1.100 | 1.100 | महुआ-03 चार-12 |
| | | 76/3 | 0.101 | 0.101 | |
| | | 77/3 | 0.660 | 0.660 | |
| | | | 0.761 | 0.761 | |
| | योग | 03 | 2.241 | 2.241 | |
| 55 | पारवति पति महेश गोंड नि०ग्राम भूमिस्वामी | 69/2 | 0.900 | 0.900 | कुंआ कच्चा-02 आम-03 जाम-03 चार-01 सागौन-108 कटहल-03 जामुन -01 |
| | | | योग | 01 | 0.900 |
| 56 | सुकदास, सुकदयाल, सुकलाल, पिता भारत गोंड नि०ग्राम भूमिस्वामी | 69/3 | 0.700 | 0.700 | कुंआ कच्चा-01 |
| | | | योग | 01 | 0.700 |
| 57 | हरलाल पिता भागचंद गोंड नि०ग्राम भूमिस्वामी | 69/4 | 0.700 | 0.700 | कुंआ पक्का-01 महुआ-01 आम-01 मिलवा-01 |
| | | | योग | 01 | 0.700 |
| 58 | बतसिया बेबा भागचंद गोंड नि०ग्राम भूमिस्वामी | 69/5 | 0.623 | 0.623 | |
| | | 74/1 | 0.551 | 0.551 | महुआ-01 |
| | | | योग | 02 | 1.174 |
| 59 | रामाधार पिता बरयारी गोंड नि०ग्राम भूमिस्वामी | 69/9 | 0.160 | 0.160 | कुंआ पक्का-01 महुआ-01 |
| | | 69/10 | 0.382 | 0.382 | |
| | | 75/8 | 0.097 | 0.097 | |
| | | | योग | 03 | 0.639 |
| 60 | अमलसी, कमलसी पिता रामप्रसाद, कुसमाबाई बेबा रामप्रसाद गोंड नि०ग्राम भूमिस्वामी | 69/11 | 0.383 | 0.383 | |
| | | | योग | 01 | 0.383 |
| 61 | जयविंद पिता हरलाल, गोंड नि०ग्राम भूमिस्वामी | 70 | 0.275 | 0.275 | |
| | | | योग | 01 | 0.275 |
| 62 | गंगाराम पिता भादू कतिया नि०ग्राम भूमिस्वामी | 72/2 | 0.900 | 0.900 | मकान कच्चा-01 कुंआ कच्चा-01 महुआ-01 |
| | | | योग | 01 | 0.900 |
| 63 | शीला पति गंगाराम कतिया नि०ग्राम भूमिस्वामी | 72/3 | 0.405 | 0.405 | महुआ-01 चार- 02 |
| | | 72/4 | 0.750 | 0.750 | महुआ-02 चार- 02 |
| | | | योग | 02 | 1.155 |

| | | | | | |
|----|---|-------|-------|-------|----------|
| 64 | जय हिंद पिता हरलाल गोंड नि०ग्राम भूमिस्वामी | 75/3 | 0.174 | 0.174 | |
| | | 75/4 | 0.008 | 0.008 | |
| | | | 0.182 | 0.182 | |
| | | 77/4 | 0.341 | 0.341 | |
| | योग | 03 | 0.523 | 0.523 | |
| 65 | शैतराम पिता गुलदास कतिया नि०ग्राम भूमिस्वामी | 83/2 | 0.307 | 0.307 | |
| | | योग | 01 | 0.307 | 0.307 |
| 66 | पवन ना०बा० पिता नारायण पां.मां, वो. खुर्द मूलाबाई बेबा नारायण कतिया नि०ग्राम भूमिस्वामी | 84/1 | 0.415 | 0.415 | |
| | | 84/3 | 0.201 | 0.201 | चार- 02 |
| | योग | 02 | 0.616 | 0.616 | |
| 67 | रामनाथ पिता बसोडी कतिया नि०ग्राम भूमि स्वामी | 84/12 | 0.161 | 0.161 | |
| | | 103/3 | 0.506 | 0.506 | |
| | योग :- | 02 | 0.667 | 0.667 | |
| 68 | धूरा पिता जुहार कतिया नि०ग्राम भूमिस्वामी | 84/4 | 0.302 | 0.302 | |
| | | 84/10 | 0.181 | 0.181 | |
| | | 84/13 | 0.160 | 0.160 | |
| | | 103/2 | 0.385 | 0.385 | महुआ-01 |
| | योग | 04 | 1.028 | 1.028 | |
| 69 | ताराचंद पिता दुकलू कतिया | 85/1 | 0.676 | 0.676 | |
| | | 85/4 | 0.674 | 0.674 | |
| | योग | 02 | 1.350 | 1.350 | |
| 70 | सुमेरचंद पिता गुलदास कतिया नि०ग्राम भूमिस्वामी | 84/6 | 0.282 | 0.282 | |
| | | 84/9 | 0.282 | 0.282 | चार- 01 |
| | | 84/15 | 0.153 | 0.153 | |
| | योग | 03 | 0.717 | 0.717 | |
| 71 | राजकुमार पिता तिलकू कतिया नि०ग्राम भूमिस्वामी | 84/7 | 0.546 | 0.546 | चार- 01 |
| | | 84/14 | 0.101 | 0.101 | चार- 01 |
| | योग | 02 | 0.647 | 0.647 | |
| 72 | सुपीया बेबा लालदास कतिया नि०ग्राम भूमिस्वामी | 84/8 | 0.283 | 0.283 | |
| | योग | 01 | 0.283 | 0.283 | |
| 73 | पुसू-लोटन-अटल पिता गोठल गौली निवासी खकरा चौरई | 86 | 0.186 | 0.186 | |
| | | 87 | 0.081 | 0.081 | |
| | | 92 | 1.372 | 1.372 | महुआ- 01 |
| | योग | 03 | 1.639 | 1.639 | |

| | | | | | |
|----|---|-------|-------|-------|-------------------|
| 74 | रामस्वरूप, राजकुमार पिता मेहताब मेहरा नि0ग्राम भूमिस्वामी | 88/2 | 1.114 | 1.114 | |
| | योग | 01 | 1.114 | 1.114 | |
| 75 | बिसनलाल पिता जुहार कतिया नि0ग्राम भूमिस्वामी | 103/1 | 0.404 | 0.404 | महुआ-02 चार-02 |
| | योग | 01 | 0.404 | 0.404 | |
| 76 | श्यामलाल पिता बिसनलाल कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 84/5 | 0.322 | 0.322 | |
| | | 89/1 | 0.040 | 0.040 | |
| | | 90/1 | 0.202 | 0.202 | |
| | | 102/1 | 0.534 | 0.534 | |
| | | | 0.776 | 0.776 | |
| | | 89/2 | 0.081 | 0.081 | |
| | | 90/2 | 0.040 | 0.040 | |
| | | 102/2 | 0.103 | 0.103 | |
| | योग | 03 | 1.322 | 1.322 | |
| 77 | विनोद पिता बिसनलाल कतिया नि0ग्राम भूमिस्वामी | 84/11 | 0.381 | 0.381 | |
| | | 96/02 | 0.829 | 0.829 | |
| | योग | 02 | 1.210 | 1.210 | |
| 78 | कूवरलाल पिता बिसनलाल कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 89/4 | 0.053 | 0.053 | |
| | | 90/4 | 0.178 | 0.178 | |
| | | 102/4 | 0.231 | 0.231 | |
| | | | 0.462 | 0.462 | |
| | | 89/5 | 0.040 | 0.040 | |
| | | 90/5 | 0.243 | 0.243 | |
| | | 102/5 | 0.226 | 0.226 | |
| | | | 0.509 | 0.509 | |
| | योग | 02 | 0.971 | 0.971 | |
| 79 | लाला पिता टीकाराम गोंड नि0ग्राम भूमिस्वामी | 89/3 | 0.243 | 0.243 | |
| | | 90/3 | 0.607 | 0.607 | महुआ-04 चार-04 |
| | | 102/3 | 1.214 | 1.214 | |
| | | | 2.064 | 2.064 | |
| | योग | 01 | 2.064 | 2.064 | |
| 80 | टीपू पिता दुबे मेहरा नि0ग्राम भूमिस्वामी | 93/1 | 0.112 | 0.112 | |
| | | 94/1 | | | |
| | | 97/2 | 0.008 | 0.008 | |
| | | 98/2 | 1.000 | 1.000 | |
| | योग | 03 | 1.120 | 1.120 | |
| 81 | अनुसूईया पति टीपू मेहरा नि0ग्राम भूमिस्वामी | 93/2 | 1.300 | 1.300 | महुआ-01 चार-01 |
| | | 94/2 | | | |
| | योग | 01 | 1.300 | 1.300 | |

| | | | | | |
|----|---|--------|-------|-------|------------------------------|
| 82 | जियन पिता दूबे मेहरा नि0ग्राम, भूदान-धारक | 95 | 0.219 | 0.219 | महुआ- 01 |
| | | 96/1 | 0.186 | 0.186 | |
| | | | 0.405 | 0.405 | |
| | योग | 01 | 0.405 | 0.405 | |
| 83 | बतसिया पिता असाडू गोंड नि0ग्राम भूमिस्वामी | 97/3 | 0.131 | 0.131 | चार-04 |
| | | | | | |
| | योग | 01 | 0.131 | 0.131 | |
| 84 | रामप्रसाद महालाल पिता पन्ना गौली नि0ग्राम भूमिस्वामी | 98/1 | 0.734 | 0.734 | |
| | | | | | |
| | योग | 01 | 0.734 | 0.734 | |
| 85 | लेखराम-बबलू-पिकू-सुनीता- अनिता पिता कन्हैया-सुमंत्रा बेबा कन्हैया, गोपाल-रज्जू-रम्मू-जैवति-छोटीबाई पिता नन्हे,चम्पा बेबा नन्हे,बलदेव, रेवाराम, केवलराम,पार्वती, नन्हैरवति पिता लक्खू तिजिया बेबा, लक्खू मेहरा नि.ग्राम भूस्वामी | 99 | 0.577 | 0.577 | |
| | | 100/1 | 0.735 | 0.735 | |
| | | 109/3 | | | |
| | योग | 02 | 1.312 | 1.312 | |
| 86 | पारवती पति संतोष, बलदेव पिता लक्खू मेहरा निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 100/2 | 0.405 | 0.405 | |
| | | 109/13 | | | |
| | | 100/3 | 1.011 | 1.011 | |
| | | 109/14 | | | |
| | योग | 02 | 1.416 | 1.416 | |
| 87 | ललता पति सांकलाल कतिया नि0ग्राम भूमिस्वामी | 85/2 | 1.189 | 1.189 | |
| | | 85/3 | 0.324 | 0.324 | |
| | | | | | |
| | योग | 02 | 1.513 | 1.513 | |
| 88 | लेखराम पिता कन्हैयालाल सुरेश-पिकू ना.बा. पिता कन्हैया पा.मा. वो खुद सुमंत्रा बेबा कन्हैयालाल मेहरा निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 100/4 | 0.405 | 0.405 | भिलवा- 02 चार-10 |
| | | 109/15 | | | |
| | | 100/5 | 1.011 | 1.011 | |
| | | 109/16 | | | |
| | योग | 02 | 1.416 | 1.416 | |
| 89 | राजू राजेश पिता टीपू मेहरा नि0ग्राम भूमिस्वामी | 101/1क | 0.749 | 0.749 | कुंआ कच्चा- 01 महुआ-01 |
| | | 105/1क | | | |
| | | 101/4 | 0.243 | 0.243 | |
| | | 105/4 | | | |
| | | 101/14 | 0.064 | 0.064 | |
| | | 105/15 | | | |
| | योग | 03 | 1.056 | 1.056 | |
| 90 | श्री चंद पिता झीनों मेहरा नि0ग्राम भूमिस्वामी | 101/1ख | 0.270 | 0.270 | |
| | | 105/23 | 0.202 | 0.202 | |
| | योग | 02 | 0.472 | 0.472 | |

| | | | | | | |
|----|--|----------------------|----------------|----------------|--------------------------------|--------------|
| 91 | डिमाकचंद पिता झीनों मेहरानि0ग्राम भूमिस्वामी | 101/1 ग | 0.269 | 0.269 | कुआ कच्चा- 01 | |
| | योग | 01 | 0.269 | 0.269 | | |
| 92 | गुमान सिंग पिता झीनों मेहरा नि0ग्राम भूमिस्वामी | 101/1घ | 0.270 | 0.270 | सागौन- 01 जाम- 01 | |
| | योग | 01 | 0.270 | 0.270 | | |
| 93 | पूसूलाल पुसरज पिता सीताराम मेहरा नि0ग्राम भूमिस्वामी | 101/2 } 105/2 } | 0.081 0.628 | 0.081 0.628 | चार-01 महुआ-02 | |
| | | | 0.709 | 0.709 | | |
| | | 101/19 } 105/20 } | 0.264 0.243 | 0.264 0.243 | | |
| | | 101/22 } 105/23 } | 0.243 0.507 | 0.243 0.507 | | |
| | | | 0.507 | 0.507 | | |
| | | | 02 | 1.216 | 1.216 | |
| | | | योग | 02 | 1.216 | 1.216 |
| 94 | मोहना पिता टीकाराम गोंड नि0ग्राम भूमिस्वामी | 101/3 } 105/3 } | 0.081 0.632 | 0.081 0.632 | महुआ-01 चार- 02 | |
| | | | 0.713 | 0.713 | | |
| | | 105/14 | 0.405 | 0.405 | | |
| | | | 02 | 1.118 | 1.118 | |
| | योग | 02 | 1.118 | 1.118 | | |
| 95 | आशीष पिता घासीराम गोंड नि0ग्राम भूमिस्वामी | 101/5 } 105/5 } | 0.283 0.445 | 0.283 0.445 | पीपल-01 | |
| | | | 0.728 | 0.728 | | |
| | | 116/3 | 0.146 | 0.146 | | |
| | | | 02 | 0.874 | 0.874 | |
| | योग | 02 | 0.874 | 0.874 | | |
| 96 | मोहना,लाला,पिता टीकाराम फूल्ली बेबा टीकाराम गोंड नि.ग्राम भूमिस्वामी | 101/6 } 105/6 } | 0.142 0.404 | 0.142 0.404 | महुआ-01 चार- 04 | |
| | | | 0.546 | 0.546 | | |
| | | 101/8 } 105/8 } | 0.121 0.162 | 0.121 0.162 | | |
| | | | 0.283 | 0.283 | | |
| | | 101/10 } 105/10 } | 0.105 0.753 | 0.105 0.753 | कुआ कच्चा-01 | |
| | | | 0.858 | 0.858 | | |
| | | 109/11 | 0.097 | 0.097 | | |
| | | | 04 | 1.784 | 1.784 | |
| | | | योग | 04 | 1.784 | 1.784 |
| 97 | राजेश पिता घासीराम गोंड नि0ग्राम भूमिस्वामी | 101/7 } 105/7 } | 0.162 0.142 | 0.162 0.142 | महुआ-01 चार- 04 बरगद-01? | |
| | | | 0.304 | 0.304 | | |
| | | 101/11 | 0.081 | 0.081 | | |
| | | 105/11ख | 0.403 | 0.403 | | |
| | | 116/5 | 0.069 | 0.069 | | |
| | | | 04 | 0.857 | 0.857 | |
| | योग | 04 | 0.857 | 0.857 | | |

| | | | | | | |
|-----|--|----------|---------------------|---------------------|--|-------|
| 98 | श्री चंद-गुमानसिंग पिता झीनो महारा नि ग्राम भूमि स्वामी | 101/9 | 0.081 | 0.081 | | |
| | | 105/9 | 0.923 | 0.923 | | |
| | | | 1.004 | 1.004 | | |
| | योग | 01 | 1.004 | 1.004 | | |
| 99 | मु० सविता बेबा ज्ञानी-आशाराम, राहुल, ना.बा. पिता ज्ञानी पा.भा.सविता राजा पिता किशोर, कृष्णाबाई बेबा किशोर मेहरा नि. ग्राम भूमिस्वामी | 101/17 | 0.749 | 0.749 | | |
| | | 105/18 | | | | |
| | | 101/18 | 0.064 | 0.064 | | |
| | | 105/19 | | | | |
| | | | | 0.813 | 0.813 | |
| | | | | 0.243 | 0.243 | |
| | योग | 03 | 1.056 | 1.056 | | |
| 100 | सुनीता बाई पति घासीराम गौड निवास ग्राम भूमिस्वामी | 105/11 क | 0.900 | 0.900 | कुआ पक्का-01 महुआ-01 आम-02 | |
| | योग | 01 | 0.900 | 0.900 | | |
| 101 | हेमराज पिता जीयन मेहरा निवास ग्राम भूमिस्वामी | 101/15 | 0.749 | 0.749 | | |
| | | 105/16 | | | | |
| | | 101/16 | 0.064 | 0.064 | | |
| | | 105/17 | | | | |
| | | | | 0.813 | 0.813 | |
| | | | | 0.243 | 0.243 | |
| | योग | 03 | 1.056 | 1.056 | | |
| 102 | महेश पिता मथुराप्रसाद लोहारनि0ग्राम भूमिस्वामी | 101/13 | 0.121 | 0.121 | कुआ कच्चा-01 | |
| | | 105/13 | 0.121 | 0.121 | | |
| | योग | 02 | 0.242 | 0.242 | | |
| 103 | सीताराम पिता दुबे मेहरा नि0ग्राम भूमिस्वामी | 101/12 | 0.121 | 0.121 | कुआ कच्चा-01 जाम-02 नींबू-01 आम-01 | |
| | | 105/12 | | | | 0.057 |
| | | 116/2 | 0.016 | 0.016 | | |
| | | योग | 0.194 | 0.194 | | |
| | योग | 01 | 0.194 | 0.194 | | |
| 104 | रामू पिता झाडू गौड नि0ग्राम भूमिस्वामी | 104 | 1.141 | 1.141 | | |
| | योग | 01 | 1.141 | 1.141 | | |
| | महायोग :- | | 112.317 हेक्टेयर | 112.317 हेक्टेयर | 12 मकान कच्चे/पक्के 33 कुए कच्चे/पक्के विभिन्न प्रजातियों के 918 वृक्ष | |

2. राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है, मध्यप्रदेश शासन उर्जा विभाग भोपाल के मध्य विद्युत उत्पादन के लिए हुये करार (एम.ओ.यू.) "एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश) लिमिटेड" (कार्पोरेट ऑफिस : 501 बी, इलेजेण्ट बिजनेस पार्क, अन्धेरी कुर्ला रोड, जे.बी. नगर, अन्धेरी (ई.) मुंबई, -400059) मेसर्स एस.के.एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड द्वारा पॉवर प्लान्ट एवं कोल वॉसरी की स्थापना, कार्यालय भवन, स्कूल भवन, लेवर कॉलोनी आदि कार्यों के लिए उक्त विद्युत उत्पादन परियोजना का किग्रान्वयन प्रदेश के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है.
3. कंपनी के भू-अर्जन आवेदन-पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 22 फरवरी 2011 को संपन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-12-04/2010/सात/2ए/भोपाल दिनांक 11 मार्च 2011 के अंतर्गत भू-अर्जन की शर्त (विहित की गई शर्तों के अधीन) अनुमति प्रदान की गई है. इसका इस अनुबंध-पत्र में समावेश किया गया है.
4. कंपनी को प्रदत्त अनुमति की शर्तों के पालन में कंपनी को राज्यपाल के साथ भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-41 के अंतर्गत विहित किये गये प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है. कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध-पत्र निष्पादित किया जाता है.

कंपनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है, कि :-

- (क) कंपनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसे समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेगी जो भू-अर्जन अधिनियम 1894 के प्रावधानों के अंतर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी.
- (ख) कंपनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों (खर्च) का भुगतान भी करेगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू-अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा.
- (ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट-1 में वर्णित निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियाँ कंपनी को प्रदान करेगा.

1. छिंदवाड़ा जिले की तहसील—अमरवाड़ा के ग्राम—मन्दानगढ़ की निजी भूमि रकबा—112.317 हेक्टेयर के मेसर्स एस.के.एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड द्वारा पॉवर प्लान्ट एवं कोल वॉसरी की स्थापना, कार्यालय भवन, स्कूल भवन, लेवर कॉलोनी आदि संकर्मों के निर्माण हेतु कंपनी द्वारा प्रस्तुत किये गये भू-अर्जन आवेदन-पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 22 फरवरी 2011 को संपन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-12-04/2010/सात/2ए/भोपाल दिनांक 11 मार्च 2011 के अंतर्गत निम्न शर्तों पर भू-अर्जन की स्वीकृति प्रदान की गई है.
- (i) आवेदक कंपनी द्वारा भारत सरकार के द्वारा घोषित वर्ष 2007 अधिसूचित दिनांक 31/10/2007 के तहत राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति लागू होगी जिसके अधीन आवेदक कंपनी द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन की कार्यवाही विधिवत की जाए. मध्यप्रदेश शासन द्वारा यदि केन्द्र शासन की नीति के अलावा मध्यप्रदेश के लिए अन्य कोई शर्तें या निर्देश प्रसारित किये जाते हैं तो वे भी लागू किये जावेंगे.
 - (ii) आवेदक कंपनी द्वारा (इस आशय की करारनामों या वचनबद्धता के अनुसार) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है, उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिये पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.
 - (iii) आवेदक कंपनी द्वारा भू-अर्जन अधिनियम के अंतर्गत भू-अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत-प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरांत ही कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही की जाए.
 - (iv) आवेदक कंपनी द्वारा संबंधित कंपनी के लिए भू-अर्जन किये जाने संबंधित कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के अनुसार किया जाए.
 - (v) आवेदक कंपनी द्वारा संबंधित परियोजनाओं को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा मध्यप्रदेश पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जायेगी.


- (vi) आवेदक कंपनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करेंगे.
- (vii) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था नगर तथा ग्राम निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं से आवश्यक आपत्तियां संबंधित कंपनी को प्राप्त करना होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जायेगा.
- (viii) आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की गई निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.
- (ix) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जित की जा रही है वह उपयोग कंपनी द्वारा किया जायेगा.
- (x) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि पर निर्माण कार्य करते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.
- (xi) आवेदक कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अंतरित करने का अधिकार नहीं होगा (धारा 44-ए भू-अर्जन अधिनियम के तहत)
- (xii) यदि आवेदक कंपनी को दी गई भूमि/भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें, शासन को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.
- (xiii) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.
- (xiv) आवेदक कंपनी द्वारा शासन की पुर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.

- (xv) आवेदक कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी. इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा कि पर्यावरण जल स्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.
- (xvi) आवेदक कंपनी द्वारा यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं किया जाता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों संपत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.
- (xvii) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा ना तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जायेगा और ना ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.
- (xviii) आवेदक कंपनी द्वारा मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू-अर्जन की कार्यवाही के दौरान कलेक्टर द्वारा लगाई जाने वाली अन्य आवश्यक शर्तें.
- (xix) आवेदक कंपनी द्वारा पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.
- (xx) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि जिस प्रयोजन के लिए अर्जित की जा रही हो, उससे भिन्न प्रयोजन के लिये उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी.
- (xxi) आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण का अधिकार होगा।
- (xxii) आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी.

2. आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में भू-अर्जन की कार्यवाही के पूर्व यह भी देख लिया जाये कि, यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने पश्चात ही यह अनुमति प्रभावशील होगी, इसके साथ ही इस परिस्थिति में वैकल्पिक भूमि क़य कर देने की कार्यवाही की जायेगी.
3. आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में भू-अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये, कि प्रस्तावित परियोजना में वन अभ्यारण क्षेत्र (सेन्च्युरी) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है. यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी.
4. भू-अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व कंपनी से आदर्श पुनर्वास नीति 2002 एवं भारत सरकार की पुनर्वास नीति 2007 के अनुसार जिन कृषकों भूमि अर्जित की जा रही है. उनके संबंध में क्या सुविधाएं कंपनी देगी, पुनर्वास पैकेज प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाए
5. आवेदक कंपनी से भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-41 के प्रावधानों अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये, जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया जाये.
6. आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बाबद् शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये.

दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क्रमांक-1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा एवं पक्ष क्रमांक-2 की ओर से श्री दीपक गुप्ता, संयुक्त प्रबंध संचालक, जो "एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश) लिमिटेड" (कार्पोरेट ऑफिस : 501 बी, इलेजेंट बिजनेस पार्क, अन्धेरी कुर्ला रोड, जे.बी. नगर, अन्धेरी (ई.) मुंबई, -400059) स्थानीय कार्यालय, विवेकानंद कॉलोनी छिंदवाड़ा द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध-पत्र उल्लेखित साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है।

साक्षियों के हस्ताक्षर
(पूरा नाम पिता का नाम एवं पूरा पता)
साक्षी क्रं.-1



नाम :- (डॉ. श्रीनिवास शर्मा)

अतिरिक्त कलेक्टर

पता : शासकीय आवास गृह

साउथ सिविल लाईन छिंदवाड़ा

साक्षी क्रं.-2


नाम :- सतपाल सिंह अरोरा

पिता का नाम :- कस्तूरीलाल जी अरोरा

पता : 403 गंगाधाम अपार्टमेंट 148

गिरीपेठ जे.बी.-3 ठक्कर मार्ग नागपुर-10

(महाराष्ट्र राज्य)

पक्ष क्रमांक-1
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(पवन कुमार शर्मा)

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग,

जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)

पक्ष क्रमांक-2



For, SKS Power Generation (Madhya Pradesh) Ltd.
(दीपक गुप्ता)

संयुक्त प्रबंध संचालक,

"एस.के.एस. पॉवर जनरेशन
(मध्यप्रदेश) लिमिटेड"

क्रमांक/4496/प्रस्तु0/भू-अर्जन/2011 छिंदवाड़ा, दिनांक 02/06/2011

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का क्रमांक-1) की धारा 41 के अन्तर्गत

भू-अर्जन राजस्व प्रकरण क्रमांक/ 04 /अ-82/2010-11

अनुबंध-पत्र (करारनामा)

यह अनुबंध-पत्र (करारनामा) प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर, जिला -छिंदवाड़ा एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं, (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "राज्यपाल" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती, और समनुदेशिति भी सम्मिलित हैं) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में "एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश) लिमिटेड" (कार्पोरेट ऑफिस:501 बी, इलेजेण्ट बिजनेस पार्क, अन्धेरी कुर्ला रोड, जे.बी. नगर, अन्धेरी (ई.) मुंबई, 400059) जो भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 का -1 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "कंपनी" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादन पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है। जिसकी ओर से मुख्यतयार- श्री दीपक गुप्ता, संयुक्त प्रबंध संचालक, जो "एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश) लिमिटेड" में कार्य कर रहे हैं, के मध्य आज दिनांक 02 जून, 2011 को संपादित किया जा रहा है।

1. कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को (जिसे आगे राज्य शासन) कहा गया है, मध्यप्रदेश शासन उर्जा विभाग भोपाल के मध्य विद्युत उत्पादन के लिए हुये करार (एम.ओ.यू.) "एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश) लिमिटेड" (कार्पोरेट ऑफिस: 501 बी, इलेजेण्ट बिजनेस पार्क, अन्धेरी कुर्ला रोड, जे.बी. नगर, अन्धेरी (ई.) मुंबई, -400059) को छिंदवाड़ा जिले की तहसील-अमरवाड़ा के ग्राम-लछुआ की निजी भूमि रकबा-84.606 हेक्टेयर के मेसर्स एस.के.एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड द्वारा पॉवर प्लान्ट एवं कोल वॉसरी की स्थापना, कार्यालय भवन, स्कूल भवन, लेवर कॉलोनी आदि कार्यों के लिए परिशिष्ट-1 उल्लेखित निजी भूमि स्वामियों की प्रस्तावित भूमि एवं उस भूमि पर स्थित संरचनाएं एवं स्थित परिसंपत्तियों के भू-अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का क्रमांक-1) के प्रावधानों के अंतर्गत भू-अर्जन किये जाने हेतु आवेदन-पत्र पेश किया है। जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट-1 पर अंकित किया है :-

“परिशिष्ट-1”

ग्राम- लछुआ तहसील अमरवाड़ा जिला छिंदवाड़ा की निजी भूमि एव उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियों का विवरण

| क्रमांक | भूमिस्वामी का नाम पिता/पति का नाम | प्रस्तावित खसरा नंबर | कुल रकबा (हेक्टर में) | अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में) | अन्य विवरण |
|---------|--|--|----------------------------------|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ज्ञानाबाई बेवा मंगलसा सुमेरचंद कुबेरचंद जागेश पिता मंगलशा गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 3/1 5 | 5.532 1.052 | 5.532 1.052 | - - |
| | योग :- | 2 | 6.584 | 6.584 | - |
| 2 | लक्ष्मणप्रसाद पिता परसाद कलार निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 210 211/1 | 1.590 1.274 | 1.590 1.274 | - - |
| | योग :- | 1 | 2.864 | 2.864 | - |
| 3 | प्रकाश पिता रोशन कलार निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 211/2 | 0.243 | 0.243 | - |
| | योग :- | 1 | 0.243 | 0.243 | - |
| 4 | निरन पिता रोशन कलार निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 211/3 | 0.243 | 0.243 | - |
| | योग :- | 1 | 0.243 | 0.243 | - |
| 5 | गोविंद पिता रोशन कलार निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 211/4 | 0.243 | 0.243 | - |
| | योग :- | 1 | 0.243 | 0.243 | - |
| 6 | सोविंद पिता रोशन कलार निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 211/5 | 0.243 | 0.243 | - |
| | योग :- | 1 | 0.243 | 0.243 | - |
| 7 | महेश पिता रोशन कलार निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 211/6 | 0.243 | 0.243 | - |
| | योग :- | 1 | 0.243 | 0.243 | - |
| 8 | संतकुमार पिता सकरलाल कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 233/2 234/3 247/2 248/2 249/4 253/2 | 2.468 | 2.468 | - |
| | | 257/3 | 0.336 | 0.336 | - |
| | योग :- | 2 | 2.804 | 2.804 | - |
| 09 | अगहन, भोजे पिता ताराचंद गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी. | 240/1 246/1 250/1 251/1 | 0.813 1.000 0.770 0.089 | 0.813 1.000 0.770 0.089 | महुआ-02 कच्चा कुंआ-01 |
| | योग :- | 4 | 2.672 | 2.672 | - |

| | | | | | |
|----|---|--------|-------|-------|--------------|
| 10 | सुभाष पिता गुरु गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 240/2 | 1.000 | 1.000 | पक्का कुआ-01 |
| | योग :- | 1 | 1.000 | 1.000 | - |
| 11 | मेहतर, सेहतर पिता सोपत गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 246/2 | 0.015 | 0.015 | कच्चा कुआ-01 |
| | योग :- | 2 | 2.905 | 2.905 | - |
| 12 | ग्यासबती पिता नवलसिंग गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 246/3 | 4.211 | 4.211 | - |
| | योग :- | 1 | 4.211 | 4.211 | - |
| 13 | सतनीबाई पति सहतर गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 246/4 | 0.565 | 0.565 | - |
| | | 246/5 | 0.360 | 0.360 | - |
| | | 246/6 | 0.405 | 0.405 | - |
| | योग :- | 1 | 1.330 | 1.330 | - |
| 14 | सुनिया बेवा लालदास अबीरचंद सुकरचंद पिता लालदास कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 249/1 | 0.526 | 0.526 | - |
| | योग :- | 1 | 0.526 | 0.526 | - |
| 15 | गुलदास पिता रामू चैता, सुमेरचंद पिता गुलदास कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 249/6 | 0.720 | 0.720 | - |
| | योग :- | 1 | 0.720 | 0.720 | - |
| 16 | सुमरलाल, माना, सम्मा, पतिराम पिता भोपत कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 249/7 | 0.719 | 0.719 | - |
| | | 249/12 | 0.607 | 0.607 | - |
| | | 254/5 | 0.045 | 0.045 | - |
| | | 255/2 | 0.092 | 0.092 | - |
| | योग :- | 1 | 1.463 | 1.463 | - |
| 17 | भजनि, खयाली पिता गोलामली कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 249/8 | 0.478 | 0.478 | - |
| | | 254/1 | 0.141 | 0.141 | - |
| | योग :- | 1 | 0.619 | 0.619 | - |
| 18 | कौशल्या बेवा सूरन बिसनलाल पिता सूरन कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 249/9 | 0.363 | 0.363 | - |
| | | 254/2 | 0.109 | 0.109 | - |
| | | 254/3 | 0.081 | 0.081 | - |
| | योग :- | 2 | 0.553 | 0.553 | - |
| 19 | भंगन बेवा गोलन सजनलाल, छोटीबाई, सुकलिया पिता गोलन कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 232/3 | 0.304 | 0.304 | - |
| | | 249/10 | 0.304 | 0.304 | - |
| | योग :- | 2 | 0.608 | 0.608 | - |
| 20 | फकीरचंद, धरमचंद पिता लालदास कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 249/13 | 0.447 | 0.447 | - |
| | | 253/1 | 0.242 | 0.242 | - |
| | | | 0.689 | 0.689 | - |
| | | 255/3 | 0.095 | 0.095 | - |
| | योग :- | 2 | 0.784 | 0.784 | - |

| | | | | | |
|--------|---|--------|-------|-------|----------------|
| 21 | मेहतर पिता सोपत गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 250/2 | 1.651 | 1.651 | - |
| | | 251/2 | 0.870 | 0.870 | - |
| | योग :- | 2 | 2.521 | 2.521 | - |
| 22 | नरेश पिता असाडु कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 236/2 | 0.219 | 0.219 | तिनसा- 15 |
| | | 238/2 | 0.554 | 0.554 | महुआ- 01 |
| | | 247/6 | 0.196 | 0.196 | सागौन- 01 |
| | | | 0.750 | 0.750 | कच्चा मकान- 01 |
| | | 252/2 | 0.077 | 0.077 | कच्चा कुंआ-01 |
| योग :- | 3 | 1.046 | 1.046 | - | |
| 23 | सनीराम पिता आसडू कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 236/5 | 0.219 | 0.219 | - |
| | | 252/3 | 0.077 | 0.077 | - |
| | | 238/4 | 0.554 | 0.554 | - |
| | | 247/7 | 0.196 | 0.196 | - |
| | | | 0.750 | 0.750 | - |
| योग :- | 3 | 1.046 | 1.046 | - | |
| 24 | नारायण पिता असाडू कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 252/5 | 0.109 | 0.109 | - |
| | | 235/2 | 0.081 | 0.081 | तिनसा- 10 |
| | | 236/3 | 0.219 | 0.219 | बेर - 01 |
| | | 237/1 | 0.502 | 0.502 | नीलगिरी - 02 |
| | | 238/3 | 0.356 | 0.356 | बबूल - 01 |
| | | | 1.158 | 1.158 | - |
| योग :- | 2 | 1.267 | 1.267 | - | |
| 25 | उजरलाल पिता बाबू कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 254/4 | 0.074 | 0.074 | - |
| | | 255/1 | 0.096 | 0.096 | - |
| | | | 0.170 | 0.170 | - |
| | | 247/1 | 0.047 | 0.047 | - |
| | | 248/1 | 0.142 | 0.142 | - |
| | | 249/15 | 0.570 | 0.570 | - |
| | | | 0.759 | 0.759 | - |
| योग :- | 2 | 0.929 | 0.929 | - | |
| 26 | सूरजवती बेवा सकरलाल, संतराम पिता सकरलाल सविता, अनीता, तिरमाबाई पिता सकरलाल कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 257/1 | 0.336 | 0.336 | - |
| | | योग :- | 1 | 0.336 | 0.336 |
| 27 | केराबाई पिता सकरलाल कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 257/2 | 0.635 | 0.635 | - |
| | | योग :- | 1 | 0.635 | 0.635 |
| 28 | जीरा, मीरा पिता रिंदो रामजी, सोमजी, किशनलाल पिता बराती गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 258 | 0.526 | 0.526 | - |
| | | योग :- | 1 | 0.526 | 0.526 |

| | | | | | |
|----|---|--------|-------|-------|---|
| 29 | गणेश पिता सेकू रामवती पिता सेकू गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 260 | 0.364 | 0.364 | - |
| | | 266 | 0.235 | 0.235 | - |
| | योग :- | 2 | 0.599 | 0.599 | - |
| 30 | सुदमानसा पिता सुम्नन कचरा बेवा सुम्नन गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 261/1 | 0.710 | 0.710 | पक्का कुआ - 01 महुआ-03 चार - 04 |
| | | 262/1 | 0.969 | 0.969 | |
| | योग :- | 2 | 1.679 | 1.679 | - |
| 31 | सुशीलाबाई पिता गुलमानसा गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 261/3 | 0.500 | 0.500 | - |
| | | 262/3 | 0.500 | 0.500 | |
| | | | 1.000 | 1.000 | |
| | योग :- | 2 | 1.000 | 1.000 | - |
| 32 | गुलमानसा पिता वीरन गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 261/2 | 1.214 | 1.214 | चार - 02 महुआ - 01 आम - 01 |
| | | | | | |
| | योग :- | 1 | 1.214 | 1.214 | - |
| 33 | रामकली पिता जगन कुसुम बाई बेवा जगन गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 262/2 | 0.129 | 0.129 | - |
| | | | | | |
| | योग :- | 1 | 0.129 | 0.129 | - |
| 34 | बिस्तू पिता मिटू ज्ञानलाल, ज्ञानचंद पिता सूबेलाल सोमवति बेवा गनपत समलवती बेवा सखाराम अशोक, संतोष, कमल पिता सखाराम गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 263/1 | 1.376 | 1.376 | आम - 02 चार - 10 महुआ - 02 महुआ - 02 |
| | | 264/1 | 2.395 | 2.395 | |
| | | | | | |
| | योग :- | 2 | 3.771 | 3.771 | - |
| 35 | सेहतर पिता सोपत गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 263/2 | 1.130 | 1.130 | कच्चा कुआ - 01 |
| | | 264/2 | 1.719 | 1.719 | |
| | | | 2.849 | 2.849 | |
| | योग :- | 1 | 2.849 | 2.849 | - |
| 36 | अगहन पिता ताराचंद गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 263/3 | 0.405 | 0.405 | - |
| | | 264/3 | 0.809 | 0.809 | |
| | | | 1.214 | 1.214 | |
| | योग :- | 1 | 1.214 | 1.214 | - |
| 37 | भोजे पिता ताराचंद गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 263/4 | 0.344 | 0.344 | - |
| | | 264/4 | 0.870 | 0.870 | |
| | | | 1.214 | 1.214 | |
| | योग :- | 1 | 1.214 | 1.214 | - |
| 38 | धीरा पिता सुक्कन गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 263/5 | 0.324 | 0.324 | - |
| | | 264/5 | 0.162 | 0.162 | |
| | | | 0.486 | 0.486 | |
| | योग :- | 1 | 0.486 | 0.486 | - |
| 39 | ज्ञानचंद, ज्ञानलाल पिता सूबेलाल गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 265/1 | 3.480 | 3.480 | महुआ - 07 चार - 03 |
| | | 268/14 | 1.356 | 1.356 | |
| | योग :- | 2 | 4.836 | 4.836 | - |

| | | | | | |
|--------|---|--------|-------|-------|------------------------------------|
| 40 | संतरा, केशरिया, किसिया पिता शंकरलाल संतकुमार पिता शंकरलाल कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 265/2 | 0.688 | 0.688 | - |
| | | 268/7 | 0.971 | 0.971 | - |
| | | 268/9 | 0.202 | 0.202 | - |
| | योग :- | 2 | 1.861 | 1.861 | - |
| 41 | सामवतीबाई बेवा सखाराम गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 267/1 | 1.610 | 1.610 | - |
| योग :- | 1 | 1.610 | 1.610 | - | |
| 42 | अशोक पिता सखाराम गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 267/2 | 1.845 | 1.845 | - |
| योग :- | 1 | 1.845 | 1.845 | - | |
| 43 | संतोष पिता सखाराम गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 267/3 | 1.846 | 1.846 | - |
| योग :- | 1 | 1.846 | 1.846 | - | |
| 44 | कमल पिता सखाराम गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 267/4 | 1.846 | 1.846 | - |
| योग :- | 1 | 1.846 | 1.846 | - | |
| 45 | मीराबाई बेवा धीरा गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 268/4 | 0.475 | 0.475 | - |
| | | 268/8 | 0.477 | 0.477 | - |
| | | योग :- | 1 | 0.952 | 0.952 |
| | योग :- | 1 | 0.952 | 0.952 | - |
| 46 | मलखू, पिरमू पिता दल्लू कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 268/6 | 0.016 | 0.016 | - |
| योग :- | 1 | 0.016 | 0.016 | - | |
| 47 | बिस्तू पिता भिंदू गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 269 | 0.583 | 0.583 | पक्का मकान - 01 कुंआ कच्चा - 01 |
| योग :- | 1 | 0.583 | 0.583 | - | |
| 48 | बुधन पिता बाबाजी गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 271 | 0.849 | 0.849 | महुआ - 04 चार - 01 |
| | | 272 | 0.523 | 0.523 | |
| | | योग :- | 1 | 1.372 | |
| | योग :- | 1 | 1.372 | 1.372 | - |
| 49 | मधुकर, विद्याधर पिता शंकरराव पुष्पा बेवा रमाकांत राजू जयंत, आनंद पिता रमाकांत छाया बेवा दत्तात्रेयराव, किरण पिता दत्तात्रेयराव नीता बेवा सुरेश ब्राम्हण निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 273 | 1.056 | 1.056 | - |
| योग :- | 1 | 1.056 | 1.056 | - | |
| 50 | फागलाल, अमरचंद पिता गोलन छोटीबाई, सुकलीबाई पिता गोलन भंगन बेवा गोलन सजनलाल, जगनलाल पिता गोलन कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 231 | 0.458 | 0.458 | - |
| | | 232/1 | 0.486 | 0.486 | - |
| | | 234/1 | 0.061 | 0.061 | - |
| | | 249/2 | 3.460 | 3.460 | - |
| | योग :- | 2 | 4.007 | 4.007 | - |
| योग :- | 2 | 4.465 | 4.465 | - | |

| | | | | | |
|----|---|---|--|--|---|
| 51 | ग्यासबती बेवा झनकलाल ममता, शकुन, शांति पिता झनकलाल, बलराम पिता झनकलाल कलार निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 230/1 | 1.549 | 1.549 | - |
| | योग :- | 1 | 1.549 | 1.549 | - |
| 52 | मंतलाल पिता बैसाखू जाति कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 236/4 237/3 247/4 249/14 | 0.013 0.125 0.027 1.127 | 0.013 0.125 0.027 1.127 | चार - 08 तिनसा - 02 |
| | योग :- | 1 | 1.292 | 1.292 | - |
| 53 | संतलाल पिता बैसाखू जाति कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 235/3 236/1 237/1 247/3 248/3 249/11 | 0.162 0.013 0.126 0.027 0.101 0.963 | 0.162 0.013 0.126 0.027 0.101 0.963 | बेहड़ा - 01 सागौन - 03 |
| | योग :- | 1 | 1.392 | 1.392 | - |
| 54 | उर्मिला पति लखन गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 274 | 2.016 | 2.016 | - |
| | योग :- | 1 | 2.016 | 2.016 | - |
| 55 | रोशन लालमन, लाला लालचंद, फूलचंद, निरमू हरमन, हरलाल, हल्केलाल, पिता रूपचंद, चूडामन, हीरालाल, मुन्नालाल पिता हरचंद, प्रहलाद मोहनलाल, पिता भागचंद गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 230/2 | 1.579 | 1.579 | - |
| | योग :- | 1 | 1.579 | 1.579 | - |
| 56 | गिरेश पिता असाडू कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 172/5 235/3 236/4 237/2 238/3 | 0.016 0.081 0.219 0.501 0.354 | 0.016 0.081 0.219 0.501 0.354 | चार - 05 साज - 01 बांस - 03 महुआ - 01 बबूल - 04 जाम - 01 आम - 02 तिनसा - 02 पीपल - 01 कुंआ कच्चा- 01 मकान पक्का- 01 |
| | योग :- | 1 | 1.171 | 1.171 | - |
| | कुल योग | | 84.606 हेक्टेयर | 84.606 हेक्टेयर | मकान कच्चे / पक्के-03 कुंरे कच्चे / पक्के- 08 विभिन्न प्रजातियों के -119 वृक्ष |

2. राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है, मध्यप्रदेश शासन उर्जा विभाग भोपाल के मध्य विद्युत उत्पादन के लिए हुये करार (एम.ओ.यू.) "एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश) लिमिटेड" (कार्पोरेट ऑफिस : 501 बी, इलेजेंट बिजनेस पार्क, अन्धेरी कुर्ला रोड, जे.बी. नगर, अन्धेरी (ई.) मुंबई, -400059) मेसर्स एस.के.एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड द्वारा पॉवर प्लान्ट एवं कोल वॉसरी की की स्थापना, कार्यालय भवन, स्कूल भवन, लेवर कॉलोनी आदि कार्यों के लिए उक्त विद्युत उत्पादन परियोजना का किग्रान्वयन प्रदेश के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है.
3. कंपनी के भू-अर्जन आवेदन-पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 22 फरवरी 2011 को संपन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-12-04/2010/सात/2ए/भोपाल दिनांक 11 मार्च 2011 के अंतर्गत भू-अर्जन की शर्त (विहित की गई शर्तों के अधीन) अनुमति प्रदान की गई है. इसका इस अनुबंध-पत्र में समावेश किया गया है.
4. कंपनी को प्रदत्त अनुमति की शर्तों के पालन में कंपनी को राज्यपाल के साथ भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-41 के अंतर्गत विहित किये गये प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है. कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध-पत्र निष्पादित किया जाता है.

कंपनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है, कि :-

- (क) कंपनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसे समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेगी जो भू-अर्जन अधिनियम 1894 के प्रावधानों के अंतर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी.
 - (ख) कंपनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों (खर्च) का भुगतान भी करेगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू-अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा.
 - (ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट-1 में वर्णित निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियाँ कंपनी को प्रदान करेगा.
1. छिंदवाड़ा जिले की तहसील-अमरवाड़ा के ग्राम-लछुआ की निजी भूमि रकबा-84.606 हेक्टेयर के मेसर्स एस.के.एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड द्वारा पॉवर प्लान्ट एवं कोल वॉसरी की की स्थापना, कार्यालय भवन, स्कूल भवन, लेवर कॉलोनी आदि संकर्मों के निर्माण हेतु कंपनी द्वारा प्रस्तुत किये गये भू-अर्जन आवेदन-पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 22 फरवरी 2011 को संपन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ- 12-04/2010/सात/2ए/भोपाल दिनांक 11 मार्च 2011 के अंतर्गत निम्न शर्तों पर भू-अर्जन की स्वीकृति प्रदान की गई है.

- (i) आवेदक कंपनी द्वारा भारत सरकार के द्वारा घोषित वर्ष 2007 अधिसूचित दिनांक 31/10/2007 के तहत राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति लागू होगी जिसके अधीन आवेदक कंपनी द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन की कार्यवाही विधिवत की जाए. मध्यप्रदेश शासन द्वारा यदि केन्द्र शासन की नीति के अलावा मध्यप्रदेश के लिए अन्य कोई शर्तें या निर्देश प्रसारित किये जाते हैं तो वे भी लागू किये जावेंगे.
- (ii) आवेदक कंपनी द्वारा (इस आशय की करारनामें या वचनबद्धता के अनुसार) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है, उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिये पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.
- (iii) आवेदक कंपनी द्वारा भू-अर्जन अधिनियम के अंतर्गत भू-अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत-प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरांत ही कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही की जाए.
- (iv) आवेदक कंपनी द्वारा संबंधित कंपनी के लिए भू-अर्जन किये जाने संबंधित कार्य संबंधित कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के अनुसार किया जाए.
- (v) आवेदक कंपनी द्वारा संबंधित परियोजनाओं को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा मध्यप्रदेश पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जायेगी.
- (vi) आवेदक कंपनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करेगें.
- (vii) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था नगर तथा ग्राम निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं से आवश्यक आपत्तियां संबंधित कंपनी को प्राप्त करना होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जायेगा.
- (viii) आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की गई निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.


- (ix) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जित की जा रही है वह उपयोग कंपनी द्वारा किया जायेगा.
- (x) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि पर निर्माण कार्य करते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.
- (xi) आवेदक कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अंतरित करने का अधिकार नहीं होगा. (धारा 44-ए भू-अर्जन अधिनियम के तहत)
- (xii) यदि आवेदक कंपनी को दी गई भूमि/भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें, शासन को अपने कब्जों में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.
- (xiii) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.
- (xiv) आवेदक कंपनी द्वारा शासन की पुर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.
- (xv) आवेदक कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी. इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा कि पर्यावरण जल स्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.
- (xvi) आवेदक कंपनी द्वारा यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं किया जाता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों संपत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.
- (xvii) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा ना तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जायेगा और ना ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.


- (xviii) आवेदक कंपनी द्वारा मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू-अर्जन की कार्यवाही के दौरान कलेक्टर द्वारा लगाई जाने वाली अन्य आवश्यक शर्तें.
- (xix) आवेदक कंपनी द्वारा पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.
- (xx) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि जिस प्रयोजन के लिए अर्जित की जा रही हो, उससे भिन्न प्रयोजन के लिये उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी.
- (xxi) आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण का अधिकार होगा.
- (xxii) आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी.
2. आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में भू-अर्जन की कार्यवाही के पूर्व यह भी देख लिया जाये कि, यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने पश्चात ही यह अनुमति प्रभावशील होगी, इसके साथ ही इस परिस्थिति में वैकल्पिक भूमि क़य कर देने की कार्यवाही की जायेगी.
3. आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में भू-अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये, कि प्रस्तावित परियोजना में वन अभ्यारण क्षेत्र (सेन्च्युरी) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है. यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी.
4. भू-अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व कंपनी से आदर्श पुनर्वास नीति 2002 एवं भारत सरकार की पुनर्वास नीति 2007 के अनुसार जिन कृषकों भूमि अर्जित की जा रही है. उनके संबंध में क्या सुविधाएं कंपनी देगी, पुनर्वास पैकेज प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाए.

5. आवेदक कंपनी से भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-41 के प्रावधानों अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये, जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया जाये.
6. आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बाबद् शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये.


दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क्रमांक-1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा एवं पक्ष क्रमांक-2 की ओर से श्री दीपक गुप्ता, संयुक्त प्रबंध संचालक, जो "एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश) लिमिटेड" (कार्पोरेट ऑफिस : 501 बी, इलेजेण्ट बिजनेस पार्क, अन्धेरी कुर्ला रोड, जे.बी. नगर, अन्धेरी (ई.) मुंबई, -400059) स्थानीय कार्यालय, विवेकानंद कॉलोनी छिंदवाड़ा द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध-पत्र उल्लेखित साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है.


साक्षियों के हस्ताक्षर
(पूरा नाम पिता का नाम एवं पूरा पता)
साक्षी क्रं.-1


नाम :- (डॉ. श्रीनिवास शर्मा)
अतिरिक्त कलेक्टर
पता : शासकीय आवास गृह
साउथ सिविल लाईन छिंदवाड़ा

साक्षी क्रं.-2

नाम :- सतपाल सिंह अरोरा
पिता का नाम :- कस्तूरीलाल जी अरोरा
पता : 403 गंगाधाम अपार्टमेंट 148
गिरीपेठ जे.बी.-3 ठक्कर मार्ग नागपुर-10
(महाराष्ट्र राज्य)

पक्ष क्रमांक-1
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(पवन कुमार शर्मा)
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग,
जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)

पक्ष क्रमांक-2

For, SKS Power Generation (M.P.) Ltd.
(दीपक गुप्ता)
DIRECTOR
संयुक्त प्रबंध संचालक,
"एस.के.एस. पॉवर जनरेशन
(मध्यप्रदेश) लिमिटेड"

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिंगरौली, दिनांक 16 मई 2011

क्र. 711-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

| जिला | भूमि का वर्णन | | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|----------|---------------|-----------|----------------------------------|---|---|
| | तहसील | नगर/ग्राम | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सिंगरौली | चितरंगी | मटिहनी | 0.36 | भू-अर्जन अधिकारी, चितरंगी | चितरंगी बगैया बाया गेरुई सुलखान मार्ग के किमी. 33/2 में गोतान नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय सिंगरौली में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी.नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 18 मई 2011

क्र. 877-भू-अर्जन-2011-प्र. क्र. 01-अ-2010-11-कले. प्र. क्र. 25-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अंतर्गत सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

| जिला | भूमि का वर्णन | | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---------|---------------|-----------|--------------------------------|---|--|
| | तहसील | ग्राम/नगर | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| बड़वानी | बड़वानी | भामटा | 1.821 | कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि.न. घा.वि.प्रा., स.स.प. पुनर्वास संभाग बड़वानी. | सरदार सरोवर परियोजना (अंतर्राज्यीय परियोजना) से प्रभावित ग्राम आवल्दा के पुर्नबसाहट हेतु. |

नोट.—2. भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि.न. घा.वि.प्रा., स.स.प. पुनर्वास संभाग, बड़वानी के कार्यालय में कार्यलयीन समय पर अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संतोष मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 25 मई 2011

प्र. क्र. 1 अ-82-वर्ष 2009-10-भू-अर्जन-3982.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| जिला | भूमि का वर्णन | | | धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|-------|---------------|-----------|-------------------------------|---|--|
| | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| बैतूल | घोड़ाडोंगरी | झाडकुण्ड | 8.117 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 2, बैतूल. | झाडकुण्ड जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन. |

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
- (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहपुर जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 6 अ-82-वर्ष 2009-10-भू-अर्जन-3981.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| जिला | भूमि का वर्णन | | | धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|-------|---------------|-----------|-------------------------------|---|--|
| | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| बैतूल | घोड़ाडोंगरी | चिखली | 9.036 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 2, बैतूल. | झाडकुण्ड जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन. |

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
- (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहपुर जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय आनंद कुरील, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 25 मई 2011

क्र. 1559-भू-अर्जन-2010-रा.प्र.क्र. . . -अ 82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|---------|---------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| जिला | तहसील | ग्राम | क्षेत्रफल भूमि (हेक्टेयर में) | द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| झाबुआ | पेटलावद | सामली | 0.62 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन | पनास तालाब निर्माण हेतु |
| | | योग . . | <u>0.62</u> | संभाग क्र. 1, झाबुआ. | |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

झाबुआ, दिनांक 27 मई 2011

क्र. 1690-भू-अर्जन-2010-रा.प्र.क्र. . . -अ 82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|---------|----------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| जिला | तहसील | ग्राम | क्षेत्रफल भूमि (हेक्टेयर में) | द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| झाबुआ | पेटलावद | चारणपुरा | 1.01 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन | बेड़दा तालाब निर्माण हेतु |
| | | योग . . | <u>1.01</u> | संभाग क्र. 1, झाबुआ. | |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 1691-भू-अर्जन-2010-रा.प्र.क्र. . . -अ 82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि

के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|---------|---------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| जिला | तहसील | ग्राम | क्षेत्रफल भूमि (हेक्टेयर में) | द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| झाबुआ | पेटलावद | पनास | 5.02 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन | पनास तालाब निर्माण हेतु |
| | | योग . . | <u>5.02</u> | संभाग क्र. 1, झाबुआ. | |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 1693-भू-अर्जन-2010-रा.प्र.क्र. . . -अ 82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|---------|---------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| जिला | तहसील | ग्राम | क्षेत्रफल भूमि (हेक्टेयर में) | द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| झाबुआ | पेटलावद | काजबी | 17.63 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन | पनास तालाब निर्माण हेतु |
| | | योग . . | <u>17.63</u> | संभाग क्र. 1, झाबुआ. | |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शोभित जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 27 मई 2011

क्र. क-4187-भू-अर्जन-2011-प्र.क्र. 12-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में इसके सामने दिये गये बीला फीडर नहर निर्माण हेतु आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि

के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | | धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---------------|-------|--------|-------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|
| जिला | तहसील | ग्राम | पटवारी हल्का नंबर | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | (6) |
| सागर | बण्डा | कैथौरा | 82 | 8.19 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, सागर. (म. प्र.). | बीला फीडर नहर निर्माण हेतु. |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है—बीला फीडर नहर निर्माण हेतु ग्राम—कैथौरा.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, बण्डा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क-4186-भू-अर्जन-2011-प्र.क्र. 19-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये बीला फीडर नहर निर्माण हेतु आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | | धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---------------|--------|---------|-------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|
| जिला | तहसील | ग्राम | पटवारी हल्का नंबर | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | (6) |
| सागर | शाहगढ़ | ततरवारा | 44 | 4.12 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, सागर. (म. प्र.). | बीला फीडर नहर निर्माण हेतु. |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है—बीला फीडर नहर निर्माण हेतु ग्राम—ततरवारा.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, बण्डा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मह, दिनांक 30 मई 2011

क्र. 1563-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह

भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा सह 17 (1) सह 17 (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|---|
| जिला | तहसील | ग्राम | क्षेत्रफल (हेक्टर में) | अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| इन्दौर | डॉ. अम्बेडकर नगर (महू). | मानपुर सिहोद खेडी दुर्जनपुरा | 1.510 2.637 0.020 3.563 | संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, लिमिटेड, इन्दौर. | लेबड-मानपुर फोरलेन निर्माण के लिए छूटी हुई भूमि का अर्जन. |
| | | | योग . . 7.730 | | |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—लेबड-मानपुर फोरलेन निर्माण के लिए.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड इन्दौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राघवेंद्रसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 1 जून 2011

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ.-10-पत्र क्र. 276-भू-अर्जन-08.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|--------|-------|------------------------------|---|--|
| जिला | तहसील | ग्राम | अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) | द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सतना | उचेहरा | इचौल | 1.657 | कार्यपालन यंत्री, न.घा.वि. संभाग क्रमांक 07, सतना. | बरगी व्यपवर्तन योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ.-10-पत्र क्र. 277-भू-अर्जन-08.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5)

में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|--------|-------|-----------------------------------|---|--|
| जिला | तहसील | ग्राम | अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग | द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सतना | उचेहरा | इचौल | 9.162 | कार्यपालन यंत्री, न.घा.वि. संभाग क्रमांक 07, सतना. | बरगी व्यपवर्तन योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु. |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. . . .-10-पत्र क्र. 278-भू-अर्जन-08.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|-------|--------|----------------------------------|---|--|
| जिला | तहसील | ग्राम | अर्जनीय रकबा (हेक्टर में)लगभग | द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सतना | मैहर | पथरहटा | 0.031 | कार्यपालन यंत्री, न.घा.वि. संभाग क्रमांक 09, मैहर. | दायीं तट की सतना रीवा मुख्य नहर निर्माण हेतु. |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 1 जून 2011

प्र. क्र. 2-भू.अ.-ए-82-10-11-सात-1.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. :-

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के | सार्वजनिक प्रयोजन | |
|---------------|------------------|---------------------|--|----------------------------|--|---|
| जिला | तहसील/ तालुका | नगर/ग्राम का नाम | लगभग क्षेत्रफल खसरा नंबर अर्जित किया जाने वाले हैं | अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
| भोपाल | बैरसिया/भोपाल | कोटरा चौपड़ा | 159/3 | 1.583 | कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2, विदिशा. | सम्राट अशोक सागर जलाशय का जलस्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु. |
| | | | 159/1/1 | 0.809 | | |
| | | | 160/1/1 | 0.992 | | |
| | | | 160/2 | 1.283 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|-----|-----|-------------|--------|-----|
| | | | 167/1 | 1.263 | |
| | | | 167/2 | 1.287 | |
| | | | 163 | 1.619 | |
| | | | 164 | 0.263 | |
| | | | 165 | 1.360 | |
| | | | 168 | 0.150 | |
| | | | 196 | 0.238 | |
| | | | 198 | 0.169 | |
| | | | 200 | 0.259 | |
| | | | 194 | 0.295 | |
| | | | 197/255/199 | 0.312 | |
| | | | 209 | 0.251 | |
| | | | 246/1 | 0.140 | |
| | | | 246/2 | 0.133 | |
| | | | 247/1/1 | 0.084 | |
| | | | 247/1/2 | 0.084 | |
| | | | 247/2 | 0.084 | |
| | | | 247/3 | 0.084 | |
| | | | 160/1/3 | 0.250 | |
| | | | 160/1/2 | 1.200 | |
| | | | 167/3 | 0.093 | |
| | | | कुल योग . . | 14.285 | |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 4-भू.अ.-ए-82-10-11-सात-1.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. :-

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | अनुसूची | | धारा 4 की उपधारा (2) के | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|------------------|---------------------|---|---|---|
| जिला | तहसील/ तालुका | नगर/ग्राम का नाम | लगभग क्षेत्रफल नंबर अर्जित किया जाने वाले हैं | अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| भोपाल | बैरसिया/भोपाल | खैजड़ा बब्बर | 74, 75/1/2क 74, 75/1/2ग 74, 75/1/2ख 73/2 68, 69/2 | 0.023 0.405 1.619 2.023 1.011 | कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2, विदिशा. सम्राट अशोक सागर जलाशय का जलस्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|-----|-----|--------------|-----|-------|
| | | | 67/2 | | 1.214 |
| | | | 66/2 | | 1.214 |
| | | | 187/2, | } | 1.023 |
| | | | 187/1/2/2क | | |
| | | | 59/1 | | 1.000 |
| | | | 352/60/1 | | 0.057 |
| | | | 187/2, | } | 1.023 |
| | | | 187/1/2/2ड | | |
| | | | 61/2 | | 0.040 |
| | | | 187/2, | } | 1.023 |
| | | | 187/1/2/2ग | | |
| | | | 61/1 | | 0.253 |
| | | | 187/2, | } | 1.023 |
| | | | 187/1/2/2घ | | |
| | | | 51/2 | | 1.214 |
| | | | 52, 53/2क | | 0.490 |
| | | | 52, 53/2ख | | 0.494 |
| | | | 56/2/1 | | 1.672 |
| | | | 56/2/2 | | 1.672 |
| | | | 187/2, | } | 0.709 |
| | | | 187/1/2/2च 1 | | |
| | | | 149/2/2 | | 0.405 |
| | | | 56/2/3 | | 1.668 |
| | | | 56/2/4 | | 1.668 |
| | | | 26/2क | | 1.279 |
| | | | 27/2 | | 0.186 |
| | | | 187/2, | } | 1.023 |
| | | | 187/1/2/2ख | | |
| | | | 352/60/2 | | 0.024 |
| | | | 62 | | 1.404 |
| | | | 48/1 | | 0.583 |
| | | | 26/2ख | | 0.884 |
| | | | 187/2, | } | 1.011 |
| | | | 187/1/2/2च2 | | |
| | | | 48/2 | | 2.285 |
| | | | 191 | | 1.076 |
| | | | 54/2/1 | | 0.583 |
| | | | 48/3 | | 0.462 |
| | | | 54/2/3 | | 0.659 |
| | | | 54/2/2 | | 0.579 |
| | | | 145/2/2 | | 0.696 |
| | | | 145/2/1 | | 0.692 |
| | | | 145/3 | | 0.158 |
| | | | 146/1 | | 1.268 |
| | | | 188/2/3/2 | | 1.088 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|-----|-----|-------------|--------|-----|
| | | | 146/3/2 | 0.120 | |
| | | | 147 | 1.092 | |
| | | | 143/4 | 1.254 | |
| | | | 146/2 | 1.011 | |
| | | | 146/3/1 | 2.833 | |
| | | | 183/2क | 0.539 | |
| | | | 187/1/1/1क | 0.773 | |
| | | | 183/2ख | 0.539 | |
| | | | 187/1/1/1ख | 0.773 | |
| | | | 149/2/1 | 0.405 | |
| | | | 183/2ग | 0.539 | |
| | | | 187/1/1/1ग | 0.773 | |
| | | | 186 | 2.262 | |
| | | | 187/1/1/2 | 2.000 | |
| | | | 192/2/1 | 3.237 | |
| | | | 192/2/2 | 2.423 | |
| | | | कुल योग . . | 61.456 | |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 5-भू.अ.-ए-82-10-11-सात-1.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. :-

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | धारा 4 (2) के | | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|------------------|---------------------|---|---|
| जिला | तहसील/ तालुका | नगर/ग्राम का नाम | लगभग क्षेत्रफल खसरा नंबर अर्जित किया जाने वाले हैं खसरा नं. रकबा (हेक्टर में) | अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| भोपाल | बैरसिया/भोपाल | बड़ोरी | 712 0.050 | कार्यपालन यंत्री, सम्राट |
| | | | 713 0.730 | अशोक सागर संभाग क्र. 2, |
| | | | 714 0.200 | विदिशा. |
| | | | 666 0.960 | |
| | | | 683 1.030 | |
| | | | 715 0.720 | |
| | | | 717 0.500 | |
| | | | 726 0.030 | |
| | | | | सम्राट अशोक सागर जलाशय का जलस्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|-----|-----|-------------|---------------|-----|
| | | | 581/2 | 0.700 | |
| | | | 662 | 0.880 | |
| | | | 663 | 0.480 | |
| | | | 677 | 1.130 | |
| | | | 678 | 0.100 | |
| | | | 679/2 | 0.040 | |
| | | | 582 | 0.620 | |
| | | | 583 | 0.600 | |
| | | | 585 | 0.080 | |
| | | | 574/1 | 0.240 | |
| | | | 679/1/1 | 0.640 | |
| | | | 679/1/2 | 0.630 | |
| | | | 580 | 1.000 | |
| | | | 574/2 | 0.570 | |
| | | | 579/2 | 0.050 | |
| | | | 724 | 0.110 | |
| | | | 725 | 0.850 | |
| | | | 305 | 1.070 | |
| | | | 732 | 0.810 | |
| | | | 734 | 0.820 | |
| | | | 735 | 0.190 | |
| | | | 736 | 0.350 | |
| | | | 737 | 1.120 | |
| | | | 710 | 0.100 | |
| | | | 711 | 0.700 | |
| | | | 668 | 0.160 | |
| | | | 670 | 0.340 | |
| | | | 671 | 0.550 | |
| | | | 674 | 1.250 | |
| | | | 664 | 0.410 | |
| | | | 665 | 0.880 | |
| | | | 685/1 | 0.150 | |
| | | | 792 | 0.150 | |
| | | | 793 | 0.770 | |
| | | | 723 | 0.970 | |
| | | | 727 | 0.030 | |
| | | | 733 | 1.410 | |
| | | | 728 | 1.390 | |
| | | | 729 | 0.120 | |
| | | | 730 | 0.260 | |
| | | | 731 | 0.250 | |
| | | | कुल योग . . | <u>27.190</u> | |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 6-भू.अ.-ए-82-10-11-सात-1.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. :-

अनुसूची

| जिला | तहसील/ तालुका | भूमि का वर्णन | | धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी | | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|-------|------------------|------------------|--|--|--|--|
| | | नगर/ग्राम का नाम | लगभग क्षेत्रफल खसरा नंबर अर्जित किया जाने वाले हैं | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
| भोपाल | बैरसिया/भोपाल | चार पहाड़ी | 181 | 0.410 | कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2, विदिशा. | सम्राट अशोक सागर जलाशय का जलस्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु. |
| | | | 183 | 0.100 | | |
| | | | 184 | 1.200 | | |
| | | | 185 | 0.260 | | |
| | | | 186 | 0.130 | | |
| | | | 187 | 0.250 | | |
| | | | कुल योग . . | 2.350 | | |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 7-भू.अ.-ए 82-10-11-सात-1.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. :-

अनुसूची

| जिला | तहसील/ तालुका | भूमि का वर्णन | | धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी | | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|-------|------------------|------------------|--|--|--|--|
| | | नगर/ग्राम का नाम | लगभग क्षेत्रफल खसरा नंबर अर्जित किया जाने वाले हैं | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
| भोपाल | बैरसिया/भोपाल | रोंझियां | 5 | 1.490 | कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2, विदिशा. | सम्राट अशोक सागर जलाशय का जलस्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु. |
| | | | 19/2 | 0.180 | | |
| | | | 6 | 1.480 | | |
| | | | 19/1 | 0.130 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|-----|-----|------|-------|-----|
| | | | 77 | 0.060 | |
| | | | 11/1 | 1.380 | |
| | | | 11/2 | 0.700 | |
| | | | 17 | 1.380 | |
| | | | 18 | 1.380 | |
| | | | 27/1 | 0.230 | |
| | | | 27/2 | 0.230 | |
| | | | 27/3 | 0.230 | |
| | | | 27/4 | 0.120 | |
| | | | 27/5 | 0.020 | |
| | | | 38 | 0.100 | |
| | | | 28 | 0.590 | |
| | | | 29 | 1.020 | |
| | | | 30 | 0.820 | |
| | | | 39 | 0.100 | |
| | | | 31/2 | 0.360 | |
| | | | 31/1 | 0.240 | |
| | | | 32 | 0.610 | |
| | | | 33 | 1.180 | |
| | | | 40 | 0.920 | |
| | | | 41 | 0.460 | |
| | | | 42 | 0.460 | |
| | | | 71 | 0.200 | |
| | | | 56 | 0.320 | |
| | | | 57/1 | 1.350 | |
| | | | 66 | 0.070 | |
| | | | 58 | 0.090 | |
| | | | 63 | 0.420 | |
| | | | 62 | 0.510 | |
| | | | 76 | 0.090 | |
| | | | 64 | 0.460 | |
| | | | 65 | 0.450 | |
| | | | 215 | 0.200 | |
| | | | 67 | 0.630 | |
| | | | 72 | 0.160 | |
| | | | 73 | 0.160 | |
| | | | 74 | 0.160 | |
| | | | 75 | 0.060 | |
| | | | 84 | 0.210 | |
| | | | 86 | 0.160 | |
| | | | 87 | 0.170 | |
| | | | 88 | 0.290 | |
| | | | 89 | 1.200 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|-----|-----|-------------|---------------|-----|
| | | | 90 | 0.710 | |
| | | | 91 | 2.020 | |
| | | | 92 | 0.720 | |
| | | | 93 | 0.300 | |
| | | | 95 | 0.730 | |
| | | | 312/95 | 0.730 | |
| | | | 96 | 0.400 | |
| | | | 98 | 1.200 | |
| | | | 104 | 1.050 | |
| | | | 105 | 0.560 | |
| | | | 106 | 0.410 | |
| | | | 107 | 0.160 | |
| | | | 108 | 4.670 | |
| | | | 113 | 0.200 | |
| | | | 114 | 0.090 | |
| | | | 115 | 0.340 | |
| | | | 116 | 0.280 | |
| | | | 117 | 0.430 | |
| | | | 202 | 0.280 | |
| | | | 234 | 2.260 | |
| | | | 235/1 | 0.720 | |
| | | | 235/2 | 0.060 | |
| | | | 12 | 0.810 | |
| | | | कुल योग . . | <u>42.360</u> | |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 8-भू.अ.-ए-82-10-11-सात-1.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 (2) के | सार्वजनिक प्रयोजन | |
|---------------|------------------|---------------------|--|----------------------------|--|---|
| जिला | तहसील/ तालुका | नगर/ग्राम का नाम | लगभग क्षेत्रफल खसरा नंबर अर्जित किया जाने वाले हैं | अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन | |
| (1) | (2) | (3) | खसरा नं. रकबा (हेक्टर में) | (5) | (6) | |
| भोपाल | बैरसिया/भोपाल | बर्री बगराज | 25/1 | 0.364 | कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2, विदिशा. | सम्राट अशोक सागर जलाशय का जलस्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु. |
| | | | 25/2/2 | 0.064 | | |
| | | | 25/2/1 | 0.065 | | |
| | | | 26 | 0.125 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|-----|-----|----------------------------|-------|-----|
| | | | 28 | 0.619 | |
| | | | 48/1 | 0.243 | |
| | | | 48/2 | 0.243 | |
| | | | 49/1 | 0.206 | |
| | | | 49/2 | 0.210 | |
| | | | 57 | 0.429 | |
| | | | 60/1 | 0.093 | |
| | | | 55/1 | 0.445 | |
| | | | 175 | 0.166 | |
| | | | 55/2 | 0.441 | |
| | | | 58/2 | 0.138 | |
| | | | 60/2 | 0.202 | |
| | | | 51/1/1 | 1.056 | |
| | | | 51/1/2 | 0.570 | |
| | | | 54/1/3 | 0.696 | |
| | | | 51/1/3 | 0.692 | |
| | | | 54/1/1 | 0.322 | |
| | | | 54/1/2 | 0.389 | |
| | | | 54/2/2 | 0.173 | |
| | | | 56/1 | 0.324 | |
| | | | 56/2 | 0.174 | |
| | | | 191/2 | 0.129 | |
| | | | 80 | 0.251 | |
| | | | 127/2 | 2.393 | |
| | | | 132/2 | 0.486 | |
| | | | 336/126 | 0.299 | |
| | | | 58/1 | 0.405 | |
| | | | 59/1 | 0.405 | |
| | | | 59/2 | 0.105 | |
| | | | 92/1क | 1.039 | |
| | | | 92/1ख | 1.039 | |
| | | | 92/1ग | 0.809 | |
| | | | 82 | 0.878 | |
| | | | 84, 85/1 | 0.851 | |
| | | | 87, 82/2, } 89/1, 189/1 | 2.454 | |
| | | | 87, 82/2, } 89/1, 189/2 | 1.011 | |
| | | | 84, 85/2 | 0.376 | |
| | | | 84, 85/3 | 0.323 | |
| | | | 87, 82/2, } 89/1, 189/3 | 1.064 | |
| | | | 87, 82/2, } 89/1, 189/4 | 0.242 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|-----|-----|---------------|-------|-----|
| | | | 138/2 | 0.470 | |
| | | | 263,266,269/2 | 1.784 | |
| | | | 264 | 0.388 | |
| | | | 265 | 0.267 | |
| | | | 54/2/1 | 0.579 | |
| | | | 90/1 | 1.724 | |
| | | | 137/2/2 | 0.202 | |
| | | | 249/2/2 | 0.028 | |
| | | | 251/2 | 1.902 | |
| | | | 182 | 0.121 | |
| | | | 90/2 | 1.429 | |
| | | | 92/2 | 2.889 | |
| | | | 137/2/1 | 0.202 | |
| | | | 253/2 | 1.505 | |
| | | | 253/3 | 0.162 | |
| | | | 91/1/2 | 0.934 | |
| | | | 91/1/3 | 0.312 | |
| | | | 91/1/4 | 0.316 | |
| | | | 91/1/5 | 0.312 | |
| | | | 129/2 | 0.809 | |
| | | | 181/1 | 0.040 | |
| | | | 129/3 | 0.809 | |
| | | | 181/2 | 0.040 | |
| | | | 129/4 | 0.809 | |
| | | | 181/3 | 0.040 | |
| | | | 142/1/2 | 0.684 | |
| | | | 142/2 | 0.413 | |
| | | | 332/142/1 | 0.624 | |
| | | | 143/1 | 1.348 | |
| | | | 144 | 0.154 | |
| | | | 174/2 | 0.097 | |
| | | | 81/1 | 0.708 | |
| | | | 81/2 | 0.708 | |
| | | | 192 | 1.720 | |
| | | | 193/2/1ख | 0.506 | |
| | | | 190/2 | 0.041 | |
| | | | 271 | 0.611 | |
| | | | 193/2/1क | 0.506 | |
| | | | 193/2/2 | 0.506 | |
| | | | 194/2/2 | 1.538 | |
| | | | 251/1 | 3.557 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|-----|-----|---------------------------|---------------|-----|
| | | | 143/2 | 1.497 | |
| | | | 247/2 | 0.045 | |
| | | | 183 | 0.101 | |
| | | | 248/2 | 0.417 | |
| | | | 248/3 | 0.417 | |
| | | | 248/4 | 0.417 | |
| | | | 258/1 | 1.820 | |
| | | | 258/2 | 0.615 | |
| | | | 258/3 | 0.611 | |
| | | | 258/4 | 0.611 | |
| | | | 260 | 0.041 | |
| | | | 261 | 1.331 | |
| | | | 170, 178, } 179/1 } | 0.526 | |
| | | | 170, 178, } 179/2/1 } | 0.290 | |
| | | | 170, 178, } 179/2/3 } | 0.101 | |
| | | | 170, 178, } 179/2/2 } | 0.210 | |
| | | | 170, 178, } 179/2/4 } | 0.263 | |
| | | | 263,266,269/1 | 0.567 | |
| | | | 272/1 | 0.325 | |
| | | | 272/2 | 0.700 | |
| | | | 180 | 0.069 | |
| | | | 185/2 | 0.081 | |
| | | | 186/1/2 | 0.016 | |
| | | | 170, 178, } 179/2/5क } | 0.100 | |
| | | | 170, 178, } 179/2/5ख } | 0.090 | |
| | | | 186/2 | 0.154 | |
| | | | कुल योग . . | <u>66.217</u> | |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 9-भू.अ.-ए-82-10-11-सात-1.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार,

सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. :-

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी | | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन | |
|---------------|------------------|---------------------|---|----------|----------------------------|----------------------|
| जिला | तहसील/ तालुका | नगर/ग्राम का नाम | लगभग क्षेत्रफल नंबर अर्जित किया जाने वाले हैं | खसरा नं. | रकबा (हेक्टर में) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
| भोपाल | बैरसिया/भोपाल | बगराज | 88/1/1 | 0.854 | कार्यपालन यंत्री, सम्राट | सम्राट अशोक सागर |
| | | | 88/1/2 | 0.854 | अशोक सागर संभाग क्र. 2, | जलाशय का जलस्तर |
| | | | 88/1/3 | 0.858 | विदिशा. | 1504 फिट से 1508 फिट |
| | | | 88/2 | 2.420 | | बढ़ाने हेतु. |
| | | | 87 | 2.132 | | |
| | | | 171/1 | 0.085 | | |
| | | | 183/2 | 0.564 | | |
| | | | 203/171/1/2 | 1.214 | | |
| | | | 183/3 | 0.568 | | |
| | | | 183/1 | 0.564 | | |
| | | | 183/4 | 0.809 | | |
| | | | 183/5 | 0.809 | | |
| | | | 184 | 0.907 | | |
| | | | 185 | 0.930 | | |
| | | | 186 | 2.857 | | |
| | | | कुल योग . . | 16.425 | | |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 10-भू.अ.-ए-82-10-11-सात-1.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. :-

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी | | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन | |
|---------------|------------------|---------------------|---|----------|----------------------------|----------------------|
| जिला | तहसील/ तालुका | नगर/ग्राम का नाम | लगभग क्षेत्रफल नंबर अर्जित किया जाने वाले हैं | खसरा नं. | रकबा (हेक्टर में) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
| भोपाल | बैरसिया/भोपाल | बूधौर खुर्द | 37/1/1 | 0.900 | कार्यपालन यंत्री, सम्राट | सम्राट अशोक सागर |
| | | | 38/1 | 0.243 | अशोक सागर संभाग क्र. 2, | जलाशय का जलस्तर |
| | | | 31/3, 39, 40 | 0.299 | विदिशा. | 1504 फिट से 1508 फिट |
| | | | 42/1/2क | | | बढ़ाने हेतु. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|-----|-----|-----------------------------|---------------|-----|
| | | | 42/43/2 | 2.023 | |
| | | | 31/3, 39, 40 } 42/1/2ख } | 1.682 | |
| | | | 31/3, 39, 40 } 42/1/2ग } | 1.451 | |
| | | | 37/1/2 | 1.900 | |
| | | | 45 | 5.381 | |
| | | | 46, 47, } 48/1/1/2 } | 3.071 | |
| | | | 46, 47, } 48/2/1 } | 3.035 | |
| | | | 56/3 | 0.126 | |
| | | | 46, 47, } 48/2/2 } | 3.035 | |
| | | | 46, 47, } 48/1/1/1 } | 3.067 | |
| | | | 56/2 | 0.125 | |
| | | | 50/1 | 0.409 | |
| | | | 52/1ख | 1.619 | |
| | | | कुल योग . . | <u>28.366</u> | |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 11-भू.अ.-ए-82-10-11-सात-1.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. :-

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी | | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन | |
|---------------|------------------|--|--|----------------------------------|---|
| जिला | तहसील/ तालुका | नगर/ग्राम का नाम | लगभग क्षेत्रफल खसरा नंबर अर्जित किया जाने वाले हैं | | |
| (1) | (2) | (3) | खसरा नं. | (4) | |
| | | | रकबा (हेक्टर में) | (5) | |
| | | | | (6) | |
| भोपाल | बैरसिया/भोपाल | बूधौर कला | 39, 40 32,33,34,35,36 47/3 43 | 2.363 1.210 7.068 0.061 | कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2, विदिशा. |
| | | | | | सम्राट अशोक सागर जलाशय का जलस्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|-----|-------------|---------------|-----|-----|
| | | 44 | 0.575 | | |
| | | 46 | 0.239 | | |
| | | 47/1 | 4.012 | | |
| | | 45 | 0.352 | | |
| | | 47/2 | 2.529 | | |
| | | 48/2/2 | 1.186 | | |
| | | 48/2/1 | 1.214 | | |
| | | 49/2 | 2.323 | | |
| | | 52/2 | 7.324 | | |
| | | 171 | 0.158 | | |
| | | 181 | 0.594 | | |
| | | 53/1 | 2.833 | | |
| | | 53/2 | 6.621 | | |
| | | 55/1 | 1.663 | | |
| | | 55/2 | 1.667 | | |
| | | 56/1 | 2.902 | | |
| | | 57/1 | 0.454 | | |
| | | 56/2 | 2.902 | | |
| | | 58/1 | 0.343 | | |
| | | 60 | 0.263 | | |
| | | 58/2 | 0.654 | | |
| | | 168/2 | 0.405 | | |
| | | 170 | 0.093 | | |
| | | 172 | 0.089 | | |
| | | 173/1 | 0.057 | | |
| | | 173/2 | 0.053 | | |
| | | 189/2 | 0.053 | | |
| | | 217 | 0.089 | | |
| | | कुल योग . . | <u>52.349</u> | | |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 12-भू.अ.-ए-82-10-11-सात-1.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को

उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. :-

अनुसूची

| जिला | भूमि का वर्णन | | लगभग क्षेत्रफल खसरा | | धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|-------|------------------|---------------------|-----------------------------------|----------|--|--|
| | तहसील/ तालुका | नगर/ग्राम का नाम | नंबर अर्जित किया जाने वाले हैं | खसरा नं. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | (6) |
| भोपाल | बैरसिया/भोपाल | हिन्दोला | 3 | 0.530 | कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2, विदिशा. | सम्राट अशोक सागर जलाशय का जलस्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु. |
| | | | 4/2 | 0.150 | | |
| | | | 4/1 | 0.390 | | |
| | | | 5 | 0.300 | | |
| | | | 7 | 0.530 | | |
| | | | 119 | 0.040 | | |
| | | | 13 | 0.260 | | |
| | | | 14 | 2.730 | | |
| | | | 8 | 3.430 | | |
| | | | 15 | 1.280 | | |
| | | | 16 | 0.400 | | |
| | | | 17 | 0.450 | | |
| | | | 18 | 0.680 | | |
| | | | 19 | 0.080 | | |
| | | | 20 | 1.150 | | |
| | | | 21 | 1.140 | | |
| | | | 22 | 1.130 | | |
| | | | 23 | 1.150 | | |
| | | | 25 | 0.160 | | |
| | | | 26 | 5.570 | | |
| | | | 24 | 0.100 | | |
| | | | 27 | 0.240 | | |
| | | | 28 | 4.210 | | |
| | | | 33 | 1.970 | | |
| | | | 34/1 | 1.320 | | |
| | | | 38/1 | 1.640 | | |
| | | | 39/1 | 0.130 | | |
| | | | 40 | 3.310 | | |
| | | | 34/2 | 0.360 | | |
| | | | 35 | 0.260 | | |
| | | | 36 | 1.430 | | |
| | | | 37 | 1.640 | | |
| | | | 38/2 | 0.200 | | |
| | | | 39/2 | 3.080 | | |
| | | | 98 | 0.540 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|-----|-----|-------|-------|-----|
| | | | 71 | 0.800 | |
| | | | 70 | 0.130 | |
| | | | 72 | 0.070 | |
| | | | 90/1 | 0.450 | |
| | | | 91/1 | 1.520 | |
| | | | 107 | 0.150 | |
| | | | 108 | 0.450 | |
| | | | 89 | 0.840 | |
| | | | 82/2 | 0.170 | |
| | | | 85 | 0.550 | |
| | | | 86 | 0.150 | |
| | | | 88 | 0.320 | |
| | | | 82/1 | 0.400 | |
| | | | 83 | 0.940 | |
| | | | 84 | 0.110 | |
| | | | 87 | 0.200 | |
| | | | 90/2 | 2.150 | |
| | | | 91/2 | 0.140 | |
| | | | 101 | 0.160 | |
| | | | 103 | 0.180 | |
| | | | 92 | 0.800 | |
| | | | 93 | 0.140 | |
| | | | 94 | 0.100 | |
| | | | 95 | 0.530 | |
| | | | 96 | 0.370 | |
| | | | 100 | 0.710 | |
| | | | 102 | 0.200 | |
| | | | 104 | 1.170 | |
| | | | 105 | 0.690 | |
| | | | 106 | 0.300 | |
| | | | 97 | 1.220 | |
| | | | 99 | 0.390 | |
| | | | 111 | 0.300 | |
| | | | 112/1 | 0.460 | |
| | | | 112/2 | 0.340 | |
| | | | 113 | 0.300 | |
| | | | 128/1 | 0.120 | |
| | | | 122 | 0.080 | |
| | | | 123 | 0.300 | |
| | | | 127 | 0.060 | |
| | | | 115 | 0.700 | |
| | | | 124 | 0.900 | |
| | | | 125 | 0.900 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|-----|-----|-------------|---------------|-----|
| | | | 130 | 0.090 | |
| | | | 132 | 0.450 | |
| | | | 121 | 0.900 | |
| | | | 129 | 0.090 | |
| | | | 131 | 0.450 | |
| | | | 114 | 0.710 | |
| | | | 128/2 | 0.060 | |
| | | | 126 | 1.370 | |
| | | | 133 | 0.540 | |
| | | | 117 | 0.360 | |
| | | | 118 | 0.350 | |
| | | | 120 | 1.400 | |
| | | | कुल योग . . | <u>69.710</u> | |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 13-भू.अ.-ए-82-10-11-सात-1.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. :-

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी | | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---------------|-------------------|---------------------|--|--|--|---|
| जिला | तहसील/ तालुका | नगर/ग्राम का नाम | लगभग क्षेत्रफल खसरा नंबर अर्जित किया जाने वाले हैं | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) |
| | | | खसरा नं. | रकबा (हेक्टर में) | | |
| भोपाल | बैरसिया/ भोपाल | ऊंटखेड़ा | 41/1 | 1.000 | | कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2, विदिशा. सम्राट अशोक सागर जलाशय का जलस्तर 1504 फीट से 1508 फीट बढ़ाने हेतु. |
| | | | 41/2 | 1.704 | | |
| | | | 42/2 | 1.364 | | |
| | | | 57/3 | 0.202 | | |
| | | | 57/1 | 2.023 | | |
| | | | 67 | 0.405 | | |
| | | | 90/1/1/2 | 0.405 | | |
| | | | 90/1/2/1 | 1.219 | | |
| | | | 44/1 | 0.733 | | |
| | | | 44/2 | 0.895 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|-----|-----|---------------------------|-------|-----|
| | | | 42/1 | 0.470 | |
| | | | 241/2 | 0.065 | |
| | | | 241/1 | 0.061 | |
| | | | 241/3 | 0.061 | |
| | | | 241/4 | 0.178 | |
| | | | 241/5 | 0.089 | |
| | | | 241/6 | 0.089 | |
| | | | $\frac{238/263/238}{2}$ | 1.643 | |
| | | | 149 | 1.036 | |
| | | | 150 } 151 } 152/1 } | 0.190 | |
| | | | 150 } 151 } 152/2 } | 1.137 | |
| | | | 150,151,152/3 | 0.894 | |
| | | | 153 | 0.247 | |
| | | | 196/1/1 | 1.500 | |
| | | | 197 | 1.197 | |
| | | | 199/1/1 | 1.500 | |
| | | | 201 | 1.724 | |
| | | | 202 | 2.379 | |
| | | | 203 | 1.484 | |
| | | | 204/1 | 0.688 | |
| | | | 208/1 | 0.872 | |
| | | | 204/2 | 0.105 | |
| | | | 205, } 208/1/1क } | 0.405 | |
| | | | 205/ } 208/1/1ख } | 0.040 | |
| | | | 205 } 208/1/2 } | 0.671 | |
| | | | 244/1 | 0.704 | |
| | | | 238/1/2 | 1.627 | |
| | | | 245 | 0.206 | |
| | | | 244/2 | 0.526 | |
| | | | 246/4 | 1.007 | |
| | | | 246/1 | 0.303 | |
| | | | 247/1 | 1.717 | |
| | | | 248/1 | 0.073 | |
| | | | 246/2 | 0.405 | |
| | | | 247/2 | 1.416 | |
| | | | 248/2 | 0.271 | |
| | | | 246/3 | 0.607 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|-----|-----|-------------|---------------|-----|
| | | | 247/3 | 0.874 | |
| | | | 248/3 | 0.607 | |
| | | | 237/1 | 0.858 | |
| | | | 237/2 | 0.858 | |
| | | | 237/3 | 0.858 | |
| | | | 237/4 | 0.862 | |
| | | | 238/1/1 | 1.109 | |
| | | | 240/1 | 0.425 | |
| | | | 240/2 | 0.454 | |
| | | | 240/5 | 0.040 | |
| | | | 240/3 | 0.405 | |
| | | | 240/6 | 0.040 | |
| | | | 240/4 | 0.506 | |
| | | | 69 | 1.805 | |
| | | | 83/2 | 2.023 | |
| | | | कुल योग . . | <u>49.261</u> | |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 14-भू.अ.-ए-82-10-11-सात-1.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. :-

अनुसूची

| जिला | तहसील/ तालुका | भूमि का वर्णन नगर/ग्राम का नाम | लगाभग क्षेत्रफल खसरा नंबर अर्जित किया जाने वाले हैं | | धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|-------|--------------------|--------------------------------------|---|----------------------|--|---|
| | | | खसरा नं. | रकबा (हेक्टर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
| भोपाल | बैरसिया/ भोपाल. | पिपलिया कदीम. | 284 | 0.020 | कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2, विदिशा. | सम्राट अशोक सागर जलाशय का जलस्तर 1504 फीट से 1508 फीट बढ़ाने हेतु. |
| | | | 385 | 0.160 | | |
| | | | 290 | 0.410 | | |
| | | | 361 | 0.200 | | |
| | | | 340 | 0.170 | | |
| | | | 483/1 | 0.030 | | |
| | | | 483/3 | 0.600 | | |
| | | | 488/1 | 0.310 | | |
| | | | 489 | 0.140 | | |
| | | | 488/2 | 0.440 | | |
| | | | 289 | 0.060 | | |
| | | | 291 | 0.170 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|-----|-----|-------|-------|-----|
| | | | 341 | 0.130 | |
| | | | 288 | 0.200 | |
| | | | 281 | 0.460 | |
| | | | 249 | 1.010 | |
| | | | 386 | 0.140 | |
| | | | 387 | 0.100 | |
| | | | 264 | 1.540 | |
| | | | 267 | 0.130 | |
| | | | 172 | 0.970 | |
| | | | 269 | 0.450 | |
| | | | 486 | 0.890 | |
| | | | 487 | 0.890 | |
| | | | 490 | 0.890 | |
| | | | 493/1 | 0.760 | |
| | | | 492/3 | 0.200 | |
| | | | 292 | 0.090 | |
| | | | 297 | 0.140 | |
| | | | 344 | 0.050 | |
| | | | 322 | 0.680 | |
| | | | 324 | 0.050 | |
| | | | 283 | 0.550 | |
| | | | 312 | 0.820 | |
| | | | 313 | 1.080 | |
| | | | 315 | 0.090 | |
| | | | 491 | 0.890 | |
| | | | 300 | 0.580 | |
| | | | 294 | 0.060 | |
| | | | 295 | 0.170 | |
| | | | 309 | 0.110 | |
| | | | 339 | 0.200 | |
| | | | 342 | 0.130 | |
| | | | 343 | 0.060 | |
| | | | 310 | 0.110 | |
| | | | 293 | 0.080 | |
| | | | 296 | 0.150 | |
| | | | 326 | 0.090 | |
| | | | 327 | 0.060 | |
| | | | 484/1 | 0.240 | |
| | | | 484/3 | 2.030 | |
| | | | 263 | 0.230 | |
| | | | 173 | 0.510 | |
| | | | 302 | 0.560 | |
| | | | 318/1 | 0.020 | |
| | | | 319/1 | 0.100 | |
| | | | 316/1 | 0.100 | |
| | | | 317/3 | 0.200 | |
| | | | 332 | 0.470 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|-----|-----|-------------|---------------|-----|
| | | | 245 | 0.360 | |
| | | | 299 | 0.470 | |
| | | | 334 | 0.210 | |
| | | | 336 | 1.250 | |
| | | | 345 | 0.030 | |
| | | | 346 | 0.420 | |
| | | | 328 | 0.050 | |
| | | | 330 | 0.850 | |
| | | | 298 | 0.470 | |
| | | | 335 | 0.070 | |
| | | | 337 | 0.130 | |
| | | | 338 | 0.160 | |
| | | | 247 | 0.360 | |
| | | | 174 | 0.500 | |
| | | | 308 | 0.120 | |
| | | | 311 | 0.120 | |
| | | | 333 | 0.890 | |
| | | | 319/2 | 0.690 | |
| | | | 272 | 1.070 | |
| | | | 285 | 0.400 | |
| | | | 286 | 1.180 | |
| | | | 287 | 0.480 | |
| | | | 242 | 0.200 | |
| | | | 243 | 0.300 | |
| | | | 244 | 0.220 | |
| | | | 321 | 0.740 | |
| | | | 314 | 0.160 | |
| | | | 485 | 2.370 | |
| | | | 268 | 2.570 | |
| | | | 270 | 1.540 | |
| | | | 271 | 0.380 | |
| | | | 301 | 1.340 | |
| | | | 329 | 0.050 | |
| | | | 331 | 0.840 | |
| | | | 307 | 0.230 | |
| | | | 492/2 | 0.250 | |
| | | | 493/2 | 0.900 | |
| | | | 494 | 0.900 | |
| | | | 492/1 | 0.010 | |
| | | | 495 | 0.200 | |
| | | | 320 | 0.740 | |
| | | | कुल योग . . | <u>46.390</u> | |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निकुंजकुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

| | | |
|---|-------|------|
| कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं | (1) | (2) |
| पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, | 699 | 0.35 |
| राजस्व विभाग | 705 | 0.34 |
| पन्ना, दिनांक 3 मई 2011 | 1006 | 0.18 |
| | 621 | 0.04 |
| प्र. क्र. 055-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को | 640 | 0.20 |
| यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित | 646 | 0.10 |
| भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन | 622/1 | 0.37 |
| के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक | 624 | 0.06 |
| एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता | 649 | 0.11 |
| है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :— | 622/2 | 0.30 |
| | 629 | 0.04 |
| अनुसूची | 630 | 0.04 |
| (1) भूमि का वर्णन— | 631 | 0.07 |
| (क) जिला—पन्ना | 632 | 0.07 |
| (ख) तहसील—शाहनगर | 639 | 0.05 |
| (ग) ग्राम—ताला | 641 | 0.06 |
| (घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि— 27.21 हेक्टेयर | 642 | 0.04 |
| | 643 | 0.02 |
| खसरा नम्बर | 644 | 0.04 |
| | 645 | 0.05 |
| | 622/3 | 0.33 |
| (1) | (2) | |
| 575 | 0.01 | 625 |
| 762 | 0.03 | 626 |
| 931 | 0.08 | 627 |
| 932 | 0.06 | 628 |
| 459/1 | 0.02 | 648 |
| 579 | 0.09 | 633 |
| 655 | 0.06 | 635 |
| 727/1 | 1.09 | 637 |
| 728/1 | 0.98 | 638 |
| 752 | 0.02 | 647 |
| 761/1 | 0.09 | 664 |
| 582 | 0.30 | 665 |
| 618 | 0.01 | 667 |
| 619 | 0.07 | 650 |
| 698 | 0.08 | 651 |
| 700/1 | 0.25 | 653 |
| 704 | 0.16 | 675 |
| 1005 | 0.13 | 676 |
| 620 | 0.16 | 677 |
| | | 0.08 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|-------|------|-------|------|
| 910 | 0.27 | 927 | 0.16 |
| 914 | 0.16 | 933 | 0.06 |
| 652 | 0.33 | 937 | 0.06 |
| 659 | 0.34 | 938 | 0.11 |
| 656 | 0.30 | 941 | 0.05 |
| 911 | 0.28 | 944 | 0.02 |
| 915 | 0.15 | 957 | 0.51 |
| 658 | 0.05 | 738 | 0.31 |
| 659 | 0.12 | 741 | 0.32 |
| 660 | 0.07 | 740/1 | 0.05 |
| 661 | 0.03 | 745 | 0.11 |
| 662 | 0.05 | 754 | 0.47 |
| 678 | 0.12 | 755 | 0.31 |
| 690/1 | 0.05 | 756 | 0.57 |
| 726/2 | 0.51 | 773 | 0.59 |
| 757 | 0.08 | 908 | 0.01 |
| 758/2 | 0.20 | 909 | 0.60 |
| 697 | 0.37 | 760 | 0.23 |
| 700/2 | 0.24 | 769 | 0.21 |
| 702/1 | 0.05 | 770 | 0.16 |
| 706 | 0.15 | 939 | 0.07 |
| 707 | 0.13 | 940 | 0.08 |
| 725 | 0.01 | 763 | 0.18 |
| 726/1 | 0.48 | 923 | 0.09 |
| 728/2 | 0.63 | 925 | 0.06 |
| 759 | 0.09 | 926 | 0.04 |
| 761/2 | 0.08 | 934 | 0.06 |
| 726/3 | 0.53 | 935 | 0.07 |
| 727/2 | 0.37 | 766 | 0.03 |
| 758/1 | 0.23 | 767 | 0.02 |
| 732 | 0.12 | 768 | 0.18 |
| 742 | 0.08 | 771 | 0.15 |
| 743 | 0.19 | 772 | 0.20 |
| 747 | 0.71 | 907 | 0.17 |
| 749 | 0.67 | 936 | 0.17 |
| 750 | 0.23 | 916 | 0.09 |
| 751 | 0.16 | 917 | 0.11 |
| 1019 | 0.26 | 918 | 0.10 |
| 733 | 0.11 | 919 | 0.11 |
| 734 | 0.55 | 920 | 0.15 |
| 735 | 0.43 | 921 | 0.12 |
| 737 | 0.08 | 922 | 0.09 |
| 912 | 0.12 | 924 | 0.05 |
| 913 | 0.06 | 945 | 0.10 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|---|--------------|-------|------|
| 954 | 0.09 | 803 | 0.06 |
| 955 | 0.11 | 804 | 0.05 |
| 999 | 0.08 | 805 | 0.05 |
| 1000 | 0.07 | 1095 | 0.15 |
| 1004 | 0.14 | 1096 | 0.17 |
| 946 | 0.10 | 1097 | 0.06 |
| 948 | 0.08 | 640/6 | 0.40 |
| 949 | 0.09 | 641/2 | 0.70 |
| कुल रकबा निजी भूमि . . | <u>27.21</u> | 641/3 | 0.40 |
| (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—ताला | | 666 | 0.92 |
| तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु. | | 642 | 0.70 |
| (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, | | 807 | 0.17 |
| पन्ना में किया जा सकता है. | | 1071 | 0.09 |
| | | 1072 | 0.04 |
| | | 1075 | 0.19 |
| प्र. क्र. 058-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूँकि, राज्य शासन को | | 643 | 0.09 |
| यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित | | 645 | 0.11 |
| भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन | | 654 | 0.07 |
| के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक | | 661 | 0.78 |
| एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता | | 646/1 | 0.20 |
| है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :— | | 646 | 0.06 |
| | | 653 | 0.07 |
| | | 656 | 0.04 |
| | | 658 | 0.58 |
| | | 659 | 0.22 |
| | | 647 | 0.05 |
| | | 648 | 0.60 |
| | | 650 | 0.30 |
| | | 664 | 0.52 |
| | | 665 | 0.65 |
| | | 651 | 0.10 |
| | | 655 | 0.04 |
| | | 676/2 | 0.20 |
| | | 657 | 0.10 |
| | | 1065 | 0.09 |
| | | 1066 | 0.05 |
| | | 1070 | 0.04 |
| | | 862 | 0.51 |
| | | 663 | 0.33 |
| | | 667 | 0.30 |
| | | 710/2 | 0.20 |
| | | 742 | 0.19 |
| | | 668 | 0.17 |
| | | 669 | 0.20 |

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—शाहनगर

(ग) ग्राम—चकरभटा

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि— 46.20 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

640/4

0.25

676/2

0.20

644

0.27

657

0.10

640/5

1.08

1065

0.09

759

0.18

1066

0.05

761

0.30

1070

0.04

766

0.07

862

0.51

767

0.13

663

0.33

785

0.01

667

0.30

798

0.30

710/2

0.20

800

0.05

742

0.19

801

0.05

668

0.17

802

0.15

669

0.20

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|-------|------|-------|------|
| 671 | 0.20 | 794 | 0.17 |
| 672 | 0.57 | 795 | 0.25 |
| 673 | 0.40 | 1103 | 0.02 |
| 670 | 0.30 | 1107 | 0.07 |
| 705 | 0.90 | 1110 | 0.13 |
| 708 | 0.10 | 1124 | 0.21 |
| 710/1 | 0.57 | 757 | 0.04 |
| 733 | 0.08 | 760 | 0.16 |
| 736 | 0.20 | 764 | 0.10 |
| 739 | 0.30 | 777 | 0.05 |
| 674 | 0.33 | 778 | 0.25 |
| 677 | 0.06 | 780 | 0.13 |
| 729 | 0.04 | 786 | 1.27 |
| 734 | 0.10 | 788 | 0.10 |
| 735 | 0.48 | 789 | 0.07 |
| 737 | 0.05 | 791 | 0.17 |
| 738 | 0.04 | 1098 | 0.51 |
| 740 | 0.15 | 758 | 0.15 |
| 741 | 0.20 | 762 | 0.09 |
| 743 | 0.15 | 763 | 0.02 |
| 744 | 0.12 | 769 | 0.02 |
| 747 | 0.09 | 776 | 0.09 |
| 707 | 0.10 | 781 | 0.05 |
| 709 | 0.07 | 1101 | 0.08 |
| 711 | 0.11 | 1102 | 0.20 |
| 712 | 0.04 | 770 | 0.10 |
| 725 | 0.07 | 773 | 0.20 |
| 727 | 0.04 | 783 | 0.78 |
| 991 | 0.13 | 796 | 0.30 |
| 993 | 0.02 | 797 | 0.30 |
| 728 | 0.07 | 799 | 0.04 |
| 745 | 0.05 | 808 | 0.66 |
| 746 | 0.40 | 809 | 0.79 |
| 752 | 0.40 | 811 | 0.10 |
| 771 | 0.08 | 812 | 0.07 |
| 772 | 0.05 | 813 | 0.50 |
| 748 | 0.10 | 814 | 0.10 |
| 754 | 0.07 | 818 | 0.20 |
| 996 | 0.11 | 819 | 0.92 |
| 755 | 0.36 | 1012 | 0.32 |
| 765 | 0.13 | 782 | 0.10 |
| 768 | 0.11 | 793/1 | 0.16 |
| 787 | 0.17 | 793/2 | 0.50 |
| 790 | 1.33 | 810 | 0.65 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|------|------|---|-------|
| 825 | 0.25 | 1093 | 0.02 |
| 831 | 0.49 | 1025 | 0.03 |
| 815 | 0.24 | 1026 | 0.03 |
| 816 | 0.13 | 1027 | 0.02 |
| 817 | 0.03 | 1067 | 0.09 |
| 820 | 0.12 | 1068 | 0.23 |
| 821 | 0.07 | 1069 | 0.14 |
| 823 | 0.07 | 1073 | 0.02 |
| 824 | 0.52 | 1076 | 0.05 |
| 826 | 0.02 | 1078 | 0.05 |
| 830 | 0.38 | 1079 | 0.11 |
| 1088 | 0.10 | 1080 | 0.05 |
| 1089 | 0.09 | 1081 | 0.31 |
| 1091 | 0.15 | 1082 | 0.21 |
| 1092 | 0.17 | 1083 | 0.18 |
| 822 | 0.22 | 1028 | 0.05 |
| 827 | 0.11 | 1077 | 0.15 |
| 828 | 0.06 | 1060 | 0.54 |
| 829 | 0.40 | 1061 | 0.20 |
| 995 | 0.05 | 1100 | 0.31 |
| 999 | 0.16 | 1104 | 0.05 |
| 1001 | 0.36 | 1105 | 0.08 |
| 1013 | 0.30 | कुल रकबा निजी भूमि . . . | 46.20 |
| 1014 | 0.83 | | |
| 1015 | 0.06 | (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता | |
| 1016 | 0.90 | है.—चकरभटा तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं | |
| 1017 | 0.06 | नहर निर्माण हेतु. | |
| 1018 | 0.41 | (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, | |
| 1020 | 0.20 | पन्ना में किया जा सकता है. | |
| 1021 | 0.04 | | |
| 1022 | 0.13 | | |
| 1023 | 0.12 | प्र. क्र. 063-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को | |
| 1024 | 0.14 | यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित | |
| 1029 | 0.02 | भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन | |
| 1030 | 0.04 | के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक | |
| 1031 | 0.04 | एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता | |
| 1032 | 0.01 | है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :— | |
| 1033 | 0.19 | | |
| 1034 | 0.06 | अनुसूची | |
| 1074 | 0.18 | | |
| 1084 | 0.08 | (1) भूमि का वर्णन— | |
| 1085 | 0.03 | (क) जिला—पन्ना | |
| 1086 | 0.67 | (ख) तहसील—शाहनगर | |
| 1090 | 0.10 | | |

| (ग) ग्राम—अतरहाई | | (1) | (2) |
|--|-----------------------------------|--------|------|
| (घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि— 24.60 हेक्टेयर | | | |
| खसरा नम्बर | कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | | |
| | | 1772 | 0.09 |
| | | 1782/1 | 0.03 |
| | | 1783/1 | 0.03 |
| | | 1773 | 0.03 |
| 1746 | 0.30 | 1784/1 | 0.45 |
| 1787 | 0.61 | 1804/2 | 0.54 |
| 1741/1 | 0.19 | 1805 | 0.22 |
| 1751 | 0.04 | 1806 | 0.09 |
| 1747/2 | 0.03 | 1811 | 0.15 |
| 1820 | 0.70 | 2100/1 | 0.23 |
| 1747/3 | 0.12 | 2104 | 0.60 |
| 1747/4 | 0.38 | 2105/2 | 0.12 |
| 1750 | 0.02 | 1784/2 | 0.51 |
| 1752 | 0.06 | 1792 | 0.15 |
| 1758 | 0.04 | 1804/1 | 0.71 |
| 1759 | 0.02 | 1812 | 0.13 |
| 1762 | 0.04 | 2100/2 | 0.22 |
| 1763 | 0.12 | 2101 | 0.03 |
| 1814 | 0.13 | 2102 | 0.20 |
| 1816 | 0.08 | 2103/2 | 0.30 |
| 1817 | 0.08 | 2105/1 | 0.12 |
| 1818 | 0.05 | 1785 | 0.26 |
| 1819 | 0.11 | 1786 | 0.31 |
| 1764 | 0.23 | 1789 | 0.33 |
| 1777 | 0.27 | 2109 | 0.04 |
| 1779 | 0.09 | 2110 | 0.08 |
| 1780 | 0.06 | 2111 | 0.66 |
| 1781 | 0.05 | 2116 | 0.12 |
| 1765 | 0.16 | 2120 | 0.04 |
| 1766 | 0.10 | 2121 | 0.12 |
| 1768 | 0.07 | 1788 | 0.03 |
| 1769/1 | 0.03 | 1802 | 0.05 |
| 1770 | 0.10 | 1790 | 0.01 |
| 1774 | 0.16 | 1791 | 0.51 |
| 1776 | 0.05 | 1793 | 0.27 |
| 1767 | 0.05 | 1795 | 0.11 |
| 1778 | 0.10 | 1801 | 0.05 |
| 1783/3 | 0.02 | 1796 | 0.15 |
| 1769/2 | 0.03 | 1823 | 0.21 |
| 1775 | 0.05 | 1824 | 0.15 |
| 1783/2 | 0.03 | 1825 | 0.11 |
| 1771 | 0.04 | 1798 | 0.10 |
| 1782/2 | 0.04 | 1800/3 | 0.23 |
| 1783/4 | 0.03 | 1799 | 0.04 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|--------|------|---|-----------------|
| 1800/1 | 0.31 | 2114 | 0.11 |
| 1800/3 | 0.13 | 2126 | 0.50 |
| 1822 | 0.25 | 2127 | 0.02 |
| 1800/2 | 0.34 | 2128 | 0.22 |
| 1807 | 0.07 | 2139/3867 | 0.05 |
| 1808/1 | 0.05 | 2129 | 1.13 |
| 1808/2 | 0.05 | 2130 | 0.30 |
| 1809 | 0.33 | 2131 | 0.21 |
| 1813 | 0.09 | 2160 | 0.11 |
| 1810 | 0.35 | कुल रकबा निजी भूमि . . | <u>24.60</u> |
| 1895 | 0.30 | | |
| 1815 | 0.12 | (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—अतरहाई | |
| 1821 | 0.30 | तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु. | |
| 1827 | 0.17 | (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, | |
| 1896 | 0.53 | पन्ना में किया जा सकता है. | |
| 1897 | 0.28 | | |
| 1898 | 0.10 | | |
| 1826 | 0.29 | प्र. क्र. 112-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को | |
| 1828 | 0.28 | यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित | |
| 1829 | 0.04 | भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन | |
| 1891 | 0.37 | के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक | |
| 1830/2 | 0.05 | एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता | |
| 1830/3 | 0.16 | है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :— | |
| 1892/1 | 0.31 | | |
| 1892/2 | 0.17 | | |
| 1899 | 0.17 | | |
| 1900 | 0.20 | (1) भूमि का वर्णन— | |
| 1901 | 0.15 | (क) जिला—पन्ना | |
| 1902 | 0.15 | (ख) तहसील—शाहनगर | |
| 2015 | 0.15 | (ग) ग्राम—ठेपा | |
| 2096 | 0.25 | (घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि— 21.63 हेक्टेयर | |
| 2096 | 0.25 | | |
| 2098 | 0.25 | खसरा नम्बर | कुल अर्जित रकबा |
| 2108 | 0.11 | | (हेक्टेयर में) |
| 2099 | 0.22 | (1) | (2) |
| 2115 | 0.08 | 1100 | 0.09 |
| 2117 | 0.16 | 1103 | 0.06 |
| 2118 | 0.10 | 1101 | 0.65 |
| 2119 | 0.04 | 1104 | 0.15 |
| 2103/1 | 0.04 | 1102 | 0.23 |
| 2106 | 0.08 | 1128 | 0.20 |
| 2107 | 0.03 | 1147 | 0.09 |
| 2112 | 0.04 | 1150 | 0.10 |
| 2113 | 0.23 | 1151 | 0.13 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|------|------|------|------|
| 1108 | 0.16 | 1165 | 0.04 |
| 1124 | 0.12 | 1166 | 0.12 |
| 1132 | 0.08 | 1167 | 0.13 |
| 2280 | 0.13 | 1168 | 0.06 |
| 2281 | 0.19 | 1169 | 0.04 |
| 2282 | 0.08 | 1176 | 0.09 |
| 2283 | 0.14 | 1177 | 0.17 |
| 2289 | 0.08 | 1155 | 0.10 |
| 2305 | 0.21 | 1156 | 0.06 |
| 2307 | 0.03 | 1157 | 0.03 |
| 2308 | 0.14 | 1158 | 0.11 |
| 1125 | 0.25 | 2166 | 0.01 |
| 1126 | 0.08 | 2224 | 0.98 |
| 1127 | 0.11 | 1170 | 0.08 |
| 1133 | 0.09 | 1171 | 0.06 |
| 2288 | 0.26 | 1172 | 0.15 |
| 2304 | 0.25 | 1173 | 0.13 |
| 2306 | 0.38 | 1175 | 0.03 |
| 1129 | 0.13 | 2209 | 0.54 |
| 1130 | 0.08 | 2230 | 0.14 |
| 1131 | 0.22 | 2231 | 0.07 |
| 1134 | 0.21 | 2236 | 0.08 |
| 1141 | 0.28 | 2237 | 0.12 |
| 1143 | 0.06 | 1178 | 0.04 |
| 1145 | 0.18 | 1221 | 0.03 |
| 1148 | 0.12 | 1222 | 0.07 |
| 1149 | 0.06 | 1223 | 0.05 |
| 1152 | 0.10 | 1224 | 0.06 |
| 1153 | 0.26 | 1225 | 0.05 |
| 1154 | 0.31 | 2164 | 0.18 |
| 1135 | 0.26 | 2163 | 0.05 |
| 1136 | 0.05 | 2215 | 0.11 |
| 1137 | 0.06 | 2216 | 0.09 |
| 1138 | 0.10 | 2257 | 0.10 |
| 1139 | 0.11 | 2218 | 0.10 |
| 1140 | 0.19 | 2219 | 0.09 |
| 1142 | 0.08 | 2220 | 0.10 |
| 1144 | 0.13 | 2221 | 0.09 |
| 1159 | 0.12 | 2285 | 0.42 |
| 1160 | 0.05 | 2180 | 0.13 |
| 1161 | 0.11 | 2195 | 0.02 |
| 1162 | 0.07 | 2181 | 0.04 |
| 1163 | 0.14 | 2182 | 0.04 |
| 1164 | 0.03 | 2208 | 0.34 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|------|------|---|-----------------|
| 2210 | 0.07 | 2274 | 0.06 |
| 2211 | 0.03 | 2266 | 0.16 |
| 2212 | 0.16 | 2286 | 0.15 |
| 2232 | 0.18 | 2290 | 0.09 |
| 2233 | 0.03 | 2309 | 0.82 |
| 2234 | 0.08 | 2310 | 0.05 |
| 2213 | 0.08 | 2311 | 0.20 |
| 2214 | 0.06 | 2313 | 0.15 |
| 2235 | 0.16 | 2318 | 0.14 |
| 2243 | 0.07 | 2312 | 0.02 |
| 2222 | 0.22 | 2215 | 0.19 |
| 2223 | 0.19 | 2248 | 0.26 |
| 2224 | 0.24 | कुल रकबा निजी भूमि . . | <u>21.63</u> |
| 2255 | 0.31 | (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता | |
| 2277 | 0.55 | है.—चकरभटा तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं | |
| 2228 | 0.08 | नहर निर्माण हेतु. | |
| 2256 | 0.22 | (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, | |
| 2275 | 0.55 | पन्ना में किया जा सकता है. | |
| 2279 | 0.23 | पन्ना, दिनांक 20 मई 2011 | |
| 2238 | 0.10 | प्र. क्र. 077-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को | |
| 2239 | 0.02 | यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित | |
| 2240 | 0.03 | भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन | |
| 2267 | 0.04 | के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक | |
| 2268 | 0.04 | एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता | |
| 2269 | 0.06 | है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :— | |
| 2270 | 0.05 | अनुसूची | |
| 2271 | 0.07 | (1) भूमि का वर्णन— | |
| 2272 | 0.06 | (क) जिला—पन्ना | |
| 2241 | 0.12 | (ख) तहसील—गुनौर | |
| 2251 | 0.03 | (ग) ग्राम—नचनौरा | |
| 2252 | 0.05 | (घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि— 1.50 हेक्टेयर | |
| 2255 | 0.04 | खसरा नम्बर | कुल अर्जित रकबा |
| 2257 | 0.20 | (1) | (हेक्टेयर में) |
| 2276 | 0.60 | (2) | |
| 2278 | 0.15 | 1609/2 | 0.01 |
| 2258 | 0.13 | 1615/2 | 0.05 |
| 2259 | 0.05 | 1615/1 | 0.08 |
| 2260 | 0.05 | 1614 | 0.10 |
| 2261 | 0.14 | 1584 | 0.06 |
| 2262 | 0.11 | 1583 | 0.03 |
| 2263 | 0.03 | | |
| 2264 | 0.03 | | |
| 2265 | 0.06 | | |
| 2273 | 0.04 | | |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|--|-----------------------------------|------|------|
| 1271 | 0.04 | 1955 | 0.14 |
| 1272 | 0.06 | 2010 | 0.06 |
| 1291 | 0.07 | 1960 | 0.19 |
| 1290 | 0.01 | 1961 | 0.12 |
| 1292 | 0.06 | 1962 | 0.08 |
| 1264 | 0.05 | 1963 | 0.13 |
| 1265 | 0.05 | 1964 | 0.40 |
| 1255 | 0.10 | 1967 | 0.61 |
| 1260 | 0.16 | 1968 | 0.42 |
| 1261 | 0.10 | 1974 | 0.10 |
| 1294 | 0.12 | 1980 | 0.60 |
| 1295 | 0.14 | 1965 | 0.82 |
| 1266 | 0.08 | 1997 | 0.37 |
| 1101 | 0.11 | 1966 | 0.41 |
| 1099 | 0.02 | 1981 | 0.67 |
| कुल रकबा निजी भूमि . . | 1.50 | 1969 | 0.09 |
| (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—सिली तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु. | | 1970 | 0.06 |
| (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है. | | 1971 | 0.19 |
| पन्ना, दिनांक 23 मई 2011 | | 1979 | 0.75 |
| प्र. क्र. 044-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :— | | 1982 | 0.95 |
| अनुसूची | | 1993 | 0.29 |
| (1) भूमि का वर्णन— | | 2110 | 0.10 |
| (क) जिला—पन्ना | | 2111 | 0.07 |
| (ख) तहसील—शाहनगर | | 2212 | 0.04 |
| (ग) ग्राम—हरदुआ मेमारी | | 2113 | 0.07 |
| (घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि— 19.90 हेक्टेयर | | 2115 | 0.07 |
| खसरा नम्बर | कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) | 2116 | 0.04 |
| (1) | (2) | 2117 | 0.03 |
| 1925 | 0.02 | 1995 | 0.08 |
| 1953 | 0.03 | 2080 | 0.04 |
| 1954 | 0.06 | 2083 | 0.16 |
| | | 2084 | 0.12 |
| | | 2085 | 0.16 |
| | | 2091 | 0.09 |
| | | 2092 | 0.04 |
| | | 2095 | 0.30 |
| | | 1998 | 0.32 |
| | | 1999 | 0.10 |
| | | 2004 | 0.04 |
| | | 2005 | 0.29 |
| | | 2008 | 0.04 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|--------|------|--|-------|
| 2009 | 0.10 | 2120 | 0.45 |
| 1914 | 0.16 | 2121 | 0.06 |
| 1915 | 0.08 | 2122 | 0.11 |
| 2016 | 0.26 | 2123 | 0.14 |
| 2017 | 0.44 | 2127 | 0.32 |
| 2020 | 0.40 | 2128 | 0.19 |
| 2021 | 0.09 | 2129 | 0.17 |
| 2222 | 0.08 | 2130 | 0.12 |
| 2023 | 0.09 | 2178 | 0.45 |
| 2024 | 0.12 | 2179 | 0.04 |
| 2029 | 0.13 | 2180 | 0.32 |
| 2025 | 0.08 | 2181 | 0.58 |
| 2026 | 0.06 | 2191 | 0.11 |
| 2027 | 0.03 | 2192 | 0.02 |
| 2028 | 0.04 | 2196 | 0.65 |
| 2079 | 0.32 | 2197 | 0.26 |
| 2086/1 | 0.09 | 2182 | 0.20 |
| 2087/1 | 0.06 | 2183 | 0.17 |
| 2090 | 0.10 | 2184 | 0.10 |
| 2093 | 0.10 | 2185 | 0.03 |
| 2094/1 | 0.06 | 2186 | 0.05 |
| 2096 | 0.07 | 2187 | 0.12 |
| 2098/1 | 0.02 | 2188 | 0.21 |
| 2099 | 0.06 | 2189 | 0.28 |
| 2102 | 0.06 | 2190 | 0.09 |
| 2103 | 0.13 | 2093 | 0.31 |
| 2104 | 0.05 | 2194 | 0.05 |
| 2105 | 0.05 | 2195 | 0.41 |
| 2124 | 0.05 | 2198 | 0.33 |
| 2086/2 | 0.01 | 2199 | 0.09 |
| 2087/2 | 0.03 | कुल रकबा निजी भूमि . . . | 19.90 |
| 2094/2 | 0.01 | (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—हरदुआ | |
| 2098/2 | 0.06 | मेंमारी तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर | |
| 2097 | 0.06 | निर्माण हेतु. | |
| 2100 | 0.04 | (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, | |
| 2101 | 0.04 | पन्ना में किया जा सकता है. | |
| 2118 | 0.08 | मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, | |
| | | के. सी. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव. | |

| कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग | (1) | (2) |
|---|---|---|
| सीधी, दिनांक 25 मई 2011 | 396 | 0.010 |
| प्र. क्र. 70-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :— | 397 401 402 403 404 719 720 723/1 723/2 724 725/1 725/2 726 730 731 761 762 763 766 767 768 769 771 772 786 787 789 792 794 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 830 853 854 858 | 0.150 0.110 0.090 0.040 0.010 0.190 0.020 0.020 0.010 0.360 0.105 0.105 0.120 0.020 0.050 0.010 0.060 0.010 0.150 0.150 0.150 0.120 0.040 0.070 0.160 0.260 0.040 0.030 0.200 0.430 0.020 0.020 0.010 0.070 0.070 0.020 0.020 0.010 0.050 0.230 0.070 0.030 0.580 |
| अनुसूची | | |
| (1) भूमि का विवरण—राजस्व | | |
| (क) जिला—सीधी | | |
| (ख) तहसील—रामपुर नैकिन | | |
| (ग) नगर/ग्राम—चौरगढ़ी | | |
| (घ) लगभग क्षेत्रफल— 13.982 हेक्टेयर | | |
| खसरा नम्बर | अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) | |
| (1) | (2) | |
| 224 | 0.080 | |
| 225 | 0.030 | |
| 226 | 0.060 | |
| 227 | 0.270 | |
| 339 | 0.050 | |
| 335 | 0.080 | |
| 336 | 0.060 | |
| 337 | 0.100 | |
| 342 | 0.170 | |
| 343 | 0.030 | |
| 344 | 0.120 | |
| 356 | 0.080 | |
| 357 | 0.500 | |
| 358 | 0.030 | |
| 361 | 0.060 | |
| 362 | 0.010 | |
| 363 | 0.030 | |
| 364 | 0.050 | |
| 365 | 0.080 | |
| 377 | 0.010 | |
| 378 | 0.010 | |
| 379 | 0.240 | |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|-------|-------|---|-------------|
| 859 | 0.010 | 972 | 0.090 |
| 860 | 0.030 | 973 | 0.080 |
| 861 | 0.050 | 974 | 0.010 |
| 862 | 0.940 | 1816 | 0.080 |
| 863 | 0.001 | 1817 | 0.120 |
| 864 | 0.001 | 1818 | 0.490 |
| 865 | 0.050 | 1819 | 0.382 |
| 866 | 0.028 | 1835 | 0.223 |
| 867 | 0.020 | 1836 | 0.130 |
| 868 | 0.260 | 1837 | 0.024 |
| 869 | 0.250 | कुल योग . . | 13.982 |
| 871 | 0.040 | (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—रीवा | |
| 877 | 0.020 | सीधी नई बड़ी रेल लाइन हेतु. | |
| 928 | 0.050 | (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर सीधी के | |
| 929 | 0.030 | कार्यालय में किया जा सकता है. | |
| 930 | 0.140 | | |
| 931 | 0.160 | | |
| 932 | 0.050 | प्र. क्र. 72-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का | |
| 933 | 0.110 | समाधान हो गया है, कि नीचे दी अधिसूचना के पद (1) में वर्णित | |
| 934 | 0.050 | भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन | |
| 935 | 0.040 | के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक | |
| 936/1 | 0.115 | एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित | |
| 936/2 | 0.115 | किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यक है :— | |
| 937 | 0.900 | | |
| 938 | 0.050 | | |
| 939 | 0.010 | | |
| 941 | 0.030 | | |
| 943 | 0.016 | | |
| 944 | 0.120 | | |
| 945 | 0.470 | | |
| 946 | 0.060 | | |
| 940 | 0.100 | | |
| 947 | 0.020 | | |
| 979 | 0.200 | | |
| 948 | 0.010 | | |
| 961 | 0.150 | | |
| 962 | 0.240 | | |
| 963 | 0.215 | | |
| 964 | 0.060 | | |
| 965 | 0.002 | | |
| 968 | 0.010 | | |
| 969 | 0.260 | | |
| 970 | 0.010 | | |
| 971 | 0.050 | | |
| | | खसरा नम्बर | अर्जित रकबा |
| | | (1) | (2) |
| | | 27 | 0.005 |
| | | 28 | 0.001 |
| | | 29 | 0.008 |
| | | 30 | 0.301 |
| | | 31 | 0.016 |
| | | 37 | 0.047 |
| | | 38 | 0.089 |
| | | 41/1 | |
| | | 41/2 | 0.032 |
| | | 41/3 | |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|---|----------------|-------------|-------|
| 42 | 0.124 | 3421 | 0.109 |
| 43 | 0.229 | 3422 | 0.002 |
| 55 | 0.129 | 3423 | 0.031 |
| 56 | 0.114 | 3424 | 0.050 |
| 61 | 0.098 | 3425 | 0.262 |
| 53 | 0.098 | 2818 | 0.030 |
| कुल रकबा . . | 1.291 | 3441 | 0.070 |
| | | 3512 | 0.001 |
| (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—रीवा-सीधी नई बड़ी रेल लाइन हेतु. | | 3443 | 0.032 |
| | | 3554 | 0.011 |
| (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है. | | 3451 | 0.013 |
| | | 3452 | 0.001 |
| | | 3453 | 0.060 |
| | | 3454 | 0.088 |
| प्र. क्र. 74-2010-11.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अधिसूचना के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यक है :— | | 3455 | 0.101 |
| | | 3182 | 0.001 |
| | | 3502 | 0.032 |
| | | 3510 | 0.001 |
| | | 3535 | 0.006 |
| | | 3536 | 0.032 |
| | | 3537 | 0.070 |
| | | 3539 | 0.001 |
| (1) भूमि का विवरण—राजस्व | | 3511 | 0.003 |
| (क) जिला—सीधी | | 3542 | 0.038 |
| (ख) तहसील—चुरहट | | 3543 | 0.070 |
| (ग) नगर/ग्राम—पचोखर | | 3544 | 0.105 |
| (घ) लगभग क्षेत्रफल— 3.562 हेक्टेयर | | 3548 | 0.116 |
| | | 3549 | 0.008 |
| खसरा नम्बर | अर्जित रकबा | 3551 | 0.008 |
| | (हेक्टेयर में) | 3552 | 0.024 |
| (1) | (2) | 3553 | 0.130 |
| 3532 | 0.015 | 3555 | 0.061 |
| 3227 | 0.048 | 3556 | 0.176 |
| 3225 | 0.040 | 3557 | 0.006 |
| 3226 | 0.064 | 3565 | 0.248 |
| 3228 | 0.051 | 3566 | 0.223 |
| 3229 | 0.094 | 3518 | 0.211 |
| 3186 | 0.054 | 3514 | 0.040 |
| 3231 | 0.002 | 3538 | 0.011 |
| 3233 | 0.042 | 3515 | 0.076 |
| 3238 | 0.090 | 3516 | 0.080 |
| 3187 | 0.029 | 3517 | 0.048 |
| 3185 | 0.123 | 3517 | 0.005 |
| 3432 | 0.060 | कुल योग . . | 3.562 |

| | | |
|---|-------------|--------------|
| (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—रीवा-सीधी नई बड़ी रेल लाइन हेतु. | (1) | (2) |
| | 541 | 0.049 |
| (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है. | 542 | 0.048 |
| | कुल योग . . | <u>2.663</u> |

प्र. क्र. 76-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यक है :—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—राजस्व

- (क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—चुरहट
(ग) नगर/ग्राम—भेलकी पैपखार
(घ) लगभग क्षेत्रफल— 2.663 हेक्टेयर.

| खसरा नम्बर | अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) |
|------------|-------------------------------|
| (1) | (2) |
| 446/1क | 0.010 |
| 446/क | 0.055 |
| 447 | 0.051 |
| 471 | 0.015 |
| 473 | 0.056 |
| 474 | 0.065 |
| 475 | 0.011 |
| 484 | 0.002 |
| 485 | 0.103 |
| 486 | 0.090 |
| 487 | 0.191 |
| 488 | 0.122 |
| 489 | 0.065 |
| 522 | 0.186 |
| 523 | 0.189 |
| 525/1 | 0.072 |
| 525/2 | 0.073 |
| 530 | 0.142 |
| 540 | 0.034 |
| 545 | 0.911 |
| 479 | 0.010 |
| 501/2 | 0.002 |
| 529 | 0.111 |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—रीवा-सीधी नई बड़ी रेल लाइन हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 78-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यक है :—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—राजस्व

- (क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—चुरहट
(ग) नगर/ग्राम—बड़ोखर
(घ) लगभग क्षेत्रफल— 7.073 हेक्टेयर.

| खसरा नम्बर | अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) |
|------------|-------------------------------|
| (1) | (2) |
| 9 | 0.118 |
| 10 | 0.030 |
| 12 | 0.171 |
| 13 | 0.201 |
| 14 | 0.008 |
| 17 | 0.038 |
| 27 | 0.003 |
| 28 | 0.001 |
| 29 | 0.035 |
| 30 | 0.290 |
| 31/1 | 0.060 |
| 31/2 | 0.060 |
| 31/3 | 0.031 |
| 33 | 0.044 |
| 34 | 0.060 |
| 35 | 0.088 |
| 36 | 0.055 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|-----|-------|---|----------------|
| 37 | 0.046 | 377 | 0.053 |
| 38 | 0.096 | 275 | 0.171 |
| 39 | 0.180 | 276 | 0.006 |
| 40 | 0.003 | 312 | 0.003 |
| 41 | 0.064 | 322 | 0.004 |
| 42 | 0.062 | 334 | 0.061 |
| 43 | 0.230 | 371 | 0.092 |
| 44 | 0.008 | 355 | 0.091 |
| 45 | 0.196 | 364 | 0.021 |
| 280 | 0.052 | 337 | 0.027 |
| 281 | 0.112 | 328 | 0.009 |
| 282 | 0.325 | | |
| 283 | 0.066 | कुल योग . . | <u>7.073</u> |
| 284 | 0.092 | (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—रीवा- | |
| 286 | 0.008 | सीधी नई बड़ी रेल लाइन हेतु. | |
| 306 | 0.045 | (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के | |
| 307 | 0.047 | कार्यालय में किया जा सकता है. | |
| 310 | 0.100 | | |
| 311 | 0.029 | प्र. क्र. 80-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का | |
| 318 | 0.047 | समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद (1) में वर्णित | |
| 319 | 0.060 | भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन | |
| 323 | 0.430 | के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक | |
| 325 | 0.024 | एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित | |
| 332 | 0.159 | किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यक है :— | |
| 333 | 0.112 | | |
| 335 | 0.095 | | अनुसूची |
| 337 | 0.061 | (1) भूमि का विवरण—राजस्व | |
| 342 | 0.120 | (क) जिला—सीधी | |
| 349 | 0.467 | (ख) तहसील—चुरहट | |
| 351 | 0.139 | (ग) नगर/ग्राम—पतेरी | |
| 352 | 0.093 | (घ) लगभग क्षेत्रफल— 1.847 हेक्टेयर. | |
| 353 | 0.068 | | |
| 354 | 0.187 | खसरा नम्बर | अर्जित रकबा |
| 358 | 0.137 | | (हेक्टेयर में) |
| 360 | 0.077 | (1) | (2) |
| 361 | 0.110 | 201 | 0.379 |
| 361 | 0.007 | 202 | 0.179 |
| 362 | 0.038 | 203/1, 203/2 | 0.288 |
| 363 | 0.104 | 231 | 0.006 |
| 367 | 0.152 | 234 | 0.001 |
| 368 | 0.083 | 235 | 0.031 |
| 369 | 0.147 | 236 | 0.005 |
| 372 | 0.273 | 238 | 0.027 |
| 375 | 0.291 | 239 | 0.001 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|--|----------------|--------------|-------|
| 240 | 0.030 | 602 | 0.028 |
| 241 | 0.018 | 403 | 0.017 |
| 242 | 0.040 | 404 | 0.090 |
| 243 | 0.040 | 406 | 0.010 |
| 244 | 0.030 | 407 | 0.080 |
| 245 | 0.050 | 408 | 0.090 |
| 246 | 0.050 | 409 | 0.050 |
| 247 | 0.020 | 412 | 0.040 |
| 248 | 0.060 | 614 | 0.002 |
| 249 | 0.276 | 413 | 0.030 |
| 250 | 0.132 | 414 | 0.060 |
| 251 | 0.013 | 415 | 0.080 |
| 254 | 0.008 | 416 | 0.050 |
| 280 | 0.001 | 417 | 0.110 |
| 281 | 0.010 | 418 | 0.120 |
| 282 | 0.016 | 419 | 0.162 |
| 283 | 0.048 | 420 | 0.068 |
| 284 | 0.077 | 421 | 0.071 |
| 285 | 0.002 | 423 | 0.006 |
| | | 427/1, 427/2 | 0.003 |
| कुल योग . . | 1.847 | 428 | 0.011 |
| | | 430 | 0.060 |
| (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—रीवा-सीधी नई बड़ी रेल लाइन हेतु. | | 438/1, 438/2 | 0.116 |
| | | 431 | 0.050 |
| (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है. | | 615 | 0.015 |
| | | 616 | 0.029 |
| | | 617 | 0.004 |
| | | 621 | 0.014 |
| प्र. क्र. 82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यक है :— | | 785 | 0.015 |
| | | 786 | 0.040 |
| | | 787 | 0.050 |
| | | 789 | 0.070 |
| | | 790 | 0.060 |
| | | 541 | 0.035 |
| | | 542 | 0.042 |
| | | 543 | 0.056 |
| | | 544 | 0.002 |
| | | 545 | 0.010 |
| (1) भूमि का विवरण—राजस्व | | 546 | 0.038 |
| (क) जिला—सीधी | | 548 | 0.002 |
| (ख) तहसील—चुरहट | | 549/1, 549/2 | 0.005 |
| (ग) नगर/ग्राम—रामनगर | | 550 | 0.013 |
| (घ) लगभग क्षेत्रफल— 7.481 हेक्टेयर. | | 551 | 0.133 |
| | | 552 | 0.105 |
| खसरा नम्बर | अर्जित रकबा | 553 | 0.080 |
| | (हेक्टेयर में) | 554 | 0.060 |
| (1) | (2) | 555 | 0.030 |
| 600 | 0.050 | 556 | 0.060 |
| 601 | 0.058 | | |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|---------------------|-------|--|--------------|
| 557 | 0.090 | 848 | 0.100 |
| 558 | 0.040 | 849 | 0.050 |
| 559 | 0.040 | 850 | 0.070 |
| 560 | 0.040 | 851 | 0.070 |
| 561 | 0.040 | 852 | 0.070 |
| 562 | 0.040 | 853 | 0.070 |
| 563 | 0.040 | 854 | 0.070 |
| 564 | 0.060 | 855 | 0.060 |
| 565/1, 565/2, 565/3 | 0.130 | 856 | 0.070 |
| 566 | 0.040 | 857 | 0.070 |
| 567 | 0.030 | 858 | 0.190 |
| 568 | 0.040 | 859 | 0.050 |
| 569 | 0.150 | 860 | 0.080 |
| 570 | 0.120 | 861 | 0.106 |
| 571 | 0.130 | 862 | 0.040 |
| 574 | 0.130 | 863 | 0.028 |
| 577 | 0.110 | 864 | 0.084 |
| 578/1, 578/2 | 0.140 | 866 | 0.006 |
| 579 | 0.080 | 867 | 0.048 |
| 580 | 0.030 | 868 | 0.039 |
| 581 | 0.048 | 835 | 0.060 |
| 582 | 0.030 | 836 | 0.020 |
| 583 | 0.080 | 429 | 0.007 |
| 584 | 0.060 | 432 | 0.126 |
| 585 | 0.039 | 572 | 0.030 |
| 586 | 0.100 | 573 | 0.030 |
| 587 | 0.090 | 575 | 0.040 |
| 588 | 0.070 | 576 | 0.050 |
| 589 | 0.250 | 791 | 0.120 |
| 590 | 0.020 | 792 | 0.022 |
| 591 | 0.110 | 793 | 0.010 |
| 592 | 0.037 | 794 | 0.010 |
| 593 | 0.012 | 788 | 0.003 |
| 595 | 0.014 | 802 | 0.001 |
| 596 | 0.059 | 803 | 0.037 |
| 597 | 0.060 | 804 | 0.030 |
| 598 | 0.020 | 805 | 0.004 |
| 599 | 0.020 | 806 | 0.005 |
| 837 | 0.040 | 577/2164 | 0.060 |
| 838 | 0.040 | 575/2165 | 0.050 |
| 839 | 0.029 | | |
| 833 | 0.001 | कुल योग . . | <u>7.481</u> |
| 834 | 0.060 | (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—रीवा- | |
| 843 | 0.006 | सीधी नई बड़ी रेल लाइन हेतु, | |
| 846 | 0.050 | (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, सीधी के | |
| 847 | 0.050 | कार्यालय में किया जा सकता है. | |

प्र. क्र. 84-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अधिसूचना के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यक है :—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—राजस्व

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—चुरहट

(ग) नगर/ग्राम—सांडा

(घ) लगभग क्षेत्रफल— 3.624 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

| | |
|------------------|-------|
| 30 | 0.080 |
| 31 | 0.02 |
| 32 | 0.010 |
| 33 | 0.038 |
| 35 | 0.177 |
| 36 | 0.226 |
| 37 | 0.183 |
| 38 | 0.029 |
| 41 | 0.053 |
| 44 | 0.032 |
| 51 | 0.024 |
| 52 | 0.032 |
| 53 | 0.005 |
| 54 | 0.038 |
| 55 | 0.04 |
| 56 | 0.019 |
| 57 | 0.054 |
| 63/1, 63/2, 63/4 | 0.048 |
| 64 | 0.461 |
| 65 | 0.038 |
| 66 | 0.005 |
| 67 | 0.020 |
| 69 | 0.115 |
| 70/1, 70/2 | 0.020 |
| 72 | 0.170 |
| 73 | 0.054 |
| 74 | 0.196 |
| 76 | 0.190 |
| 77 | 0.065 |

(1)

(2)

| | |
|-------------|-------|
| 79 | 0.101 |
| 80 | 0.053 |
| 141 | 0.002 |
| 142 | 0.019 |
| 143 | 0.045 |
| 144 | 0.014 |
| 145 | 0.007 |
| 146 | 0.06 |
| 147 | 0.030 |
| 148 | 0.030 |
| 149 | 0.042 |
| 150 | 0.052 |
| 151 | 0.008 |
| 160 | 0.007 |
| 161 | 0.280 |
| 162 | 0.032 |
| 163 | 0.016 |
| 45 | 0.001 |
| 68 | 0.006 |
| 78/1, 78/2 | 0.002 |
| 140 | 0.001 |
| 259 | 0.266 |
| 271 | 0.108 |
| कुल योग . . | 3.624 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—रीवा-सीधी नई बड़ी रेल लाइन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 86-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अधिसूचना के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यक है :—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—राजस्व

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—चुरहट

| (ग) नगर/ग्राम—बड़खड़ा-737 | (1) | (2) |
|--|------------------------|-------|
| (घ) लगभग क्षेत्रफल— 0.164 हेक्टेयर. | 1392 | 0.036 |
| खसरा नम्बर | 1394 | 0.091 |
| | 1401/1, 1410/2 | 0.086 |
| (1) | 1416 | 0.008 |
| | 1417 | 0.062 |
| 80 | 1413 | 0.566 |
| 81 | 1565/1, 1565/2, 1565/3 | 0.022 |
| कुल योग . . | 1566 | 0.026 |
| | 1567 | 0.225 |
| | 1568 | 0.090 |
| (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—रीवा-सीधी नई बड़ी रेल लाइन हेतु. | 1569/1, 1569/2, 1569/3 | 0.391 |
| | 1962 | 0.078 |
| (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है. | 1963 | 0.068 |
| | 1966 | 0.150 |
| | 1159/2271 | 0.027 |

प्र. क्र. 88-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अधिसूचना के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यक है :—

अनुसूची

| (1) भूमि का विवरण—राजस्व | (2) | (3) |
|-------------------------------------|----------------|--|
| (क) जिला—सीधी | 1850 | 0.011 |
| (ख) तहसील—चुरहट | 1724 | 0.123 |
| (ग) नगर/ग्राम—डाडीया 1, डाडीया 2 | 1745 | 0.112 |
| (घ) लगभग क्षेत्रफल— 4.631 हेक्टेयर. | 1746 | 0.064 |
| | 1749 | 0.017 |
| | 1754 | 0.140 |
| | 1752 | 0.06 |
| | 1753 | 0.048 |
| | 1755/1, 1755/2 | 0.165 |
| | 1756 | 0.042 |
| | 1757 | 0.004 |
| | 1758 | 0.406 |
| खसरा नम्बर | 1751 | 0.151 |
| | 1768 | 0.002 |
| (1) | 1847 | 0.026 |
| | 1848 | 0.179 |
| ग्राम—डाडीया-1 | 1849 | 0.103 |
| | 1767 | 0.002 |
| 1317 | 0.05 | |
| 1357 | 0.332 | कुल योग . . |
| 1358 | 0.018 | 4.631 |
| 1967 | 0.170 | |
| 1964 | 0.105 | (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—रीवा-सीधी नई बड़ी रेल लाइन हेतु. |
| 1965 | 0.092 | |
| 1359 | 0.04 | (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है. |
| 1360 | 0.057 | |
| 1391 | 0.186 | |

प्र. क्र. 90-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :-

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—राजस्व

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—चुरहट

(ग) नगर/ग्राम—पड़खुड़ी

(घ) लगभग क्षेत्रफल— 2.402 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

3441

0.050

3449

0.096

3338

0.250

3340

0.008

3342

0.036

3343

0.020

3344

0.213

3345

0.076

3346

0.006

3347

0.008

3348

0.003

3349

0.009

3356

0.014

3360

0.003

3361

0.028

3362

0.125

3363

0.037

3364

0.014

3365

0.008

3366

0.039

3367

0.032

3368

0.051

3369

0.001

3501

0.16

3372

0.028

3373

0.134

3374

0.208

3375

0.286

(1)

(2)

3432

0.107

3433

0.118

3434

0.020

3435

0.030

3436

0.045

3438

0.070

3439

0.058

3440

0.011

कुल योग . . . 2.402

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रीवा-सीधी नई बड़ी रेल लाइन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 92-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :-

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—राजस्व

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—चुरहट

(ग) नगर/ग्राम—हर्दिया पवई

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.098 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

7

0.050

8

0.120

81

0.410

85

0.240

91

0.326

93/2

0.015

92

0.040

95

0.085

96

0.020

97

0.120

98

0.030

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|--|-------|--------------|-------|
| 99 | 0.090 | 496 | 0.062 |
| 100 | 0.180 | 497 | 0.148 |
| 101 | 0.120 | 498 | 0.015 |
| 102 | 0.135 | 499 | 0.001 |
| 103 | 0.055 | 506/1 | 0.012 |
| 104 | 0.070 | 507 | 0.072 |
| 105 | 0.110 | 508 | 0.130 |
| 109 | 0.310 | 512 | 0.047 |
| 110 | 0.090 | 514 | 0.094 |
| 86 | 0.122 | 513 | 0.038 |
| 88 | 0.025 | 515 | 0.032 |
| 89 | 0.040 | 516 | 0.128 |
| 90 | 0.070 | 518 | 0.004 |
| 111 | 0.190 | 524/1 | 0.037 |
| 113 | 0.020 | 525/1 | 0.034 |
| 114 | 0.018 | 526 | 0.008 |
| 115 | 0.001 | 528 | 0.104 |
| 116 | 0.037 | 529 | 0.001 |
| 138 | 0.444 | 533/2 | 0.004 |
| 10/1, 10/2, 10/3 | 0.650 | 534 | 0.078 |
| कुल योग . . | 4.098 | 536 | 0.004 |
| (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रीवा- सीधी नई बड़ी रेल लाइन हेतु. | | 537/1 | 0.025 |
| (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है. | | 538 | 0.027 |
| | | 539 | 0.019 |
| | | 541/1 | 0.014 |
| | | 552 | 0.129 |
| | | 555 | 0.003 |
| | | 556 | 0.057 |
| | | 557/1 | 0.014 |
| | | 558/1, 558/2 | 0.002 |
| | | 635 | 0.036 |
| | | 636 | 0.021 |
| | | 637 | 0.047 |
| | | 641 | 0.003 |
| | | 642 | 0.062 |
| | | 644/1 | 0.002 |
| | | 644/2 | 0.001 |
| | | 646 | 0.102 |
| | | 647 | 0.097 |
| | | 755 | 1.287 |
| | | 757 | 0.016 |
| | | 791 | 0.001 |
| | | 792 | 0.001 |
| | | 793 | 0.053 |

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—राजस्व

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—चुरहट

(ग) नगर/ग्राम—बड़खड़ा-740

(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.171 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

466

0.009

| (1) | (2) | (घ) लगभग क्षेत्रफल—3.565 हेक्टेयर. | |
|-------------|-------|------------------------------------|-------------------------------|
| | | खसरा नम्बर | अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) |
| | | (1) | (2) |
| 794 | 0.069 | | |
| 795 | 0.019 | | |
| 796 | 0.109 | 218 | 0.296 |
| 797 | 0.027 | 364 | 0.086 |
| 799 | 0.052 | 372 | 0.116 |
| 800 | 0.283 | 373 | 0.048 |
| 803 | 0.001 | 374 | 0.026 |
| 804 | 0.067 | 376 | 0.034 |
| 840 | 0.55 | 377 | 0.488 |
| 845 | 0.001 | 383 | 0.051 |
| 846 | 0.067 | 384 | 1.225 |
| 847 | 0.250 | 387 | 0.005 |
| 851 | 0.013 | 388 | 0.483 |
| 852 | 0.019 | 390 | 0.022 |
| 848 | 0.048 | 391 | 0.282 |
| 802 | 0.028 | 392 | 0.072 |
| 1229 | 0.055 | 393 | 0.328 |
| 845/1492 | 0.051 | 385 | 0.003 |
| 1499 | 0.067 | | |
| 1500 | 0.098 | कुल योग . . | 3.565 |
| 1501 | 0.039 | | |
| 1502 | 0.006 | | |
| 646/1497 | 0.159 | | |
| कुल योग . . | 5.171 | | |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रीवा-सीधी नई बड़ी रेल लाइन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 96-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :-

अनुसूची

- (1) भूमि का विवरण—राजस्व
- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—चुरहट
- (ग) नगर/ग्राम—बड़खड़ा-735

प्र. क्र. 98-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :-

अनुसूची

- (1) भूमि का विवरण—राजस्व
- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—रामपुर नैकिन
- (ग) नगर/ग्राम—गोड़हा टोला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—3.280 हेक्टेयर.

| खसरा नम्बर | अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) |
|------------|-------------------------------|
| (1) | (2) |
| 9 | 0.120 |
| 10 | 0.040 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|--|-------------------------------|---------------|-------|
| 11 | 0.020 | 448/1671 | 0.081 |
| 11/491 | 0.050 | 276/1560 | 0.040 |
| 12 | 0.200 | 448/1672 | 0.036 |
| 28 | 0.070 | 279 | 0.008 |
| 29 | 0.970 | 291 | 0.015 |
| 30 | 0.210 | 306 | 0.019 |
| 31 | 0.390 | 345/1605 | 0.003 |
| 34/1 | 0.240 | 308 | 0.001 |
| 34/2 | 0.240 | 309 | 0.015 |
| 271 | 0.400 | 310 | 0.028 |
| 273 | 0.310 | 311 | 0.174 |
| 274 | 0.020 | 313 | 0.009 |
| कुल योग . . | <u>3.280</u> | 345/1606 | 0.040 |
| (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रीवा-सीधी नई बड़ी रेल लाइन हेतु, | | 351/1609 | 0.040 |
| (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है. | | 468 | 0.057 |
| | | 448/1673 | 0.040 |
| | | 332 | 0.033 |
| | | 333 | 0.021 |
| | | 334 | 0.770 |
| | | 270 | 0.016 |
| | | 336 | 0.001 |
| | | 430/1676 | 0.081 |
| | | 465/1688 | 0.047 |
| | | 340 | 0.008 |
| | | 341 | 0.024 |
| | | 342 | 0.154 |
| | | 343 | 0.023 |
| | | 344/1, 344/2 | 0.466 |
| | | 292 | 0.006 |
| | | 246/1607 | 0.038 |
| | | 347/1ख, 347/2 | 0.108 |
| | | 348 | 0.290 |
| | | 349 | 0.074 |
| | | 350 | 0.057 |
| | | 349/1612 | 0.017 |
| | | 352 | 0.061 |
| | | 443/1665 | 0.024 |
| | | 351 | 0.024 |
| | | 460/1, 460/2 | 0.060 |
| | | 274/1558 | 0.130 |
| | | 351/1610 | 0.018 |
| | | 274/1557 | 0.003 |
| | | 431 | 0.104 |
| | | 448/1674 | 0.040 |
| खसरा नम्बर | अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | | |
| 448/1670 | 0.049 | | |
| 345/1604 | 0.006 | | |
| 265 | 0.052 | | |
| 266 | 0.009 | | |
| 267 | 0.062 | | |
| 268 | 0.035 | | |
| 269 | 0.093 | | |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|------------------------|-------|---------------|--------------|
| 429 | 0.174 | 457/1685 | 0.085 |
| 430 | 0.142 | 270/1548 | 0.032 |
| 442 | 0.032 | 312 | 0.012 |
| 443/1, 443/2 | 0.044 | 353 | 0.020 |
| 444 | 0.033 | 303 | 0.012 |
| 445 | 0.053 | 304 | 0.024 |
| 448 | 0.116 | 305 | 0.028 |
| 449/1 | 0.085 | 466 | 0.142 |
| 474/1691 | 0.040 | 270/1552 | 0.003 |
| 259 | 0.089 | 276 | 0.014 |
| 260 | 0.001 | 345 | 0.166 |
| 451 | 0.025 | 341/1595 | 0.004 |
| 452 | 0.032 | 335/1589 | 0.061 |
| 457/1683 | 0.053 | 341/1596 | 0.024 |
| 454 | 0.066 | 474 | 0.053 |
| 455/1, 455/2, 455/3 | 0.120 | 471 | 0.057 |
| 456/1, 456/2 | 0.070 | 472 | 0.045 |
| 457 | 0.075 | 446 | 0.040 |
| 458 | 0.088 | 450/1, 450/2 | 0.264 |
| 259 | 0.074 | 341/1594 | 0.028 |
| 460/1686/1, 460/1686/2 | 0.126 | 432/1, 432/2 | 0.019 |
| 448/1668 | 0.045 | 79 | 0.198 |
| 273 | 0.003 | 335/1592 | 0.001 |
| 293 | 0.001 | 329 | 0.008 |
| 464/1, 464/2 | 0.070 | 69/1, 69/2 | 0.105 |
| 465 | 0.077 | 430/1676 | 0.081 |
| 480 | 0.020 | 73 | 0.047 |
| 481 | 0.028 | 78 | 0.202 |
| 274/1559/1/1 | | 80 | 0.069 |
| 274/1559/1/2 | | 81 | 0.113 |
| 274/1559/1/3 | 0.156 | 82 | 0.049 |
| 274/1559/2 | | 84 | 0.049 |
| 274/1559/1/4 | | 86/1, 86/2 | 0.064 |
| 463/1, 463/2 | 0.011 | 88 | 0.077 |
| 470 | 0.073 | 274 | 0.243 |
| 448/1675/1, 448/1675/2 | 0.048 | 433 | 0.001 |
| 352 | 0.061 | 447 | 0.053 |
| 315 | 0.001 | 269/1547 | 0.039 |
| 475 | 0.053 | 335/1590 | 0.017 |
| 77 | 0.036 | 335/1591 | 0.010 |
| 476 | 0.040 | 87 | 0.069 |
| 329/1597 | 0.003 | | |
| 450/1682/1, 450/1682/2 | 0.024 | कुल योग . . . | <u>8.583</u> |
| 465/1689 | 0.057 | | |

| | | |
|--|-------------|--------------|
| (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—रीवा-सीधी नई बड़ी रेल लाइन हेतु. | (1) | (2) |
| (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है. | 529 | 0.030 |
| | 530 | 0.010 |
| | 416 | 0.061 |
| | 417 | 0.020 |
| | 419 | 0.070 |
| | 435 | 0.016 |
| | 436 | 0.061 |
| | 440 | 0.008 |
| | 443 | 0.216 |
| | 444 | 0.052 |
| | 446 | 0.039 |
| | 469 | 0.047 |
| | 515 | 0.001 |
| | 516 | 0.173 |
| | 517 | 0.180 |
| | 521 | 0.180 |
| | 522 | 0.007 |
| | कुल योग . . | <u>2.805</u> |

प्र. क्र. 102-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :—

अनुसूची

| | | |
|------------------------------------|-------------|--------------|
| (1) भूमि का विवरण—राजस्व | | |
| (क) जिला—सीधी | 517 | 0.180 |
| (ख) तहसील—चुरहट | 521 | 0.180 |
| (ग) नगर/ग्राम—खमहौनिया कलां | 522 | 0.007 |
| (घ) लगभग क्षेत्रफल—2.805 हेक्टेयर. | | |
| | कुल योग . . | <u>2.805</u> |

| खसरा नम्बर | अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) |
|------------|-------------------------------|
| (1) | (2) |
| 14 | 0.007 |
| 15 | 0.169 |
| 524 | 0.060 |
| 19 | 0.068 |
| 20 | 0.083 |
| 25 | 0.001 |
| 26 | 0.002 |
| 29/1, 29/2 | 0.034 |
| 30 | 0.141 |
| 39/1, 39/2 | 0.340 |
| 13 | 0.050 |
| 41 | 0.093 |
| 42 | 0.092 |
| 43 | 0.020 |
| 44 | 0.079 |
| 45 | 0.010 |
| 46 | 0.016 |
| 523 | 0.020 |
| 468 | 0.125 |
| 407 | 0.138 |
| 408 | 0.081 |
| 410 | 0.005 |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—रीवा-सीधी नई बड़ी रेल लाइन हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 104-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का विवरण—राजस्व
- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—चुरहट
- (ग) नगर/ग्राम—हर्दिआ कोठार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.171 हेक्टेयर.

| खसरा नम्बर | अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) |
|--------------|-------------------------------|
| (1) | (2) |
| 179/1, 179/2 | 0.032 |
| 138 | 0.020 |

लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :-

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—राजस्व

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—रामपुर नैकिन

(ग) नगर/ग्राम—बघवार

(घ) लगभग क्षेत्रफल—14.179 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

| | |
|--------------|-------|
| (1) | (2) |
| 139 | 0.064 |
| 140 | 0.004 |
| 251/1, 251/2 | 0.004 |
| 255/1, 255/2 | 0.028 |
| 152/1, 152/2 | 0.029 |
| 153 | 0.030 |
| 154 | 0.044 |
| 155 | 0.103 |
| 156 | 0.042 |
| 157 | 0.005 |
| 158 | 0.026 |
| 162 | 0.002 |
| 163 | 0.035 |
| 164 | 0.068 |
| 165 | 0.030 |
| 166 | 0.022 |
| 167 | 0.020 |
| 168 | 0.040 |
| 169 | 0.037 |
| 170 | 0.010 |
| 171 | 0.003 |
| 176 | 0.001 |
| 177 | 0.003 |
| 254 | 0.001 |
| 180 | 0.022 |
| 181 | 0.022 |
| 242 | 0.051 |
| 247 | 0.004 |
| 248 | 0.048 |
| 249 | 0.217 |
| 250 | 0.021 |
| 257 | 0.070 |
| 256 | 0.013 |

कुल योग . . . 1.171

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रीवा-सीधी नई बड़ी रेल लाइन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 106-2010-11.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अधिसूचना के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के

| | |
|-------|-------|
| 414 | 0.020 |
| 415 | 0.070 |
| 418 | 0.030 |
| 419/1 | 0.050 |
| 419/2 | 0.055 |
| 420/1 | 0.100 |
| 420/2 | 0.200 |
| 421 | 0.060 |
| 422 | 0.090 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|-------|-------|---|---------------|
| 449/1 | 0.090 | 1308 | 0.380 |
| 450/1 | 0.030 | 1721 | 0.020 |
| 451/1 | 0.095 | 1727 | 0.040 |
| 451/2 | 0.095 | 1728 | 0.460 |
| 452/1 | 0.015 | 1729 | 0.040 |
| 452/2 | 0.015 | 1730 | 0.060 |
| 458 | 0.440 | 1731 | 0.690 |
| 459 | 0.110 | 1732 | 0.038 |
| 460 | 0.030 | 1733 | 0.411 |
| 484 | 0.110 | 1734 | 0.176 |
| 485 | 0.190 | 1769 | 0.035 |
| 486/1 | 0.074 | 1771 | 0.300 |
| 486/2 | 0.016 | 1772/1 | 0.236 |
| 487 | 0.090 | 1772/2 | 0.236 |
| 488 | 0.160 | 1773/1 | 0.348 |
| 516 | 0.050 | 1773/2 | 0.348 |
| 517 | 0.150 | 1775 | 0.040 |
| 518 | 0.250 | 1776 | 0.056 |
| 524 | 0.020 | 1777 | 0.060 |
| 525 | 0.130 | 1778 | 0.108 |
| 526 | 0.040 | 1779 | 0.051 |
| 528 | 0.020 | 1780 | 0.270 |
| 540 | 0.040 | 1781 | 0.030 |
| 541 | 0.010 | 1782 | 0.480 |
| 542 | 0.030 | 1783 | 0.001 |
| 543 | 0.080 | 1785 | 0.096 |
| 544 | 0.080 | 1786 | 0.026 |
| 545 | 0.030 | 1787 | 0.070 |
| 563 | 0.250 | 1788 | 0.040 |
| 564 | 0.230 | 1789 | 0.050 |
| 565 | 0.050 | 1790 | 0.115 |
| 569 | 0.030 | 1791 | 0.230 |
| 570 | 0.010 | 1792 | 0.080 |
| 572/1 | 0.140 | 1793 | 0.350 |
| 572/2 | 0.140 | 1794 | 0.040 |
| 39/2 | 0.010 | 1795 | 0.018 |
| 56 | 0.010 | 1799 | 0.220 |
| 57 | 0.010 | | |
| 79 | 0.010 | कुल योग . . | <u>14.179</u> |
| 92 | 0.010 | | |
| 493 | 0.010 | (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रीवा- सीधी नई बड़ी रेल लाइन हेतु. | |
| 515 | 0.010 | (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है. | |
| 522 | 0.010 | | |
| 566/1 | 0.007 | | |
| 1304 | 0.003 | | |
| 1306 | 0.060 | | |
| 1307 | 0.150 | | |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एन. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 31 मार्च 2011

क्र. क्यू.-भू-अर्जन-408.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शिवपुरी
(ख) तहसील—करैरा
(ग) नगर/ग्राम—राजगढ़
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.12 हेक्टर.

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टर में) |
|---------------|----------------------|
| (1) | (2) |
| 143 | 0.12 |
| योग . . | <u>0.12</u> |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:—सिंध परियोजना उकायला मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क्यू.-भू-अर्जन-409.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शिवपुरी
(ख) तहसील—नरवर

(ग) नगर/ग्राम—कोंडूर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.20 हेक्टर.

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टर में) |
|---------------|----------------------|
| (1) | (2) |
| 679/2/1 | 0.10 |
| 681/1 | 0.09 |
| 681/3 | 0.01 |
| योग . . | <u>0.20</u> |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:—सिंध परियोजना उकायला मुख्य नहर की डी-1 वितरिका शाखा की कोंडूर मायनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजकुमार पाठक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 18 मई 2011

क्र.-881-भू-अर्जन-2011-कलै. का प्र. क्र.-2-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

1. भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का विवरण—(शासकीय भूमि में)

- (क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—बड़वानी

| (ग) ग्राम—पॉचपुला उत्तर भाग-2 | | | (1) | (2) | (3) |
|--|------------------|------------------------------------|---------------|-----|--------|
| (घ) लगभग क्षेत्रफल (वर्ग मी.)—13437.03 (भूमि छोड़कर) | | | 759/1 बैड़ी | 1 | 46.37 |
| खसरा नम्बर | मकानों की संख्या | मकानों का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) | 759/1 बैड़ी | 1 | 23.00 |
| (1) | (2) | (3) | 759/1 बैड़ी | 1 | 71.03 |
| 783/1 बैड़ी | 1 | 64.29 | 751 बैड़ी | 1 | 52.26 |
| 783/1 बैड़ी | 1 | 33.94 | 751 बैड़ी | 1 | 55.76 |
| 754 बैड़ी | 1 | 59.55 | 751 बैड़ी | 1 | 34.58 |
| 754 बैड़ी | 1 | 26.65 | 751 बैड़ी | 1 | 40.12 |
| 754 बैड़ी | 1 | 58.42 | 751 बैड़ी | 1 | 33.64 |
| 754 बैड़ी | 1 | 25.22 | 759/1 बैड़ी | 1 | 12.32 |
| 754 बैड़ी | 1 | 14.28 | 759/1 बैड़ी | 1 | 12.32 |
| 754 बैड़ी | 1 | 212.10 | 759/1 बैड़ी | 1 | 31.33 |
| 759/1 बैड़ी | 1 | 42.60 | 759/1 बैड़ी | 1 | 70.33 |
| 759/1 बैड़ी | 1 | 16.64 | 759/1 बैड़ी | 1 | 71.56 |
| 759/1 बैड़ी | 1 | 53.32 | 234 बैड़ी | 1 | 61.04 |
| 759/1 बैड़ी | 1 | 33.97 | 234 बैड़ी | 1 | 75.69 |
| 759/1 बैड़ी | 1 | 49.34 | 234 बैड़ी | 1 | 94.45 |
| 759/1 बैड़ी | 1 | 74.64 | 234 बैड़ी | 1 | 46.44 |
| 759/1 बैड़ी | 1 | 25.56 | 234 बैड़ी | 1 | 82.20 |
| 759/1 बैड़ी | 1 | 61.74 | 234 बैड़ी | 1 | 97.55 |
| 759/1 बैड़ी | 1 | 8.32 | 234 बैड़ी | 1 | 118.63 |
| 759/1 बैड़ी | 1 | 77.74 | 310/1 बैड़ी | 1 | 29.16 |
| 759/1 बैड़ी | 1 | 22.79 | 310/1 बैड़ी | 1 | 88.06 |
| 77/1 बैड़ी | 1 | 50.88 | 310/1 बैड़ी | 1 | 83.61 |
| 170/1/1 पहाड़ | 1 | 70.22 | 310/1 बैड़ी | 1 | 17.10 |
| 170/1/1 पहाड़ | 1 | 102.42 | 310/1 बैड़ी | 1 | 33.15 |
| 170/1/1 पहाड़ | 1 | 27.00 | 310/1 बैड़ी | 1 | 55.00 |
| 170/1/1 पहाड़ | 1 | 11.61 | 313/1 बैड़ी | 1 | 18.86 |
| 170/1/1 पहाड़ | 1 | 61.71 | 313/1 बैड़ी | 1 | 138.61 |
| 170/1/1 पहाड़ | 1 | 33.88 | 121/1 बैड़ी | 1 | 77.02 |
| 170/1/1 पहाड़ | 1 | 27.00 | 121/1 बैड़ी | 1 | 59.56 |
| 170/1/1 पहाड़ | 1 | 31.60 | 121/1 बैड़ी | 1 | 105.40 |
| 170/1/1 पहाड़ | 1 | 8.58 | 121/1 बैड़ी | 1 | 34.05 |
| 170/1/1 पहाड़ | 1 | 19.78 | 170/1/1 पहाड़ | 1 | 54.70 |
| 170/1/1 पहाड़ | 1 | 20.28 | 170/1/1 पहाड़ | 1 | 14.72 |
| 170/1/1 पहाड़ | 1 | 21.73 | 170/1/1 पहाड़ | 1 | 34.29 |
| 170/1/1 पहाड़ | 1 | 62.33 | 170/1/1 पहाड़ | 1 | 70.04 |
| 170/1/1 पहाड़ | 1 | 43.75 | 170/1/1 पहाड़ | 1 | 27.44 |
| 170/1/1 पहाड़ | 1 | 9.54 | 170/1/1 पहाड़ | 1 | 96.50 |
| 170/1/1 पहाड़ | 1 | 54.98 | 170/1/1 पहाड़ | 1 | 44.70 |
| 170/1/1 पहाड़ | 1 | 4.70 | 170/1/1 पहाड़ | 1 | 32.00 |
| 170/1/1 पहाड़ | 1 | 64.07 | 170/1/1 पहाड़ | 1 | 233.20 |
| 759/1 बैड़ी | 1 | 55.08 | 170/1/1 पहाड़ | 1 | 61.60 |
| | | | 170/1/1 पहाड़ | 1 | 32.10 |
| | | | 170/1/1 पहाड़ | 1 | 54.78 |

| (1) | (2) | (3) | (1) | (2) | (3) |
|---------------|-----|------------|-------------|-----|------------|
| 170/1/1 पहाड़ | 1 | 53.95 | 553/1 बैड़ी | 1 | 55.85 |
| 254/1 बैड़ी | 1 | 56.21 | 558/1 पहाड़ | 1 | 32.76 टापु |
| 586/1 बैड़ी | 1 | 51.87 टापु | 283 बैड़ी | | 2065 टापु |
| 586/1 बैड़ी | 1 | 24.92 | 283 बैड़ी | 1 | 20.65 टापु |
| 586/1 बैड़ी | 1 | 40.56 | 283/1 बैड़ी | 1 | 43.31 टापु |
| 586/1 बैड़ी | 1 | 56.07 | 283/1 बैड़ी | 1 | 46.26 टापु |
| 586/1 बैड़ी | 1 | 94.44 | 283/1 बैड़ी | 1 | 26.46 टापु |
| 586/1 बैड़ी | 1 | 87.41 | 283/1 बैड़ी | 1 | 65.02 टापु |
| 586/1 बैड़ी | 1 | 63.13 | 283/1 बैड़ी | 1 | 46.05 टापु |
| 586/1 बैड़ी | 1 | 57.47 | 283/1 बैड़ी | 1 | 45.16 टापु |
| 586/1 बैड़ी | 1 | 29.64 | 283/1 बैड़ी | 1 | 35.57 टापु |
| 586/1 बैड़ी | 1 | 40.80 | 283/1 बैड़ी | 1 | 28.05 टापु |
| 586/1 बैड़ी | 1 | 41.28 | 283/1 बैड़ी | 1 | 48.62 टापु |
| 586/1 बैड़ी | 1 | 127.94 | 283/1 बैड़ी | 1 | 31.08 टापु |
| 586/1 बैड़ी | 1 | 29.31 | 283/1 बैड़ी | 1 | 55.40 टापु |
| 586/1 बैड़ी | 1 | 25.50 | 283/1 बैड़ी | 1 | 49.17 टापु |
| 586/1 बैड़ी | 1 | 46.59 | 283/1 बैड़ी | 1 | 89.00 टापु |
| 616/1 बैड़ी | 1 | 95.53 | 283/1 बैड़ी | 1 | 28.50 टापु |
| 616/1 बैड़ी | 1 | 156.60 | 283/1 बैड़ी | 1 | 50.36 टापु |
| 616/1 बैड़ी | 1 | 31.60 | 283/1 बैड़ी | 1 | 61.30 टापु |
| 611/1 बैड़ी | 1 | 132.27 | 749 बैड़ी | 1 | 40.76 |
| 611/1 बैड़ी | 1 | 41.44 | 749 बैड़ी | 1 | 52.25 |
| 611/1 बैड़ी | 1 | 83.03 | 749 बैड़ी | 1 | 2.38 |
| 611/1 बैड़ी | 1 | 32.76 | 718 बैड़ी | 1 | 20.91 |
| 611/1 बैड़ी | 1 | 25.20 | 718 बैड़ी | 1 | 34.56 |
| 611/1 बैड़ी | 1 | 19.07 | 718 बैड़ी | 1 | 11.78 |
| 611/1 बैड़ी | 1 | 86.48 | 718 बैड़ी | 1 | 26.22 |
| 611/1 बैड़ी | 1 | 47.96 | 718 बैड़ी | 1 | 42.60 |
| 611/1 बैड़ी | 1 | 56.67 | 718 बैड़ी | 1 | 33.00 |
| 611/1 बैड़ी | 1 | 21.07 | 718 बैड़ी | 1 | 26.66 |
| 611/1 बैड़ी | 1 | 34.72 | 718 बैड़ी | 1 | 90.77 |
| 288/1 बैड़ी | 1 | 47.40 | 775/1 बैड़ी | 1 | 78.28 |
| 288/1 बैड़ी | 1 | 34.79 | 775/1 बैड़ी | 1 | 76.88 |
| 288/1 बैड़ी | 1 | 50.37 | 775/1 बैड़ी | 1 | 215.88 |
| 288/1 बैड़ी | 1 | 22.78 | 775/1 बैड़ी | 1 | 20.46 |
| 288/1 बैड़ी | 1 | 76.00 | 775/1 बैड़ी | 1 | 48.24 |
| 288/1 बैड़ी | 1 | 19.07 | 254/1 बैड़ी | 1 | 39.91 |
| 558/1 पहाड़ | 1 | 119.06 | 254/1 बैड़ी | 1 | 27.56 |
| 558/1 पहाड़ | 1 | 60.57 | 254/1 बैड़ी | 1 | 60.51 |
| 558/1 पहाड़ | 1 | 25.44 | 254/1 बैड़ी | 1 | 71.96 |
| 558/1 पहाड़ | 1 | 51.70 | 254/1 बैड़ी | 1 | 27.53 |
| 553/1 बैड़ी | 1 | 83.15 | 254/1 बैड़ी | 1 | 33.32 |
| 553/1 बैड़ी | 1 | 113.98 | 254/1 बैड़ी | 1 | 78.10 |
| 553/1 बैड़ी | 1 | 92.84 | 254/1 बैड़ी | 1 | 129.41 |

| (1) | (2) | (3) | (1) | (2) | (3) |
|-------------|-----|--------|--|-----|-------------|
| 254/1 बैड़ी | 1 | 143.19 | 583/1 बैड़ी | 1 | 62.44 |
| 254/1 बैड़ी | 1 | 176.80 | 583/1 बैड़ी | 1 | 3.24 |
| 254/1 बैड़ी | 1 | 16.56 | 283/1 बैड़ी | 1 | 65.01 टापु |
| 254/1 बैड़ी | 1 | 138.83 | 283/1 बैड़ी | 1 | 23.04 टापु |
| 254/1 बैड़ी | 1 | 63.53 | 583/1 बैड़ी | 1 | 139.28 टापु |
| 254/1 बैड़ी | 1 | 110.29 | 775/1 बैड़ी | 1 | 57.54 |
| 254/1 बैड़ी | 1 | 78.36 | 753 बैड़ी | 1 | 19.52 |
| 254/1 बैड़ी | 1 | 57.20 | 753 बैड़ी | 1 | 23.79 |
| 254/1 बैड़ी | 1 | 38.86 | 753 बैड़ी | 1 | 42.58 |
| 254/1 बैड़ी | 1 | 60.60 | 170/1/1पहाड़ | 1 | 21.93 |
| 611/1 बैड़ी | 1 | 27.95 | 752 बैड़ी | 1 | 24.84 |
| 611/1 बैड़ी | 1 | 44.45 | 225 नाली | 1 | 41.76 |
| 611/1 बैड़ी | 1 | 24.38 | 225 नाली | 1 | 20.70 |
| 611/1 बैड़ी | 1 | 47.30 | 225 नाली | 1 | 34.05 |
| 611/1 बैड़ी | 1 | 20.25 | 225 नाली | 1 | 53.00 |
| 611/1 बैड़ी | 1 | 38.54 | 225 नाली | 1 | 31.72 |
| 611/1 बैड़ी | 1 | 17.20 | 225 नाली | 1 | 57.13 |
| 611/1 बैड़ी | 1 | 33.76 | 225 नाली | 1 | 42.90 |
| 611/1 बैड़ी | 1 | 20.75 | 225 नाली | 1 | 57.13 |
| 611/1 बैड़ी | 1 | 40.80 | 225 नाली | 1 | 42.90 |
| 611/1 बैड़ी | 1 | 48.91 | 170/1/1 पहाड़ | 1 | 72.44 |
| 611/1 बैड़ी | 1 | 43.58 | 313/1 बैड़ी | 1 | 66.42 |
| 254/1 बैड़ी | 1 | 18.92 | 254/1 बैड़ी | 1 | 39.65 |
| 254/1 बैड़ी | 1 | 56.09 | 254/1 बैड़ी | 1 | 53.22 |
| 254/1 बैड़ी | 1 | 61.60 | 254/1 बैड़ी | 1 | 72.44 |
| 715/1 बैड़ी | 1 | 46.20 | 715/1 बैड़ी | 1 | 27.95 |
| 715/1 बैड़ी | 1 | 20.16 | 710/1 पहाड़ | 1 | 160.67 |
| 715/1 बैड़ी | 1 | 146.56 | 710/1 पहाड़ | 1 | 108.52 |
| 715/1 बैड़ी | 1 | 44.10 | 710/1 पहाड़ | 1 | 70.22 |
| 715/1 बैड़ी | 1 | 12.70 | 710/1 पहाड़ | 1 | 91.97 |
| 715/1 बैड़ी | 1 | 35.96 | 121/1 बैड़ी | 1 | 72.44 |
| 715/1 बैड़ी | 1 | 11.90 | 254/1 बैड़ी | 1 | 45.85 |
| 715/1 बैड़ी | 1 | 51.96 | 254/1 बैड़ी | 1 | 53.82 |
| 715/1 बैड़ी | 1 | 49.34 | 196 बैड़ी | 1 | 20.15 |
| 715/1 बैड़ी | 1 | 63.95 | 196 बैड़ी | 1 | 57.41 |
| 583/1 बैड़ी | 1 | 44.56 | 239 नाली | 1 | 77.40 |
| 583/1 बैड़ी | 1 | 37.97 | योग मकान | 251 | 13437.03 |
| 583/1 बैड़ी | 1 | 34.16 | | | |
| 583/1 बैड़ी | 1 | 18.81 | (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.—शहीद भीमा नायक सागर (लोअरगोर्ड) परियोजना बड़वानी, बांध निर्माण से प्रभावित होने के कारण. | | |
| 583/1 बैड़ी | 1 | 49.29 | नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय बड़वानी, भू-अर्जन अधिकारी शहीद भीमा नायक सागर (लोअरगोर्ड) परियोजना बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-12 राजपुर, जिला-बड़वानी के कार्यालय में कार्यालय समय में किया जा सकता है. | | |
| 583/1 बैड़ी | 1 | 29.07 | | | |
| 583/1 बैड़ी | 1 | 28.03 | | | |
| 583/1 बैड़ी | 1 | 114.30 | | | |
| 583/1 बैड़ी | 1 | 23.68 | | | |
| 583/1 बैड़ी | 1 | 67.68 | | | |

क्र.-879-भू-अर्जन-2011-कले. प्र. क्र.-3-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का अनुसूची के पद (2) में से उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

1. भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का विवरण—(शासकीय भूमि में)

(क) जिला—बड़वानी

(ख) तहसील—बड़वानी

(ग) ग्राम—पॉचपुला दक्षिण भाग-2

(घ) लगभग क्षेत्रफल (वर्ग मी.)—5127.41 (भूमि छोड़कर)

खसरा मकानों की मकानों का क्षेत्रफल
नम्बर संख्या (वर्गमीटर में)

(1) (2) (3)

| | | |
|-------------|---|--------|
| 191/1 बैड़ी | 1 | 40.91 |
| 191/1 बैड़ी | 1 | 50.70 |
| 191/1 बैड़ी | 1 | 42.24 |
| 191/1 बैड़ी | 1 | 63.08 |
| 191/1 बैड़ी | 1 | 106.04 |
| 191/1 बैड़ी | 1 | 98.98 |
| 191/1 बैड़ी | 1 | 12.25 |
| 191/1 बैड़ी | 1 | 148.35 |
| 172/1 बैड़ी | 1 | 54.07 |
| 172/1 बैड़ी | 1 | 28.50 |
| 172/1 बैड़ी | 1 | 14.48 |
| 172/1 बैड़ी | 1 | 19.80 |
| 172/1 बैड़ी | 1 | 16.56 |
| 172/1 बैड़ी | 1 | 19.25 |
| 173/1 प.ला. | 1 | 42.40 |
| 173/1 प.ला. | 1 | 15.60 |
| 173/1 प.ला. | 1 | 36.96 |
| 173/1 प.ला. | 1 | 50.00 |
| 173/1 प.ला. | 1 | 41.87 |
| 173/1 प.ला. | 1 | 24.99 |
| 173/1 प.ला. | 1 | 77.00 |
| 173/1 प.ला. | 1 | 35.00 |
| 173/1 प.ला. | 1 | 32.31 |
| 173/1 प.ला. | 1 | 31.85 |

| (1) | (2) | (3) |
|---------------|-----|--------------|
| 434/1 चरागाह | 1 | 72.00 |
| 434/1 चरागाह | 1 | 37.56 |
| 434/1 चरागाह | 1 | 54.82 |
| 434/1 चरागाह | 1 | 29.20 |
| 434/1 चरागाह | 1 | 74.69 |
| 643 चरागाह | 1 | 10.98 |
| 661 बैड़ी | 1 | 26.40 |
| 661 बैड़ी | 1 | 99.72 |
| 661 बैड़ी | 1 | 98.95 |
| 769/1 बैड़ी | 1 | 170.73 |
| 729/1 बैड़ी | 1 | 18.00 |
| 731/1/3 बैड़ी | 1 | 12.00 |
| 729/1 बैड़ी | 1 | 21.60 |
| 729/1 बैड़ी | 1 | 15.51 |
| 182/1 बैड़ी | 1 | 59.88 |
| 182/1 बैड़ी | 1 | 56.98 |
| 182/1 बैड़ी | 1 | 103.76 |
| 182/1 बैड़ी | 1 | 80.08 |
| 182/1 बैड़ी | 1 | 71.55 |
| 182/1 बैड़ी | 1 | 34.20 |
| 182/1 बैड़ी | 1 | 17.64, 30.71 |
| 182/1 बैड़ी | 1 | 17.64 |
| 182/1 बैड़ी | 1 | 49.54 |
| 434/1 बैड़ी | 1 | 24.50 |
| 434/1 बैड़ी | 1 | 23.80 |
| 434/1 बैड़ी | 1 | 23.80 |
| 434/1 बैड़ी | 1 | 24.50 |
| 432/1 बैड़ी | 1 | 82.55 |
| 432/1 बैड़ी | 1 | 66.22 |
| 432/1 बैड़ी | 1 | 66.52 |
| 432/1 बैड़ी | 1 | 68.78 |
| 434/1 चरागाह | 1 | 80.39 |
| 205/1 बैड़ी | 1 | 49.50 |
| 451 बैड़ी | 1 | 5.05 |
| 678 बैड़ी | 1 | 194.95 |
| 678 बैड़ी | 1 | 74.60 |
| 678 बैड़ी | 1 | 35.15 |
| 678 बैड़ी | 1 | 41.00 |
| 678 बैड़ी | 1 | 33.63 |
| 678 बैड़ी | 1 | 209.33 |
| 678 बैड़ी | 1 | 45.58 |
| 766 बैड़ी | 1 | 59.44 |
| 675 बैड़ी | 1 | 39.43 |
| 457 बैड़ी | 1 | 53.78 |
| 432/1 बैड़ी | 1 | 115.41 |

| (1) | (2) | (3) |
|-------------|-----|---------|
| 432/1 बैड़ी | 1 | 47.82 |
| 432/1 बैड़ी | 1 | 43.30 |
| 432/1 बैड़ी | 1 | 8.99 |
| 216 बैड़ी | 1 | 94.71 |
| 439/1 बैड़ी | 1 | 91.00 |
| 439/1 बैड़ी | 1 | 53.92 |
| 439/1 बैड़ी | 1 | 27.62 |
| 439/1 बैड़ी | 1 | 131.94 |
| 439/1 बैड़ी | 1 | 102.74 |
| 439/1 बैड़ी | 1 | 52.50 |
| 432/1 बैड़ी | 1 | 105.84 |
| 432/1 बैड़ी | 1 | 25.20 |
| 432/1 बैड़ी | 1 | 39.69 |
| 432/1 बैड़ी | 1 | 140.90 |
| 432/1 बैड़ी | 1 | 40.00 |
| 432/1 बैड़ी | 1 | 127.92 |
| 432/1 बैड़ी | 1 | 45.26 |
| 432/1 बैड़ी | 1 | 72.25 |
| 173/1 बैड़ी | 1 | 18.13 |
| 182/1 बैड़ी | 1 | 72.44 |
| योग . . | 89 | 5127.41 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—शहीद भीमा नायक सागर (लोअरगोई) परियोजना बड़वानी, बांध निर्माण से प्रभावित होने के कारण.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय बड़वानी, भू-अर्जन अधिकारी शहीद भीमा नायक सागर (लोअरगोई) परियोजना बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-12 राजपुर, जिला-बड़वानी के कार्यालय में कार्यालय समय में किया जा सकता है.

क्र.-880-भू-अर्जन-2011-कलेक्टर प्र. क्र.-4-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

- भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का विवरण—(शासकीय भूमि में)
 - जिला—बड़वानी
 - तहसील—बड़वानी

(ग) ग्राम—वेदपुरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल (वर्ग मी.)—762.50 (भूमि छोड़कर)

| खसरा नम्बर | मकानों की संख्या | मकानों का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) |
|-------------|------------------|------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 511/9 बैड़ी | 1 | 34.68 |
| 600/1 बैड़ी | 1 | 22.05 |
| 600/1 बैड़ी | 1 | 28.42 |
| 600/1 बैड़ी | 1 | 41.12 |
| 600/1 बैड़ी | 1 | 69.88 |
| 600/1 बैड़ी | 1 | 79.22 |
| 600/1 बैड़ी | 1 | 42.40 |
| 600/1 बैड़ी | 1 | 31.86 |
| 600/1 बैड़ी | 1 | 26.91 |
| 600/1 बैड़ी | 1 | 127.33 |
| 600/1 बैड़ी | 1 | 42.21 |
| 600/1 बैड़ी | 1 | 60.30 |
| 600/1 बैड़ी | 1 | 13.60 |
| 637 बैड़ी | 1 | 109.14 |
| 600/1 बैड़ी | 1 | 33.38 |
| योग . . | 15 | 762.50 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—शहीद भीमा नायक सागर (लोअरगोई) परियोजना बांध निर्माण से प्रभावित होने के कारण.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी शहीद भीमा नायक सागर (लोअरगोई) परियोजना बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-12 राजपुर, जिला-बड़वानी के कार्यालय में कार्यालय समय में किया जा सकता है.

क्र.-878-भू-अर्जन-2011-कले. प्र. क्र.-5-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

- भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का विवरण—(शासकीय भूमि में)
 - जिला—बड़वानी
 - तहसील—बड़वानी

| (ग) ग्राम—भण्डारदा | | | (1) | (2) | (3) |
|---|------------------|------------------------------------|---------------|-----|--------|
| (घ) लगभग क्षेत्रफल (वर्ग मी.)—6623.01 (भूमि छोड़कर) | | | | | |
| खसरा नम्बर | मकानों की संख्या | मकानों का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) | | | |
| (1) | (2) | (3) | | | |
| 392/1 बैड़ी | 1 | 22.50 | 381/1/1 बैड़ी | 1 | 90.16 |
| 392/1 बैड़ी | 1 | 30.24 | 381/1/1 बैड़ी | 1 | 22.44 |
| 392/1 बैड़ी | 1 | 66.00 | 381/1/1 बैड़ी | 1 | 29.15 |
| 392/1 बैड़ी | 1 | 95.40 | 381/1/1 बैड़ी | 1 | 66.94 |
| 392/1 बैड़ी | 1 | 107.44 | 381/1/1 बैड़ी | 1 | 67.11 |
| 381/1/1 बैड़ी | 1 | 64.98 | 381/1/1 बैड़ी | 1 | 90.48 |
| 381/1/1 बैड़ी | 1 | 31.36 | 381/1/1 बैड़ी | 1 | 50.90 |
| 381/1/1 बैड़ी | 1 | 57.43 | 381/1/1 बैड़ी | 1 | 143.59 |
| 381/1/1 बैड़ी | 1 | 79.68 | 381/1/1 बैड़ी | 1 | 97.00 |
| 381/1/1 बैड़ी | 1 | 71.64 | 381/1/1 बैड़ी | 1 | 63.00 |
| 381/1/1 बैड़ी | 1 | 62.64 | 381/1/1 बैड़ी | 1 | 97.85 |
| 381/1/1 बैड़ी | 1 | 41.52 | 381/1/1 बैड़ी | 1 | 50.89 |
| 381/1/1 बैड़ी | 1 | 53.56 | 381/1/1 बैड़ी | 1 | 72.04 |
| 381/1/1 बैड़ी | 1 | 60.07 | 381/1/1 बैड़ी | 1 | 100.35 |
| 381/1/1 बैड़ी | 1 | 32.56 | 381/1/1 बैड़ी | 1 | 35.51 |
| 381/1/1 बैड़ी | 1 | 92.53 | 381/1/1 बैड़ी | 1 | 86.49 |
| 381/1/1 बैड़ी | 1 | 62.20 | 381/1/1 बैड़ी | 1 | 72.32 |
| 381/1/1 बैड़ी | 1 | 44.29 | 381/1/1 बैड़ी | 1 | 81.52 |
| 381/1/1 बैड़ी | 1 | 73.69 | 381/1/1 बैड़ी | 1 | 85.24 |
| 381/1/1 बैड़ी | 1 | 57.70 | 381/1/1 बैड़ी | 1 | 47.52 |
| 381/1/1 बैड़ी | 1 | 33.00 | 381/1/1 बैड़ी | 1 | 47.20 |
| 381/1/1 बैड़ी | 1 | 44.64 | 381/1/1 बैड़ी | 1 | 30.00 |
| 381/1/1 बैड़ी | 1 | 105.13 | 381/1/1 बैड़ी | 1 | 112.19 |
| 381/1/1 बैड़ी | 1 | 46.40 | 381/1/1 बैड़ी | 1 | 77.64 |
| 381/1/1 बैड़ी | 1 | 46.00 | 10/1 बैड़ी | 1 | 49.87 |
| 381/1/1 बैड़ी | 1 | 63.75 | 10/1 बैड़ी | 1 | 37.92 |
| 381/1/1 बैड़ी | 1 | 95.82 | 10/1 बैड़ी | 1 | 69.54 |
| 381/1/1 बैड़ी | 1 | 60.36 | 10/1 बैड़ी | 1 | 107.42 |
| 381/1/1 बैड़ी | 1 | 39.44 | 10/1 बैड़ी | 1 | 50.29 |
| 381/1/1 बैड़ी | 1 | 73.12 | 10/1 बैड़ी | 1 | 42.67 |
| 381/1/1 बैड़ी | 1 | 73.82 | 10/1 बैड़ी | 1 | 30.03 |
| 381/1/1 बैड़ी | 1 | 47.30 | 10/1 बैड़ी | 1 | 50.16 |
| 381/1/1 बैड़ी | 1 | 43.14 | 10/1 बैड़ी | 1 | 47.85 |
| 381/1/1 बैड़ी | 1 | 123.32 | 10/1 बैड़ी | 1 | 55.92 |
| 381/1/1 बैड़ी | 1 | 46.56 | 372/1 बैड़ी | 1 | 70.85 |
| 381/1/1 बैड़ी | 1 | 64.60 | 372/1 बैड़ी | 1 | 29.68 |
| 381/1/1 बैड़ी | 1 | 125.34 | 372/1 बैड़ी | 1 | 37.20 |
| 381/1/1 बैड़ी | 1 | 27.45 | 372/1 बैड़ी | 1 | 20.40 |
| 381/1/1 बैड़ी | 1 | 120.52 | 17/1/1 पहाड़ | 1 | 25.44 |
| 381/1/1 बैड़ी | 1 | 136.34 | 17/1/1 पहाड़ | 1 | 54.65 |
| | | | 17/1/1 पहाड़ | 1 | 168.90 |
| | | | 17/1/1 पहाड़ | 1 | 30.00 |
| | | | 17/1/1 पहाड़ | 1 | 60.42 |
| | | | 2/1 चरागाह | 1 | 78.88 |

| (1) | (2) | (3) |
|------------|-----|---------|
| 2/1 चरागाह | 1 | 59.43 |
| 31/3 बैड़ी | 1 | 106.49 |
| 31/3 बैड़ी | 1 | 64.30 |
| 2/1 चरागाह | 1 | 8.12 |
| 31/1 बैड़ी | 1 | 55.80 |
| 31/1 बैड़ी | 1 | 33.64 |
| 31/3 बैड़ी | 1 | 42.93 |
| 3/3 बैड़ी | 1 | 50.11 |
| 3/3 बैड़ी | 1 | 78.52 |
| 3/3 बैड़ी | 1 | 62.05 |
| 3/3 बैड़ी | 1 | 24.75 |
| 3/3 बैड़ी | 1 | 48.80 |
| 17/1 पहाड़ | 1 | 56.55 |
| 17/1 पहाड़ | 1 | 102.00 |
| 17/1 पहाड़ | 1 | 62.11 |
| 17/1 पहाड़ | 1 | 104.59 |
| 17/1 पहाड़ | 1 | 170.78 |
| 17/1 पहाड़ | 1 | 32.94 |
| योग | 102 | 6623.01 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—शहीद भीमा नायक सागर (लोअरगोई) परियोजना बड़वानी, बांध निर्माण से प्रभावित होने के कारण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय बड़वानी, भू-अर्जन अधिकारी शहीद भीमा नायक सागर (लोअरगोई) परियोजना बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-12 राजपुर, जिला-बड़वानी के कार्यालय में कार्यालय समय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संतोष मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कटनी दिनांक 23 मई 2011

क्र. 12-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई, अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—कटनी
(ख) तहसील—रीठी

(ग) ग्राम—बडगांव

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.80 हेक्टर.

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टर में) |
|------------|-------------------|
|------------|-------------------|

| (1) | (2) |
|-----|-----|
|-----|-----|

| | |
|------|------|
| 3325 | 0.15 |
|------|------|

| | |
|------|------|
| 3336 | 0.13 |
|------|------|

| | |
|------|------|
| 4125 | 0.35 |
|------|------|

| | |
|----------|------|
| 4072/22क | 0.13 |
|----------|------|

| | |
|----------|------|
| 4072/15क | 0.04 |
|----------|------|

कुल अर्जित रकबा : 0.80

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बडगांव सलैया मार्ग में बोरीना नाला पर पुल निर्माण हेतु अंतर्गत.

(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी कटनी कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 25 मई 2011

क्र.-1661-भू-अर्जन-2011-रा. प्र. क्र.-19-अ-82-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—पेटलावद
(ग) ग्राम—मोर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.52 हेक्टर.

निजी भूमि

| सर्वे नम्बर | रकबा (हेक्टर में) |
|-------------|-------------------|
|-------------|-------------------|

| (1) | (2) |
|-----|-----|
|-----|-----|

| | |
|-------|------|
| 852/2 | 0.14 |
|-------|------|

| | |
|-----|------|
| 857 | 0.06 |
|-----|------|

| (1) | (2) | (ग) ग्राम—खाखरापाड़ा | |
|--|-------------|---------------------------------|--------------|
| 858 | 0.06 | (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.41 हेक्टर. | |
| 902 | 0.20 | | निजी भूमि |
| 903 | 0.02 | सर्वे | रकबा |
| 904 | 0.08 | नम्बर | (हेक्टर में) |
| 906 | 0.05 | (1) | (2) |
| 907 | 0.26 | 124/1 | 0.01 |
| 910/1 | 0.01 | 126 | 0.08 |
| 910/2 | 0.02 | 127 | 0.05 |
| 908 | 0.20 | 128 | 0.01 |
| 909 | 0.11 | 129/1 | 0.02 |
| 1320 | 0.03 | 129/2 | 0.04 |
| 1322/1 | 0.03 | 131 | 0.14 |
| 1322/2 | 0.03 | 132 | 0.04 |
| 1322/3 | 0.03 | 133 | 0.03 |
| 1322/4 | 0.03 | 134 | 0.03 |
| 1322/5 | 0.03 | 135 | 0.04 |
| 1323 | 0.11 | 136 | 0.04 |
| 1362 | 0.01 | 137 | 0.03 |
| 1363 | 0.16 | 138 | 0.03 |
| 1364/2 | 0.14 | 171 | 0.01 |
| 1378 | 0.42 | 173 | 0.06 |
| 1370 | 0.19 | 166 | 0.14 |
| 1383 | 0.11 | 164 | 0.07 |
| 910/3 | 0.01 | 165 | 0.05 |
| योग . . . | <u>2.52</u> | 158 | 0.05 |
| झाबुआ, दिनांक 1 जून 2011 | | 159 | 0.02 |
| | | 233/444 | 0.05 |
| क्र.-1754-भू-अर्जन-2011-रा. प्र. क्र. -18-अ-82- | | 205 | 0.01 |
| 2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया | | 403 | 0.01 |
| है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की | | 410 | 0.30 |
| अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये | | 399/11 | 0.01 |
| आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक | | 399/2 | 0.01 |
| सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित | | 399/3 | 0.01 |
| किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये | | 399/4 | 0.01 |
| आवश्यकता है:— | | 399/5 | 0.01 |
| | | योग . . . | <u>1.41</u> |

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—झाबुआ

(ख) तहसील—पेटलावद

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शोभित जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
खण्डवा, दिनांक 25 मई 2011

नस्ती-क्र.-170-2010-एल.ए.-भू-अ. प्र. क्र. 38-अ-82-09-10-शुद्धिपत्र.—इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत बेनीपुरा एवं केलवा की अतिरिक्त सबमाईनर के निर्माण हेतु ग्राम अटूटखुर्द (बेनीपुरा), तहसील पुनासा, जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 38-अ-82-09-10 में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 की उद्घोषणा का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 16 जुलाई 2010 को राज एक्सप्रेस में दिनांक 19 जुलाई 2010 एवं आम इशतहार दिनांक 8 जुलाई 2010 को हुआ है। उक्त उद्घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे:—

| प्रकाशन जिसमें हुआ | पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि | | सही संशोधित प्रविष्टि | |
|--|--------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | खसरा नम्बर | रकबा (हे. में) | खसरा नम्बर | रकबा (हे. में) |
| (1) | (2) | (3) | | |
| मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 16-07-2010 | 188/2 | 0.18 | 178/2 | 0.18 |
| चौथा संसार में दिनांक 19-07-2010 | 188/2 | 0.18 | 178/2 | 0.18 |
| आम इशतहार में दिनांक 08-07-2010 | 188/2 | 0.18 | 178/2 | 0.18 |

उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 0.41 हे. यथावत रहेगा.

नस्ती-क्रमांक-171-2010-एल.ए.-भू-अ. प्र. क्र. 39-अ-82-09-10-शुद्धिपत्र.—इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत केलवा वितरण शाखा की अतिरिक्त सबमाईनर के निर्माण हेतु ग्राम फिफराड़ तहसील पुनासा, जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 39-अ-82-09-10 में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 की उद्घोषणा का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 16 जुलाई 2010 को नवभारत में दिनांक 19 जुलाई 2010 चौथा संसार में दिनांक 19 जुलाई 2010 एवं आम इशतहार दिनांक 8 जुलाई 2010 को हुआ है। उक्त उद्घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे:—

| प्रकाशन जिसमें हुआ | पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि | | सही संशोधित प्रविष्टि | |
|--|--------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | खसरा नम्बर | रकबा (हे. में) | खसरा नम्बर | रकबा (हे. में) |
| (1) | (2) | (3) | | |
| मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 16-07-2010 | 222 | 0.17 | 211 | 0.17 |
| नवभारत में दिनांक 19-07-2010 | 222 | 0.17 | 211 | 0.17 |
| चौथा संसार में दिनांक 19-07-2010 | 222 | 0.17 | 211 | 0.17 |

उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 2.24 हे. यथावत रहेगा.

नस्ती-क्रमांक-161-2010-एल.ए.-भू-अ. प्र. क्र. 40-अ-82-09-10-शुद्धिपत्र.—इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत केलवा वितरण शाखा की अतिरिक्त सबमाईनर के निर्माण हेतु ग्राम बिहारीपुरा खुर्द, तहसील पुनासा, जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 40-अ-82-09-10 में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 की उद्घोषणा का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 16 जुलाई 2010 को चौथा संसार में दिनांक 19 जुलाई 2010 एवं आम इशतहार दिनांक 8 जुलाई 2010 को हुआ है। उक्त उद्घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे:—

| प्रकाशन जिसमें हुआ | पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि | | सही संशोधित प्रविष्टि | |
|--|--------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | खसरा नम्बर | रकबा (हे. में) | खसरा नम्बर | रकबा (हे. में) |
| (1) | (2) | (3) | | |
| मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 16-07-2010 | — | — | 47/3 | 0.07 |
| चौथा संसार में दिनांक 19-07-2010 | — | — | 47/3 | 0.07 |
| आम इशतहार में दिनांक 8-7-2010 | — | — | 47/3 | 0.07 |

उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 2.23 हे. यथावत रहेगा.

नस्ती क्र.-219-2010 एल.ए.-भू-अर्जन-प्र. क्र.-51-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा

(ख) तहसील—पुनासा

(ग) ग्राम—मोहना

(घ) अर्जित रकबा—3.69 हेक्टेयर.

| खसरा क्रमांक | अर्जित रकबा (हेक्टर में) |
|-----------------|--------------------------------|
| (1) | (2) |
| 4 | 0.12 |
| 5/1 | 0.05 |
| 9/1 | 0.07 |
| 9/2 | 0.07 |
| 9/3 | 0.07 |
| 11/1 | 0.36 |
| 11/2 | 0.06 |
| 11/3 | 0.16 |
| 43 | 0.07 |
| 46 | 0.01 |
| 51 | 0.04 |
| 52 | 0.07 |
| 55/1 | 0.02 |
| 55/2 | 0.07 |
| 56 | 0.10 |
| 57/1 | 0.19 |
| 57/2 | 0.07 |
| 162 | 0.01 |
| 163 | 0.10 |
| 164 | 0.03 |

| (1) | (2) |
|--------------------|------|
| 171/1 | 0.18 |
| 171/2 | 0.06 |
| 172 | 0.09 |
| 173/1 | 0.07 |
| 173/2 | 0.07 |
| 181/1 | 0.06 |
| 185/1 | 0.12 |
| 186 | 0.10 |
| 189/1 | 0.18 |
| 192/1 | 0.07 |
| 196/2 | 0.13 |
| 197/2 | 0.07 |
| 197/3 | 0.10 |
| 293/1 | 0.04 |
| 297/1 | 0.06 |
| 297/2 | 0.06 |
| 297/3 | 0.04 |
| 298 | 0.14 |
| 304/3 | 0.01 |
| 304/6 | 0.08 |
| 306/3 | 0.12 |
| 00 | 00 |
| 00 | 00 |
| कुल योग . . . 3.69 | |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत केलवां वितरण शाखा की प्रस्तावित सबमाईनर के विस्तार हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्र, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 28, पुनासा के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्रमांक-212-2010 एल.ए.-भू-अर्जन-प्र. क्र.-52-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक

सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

| खसरा क्रमांक | अर्जित रकबा (हेक्टर में) |
|--------------------------------|--------------------------|
| (क) जिला—खण्डवा | |
| (ख) तहसील—पुनासा | |
| (ग) ग्राम—नवलगांव रै. | |
| (घ) अर्जित रकबा—0.82 हेक्टेयर. | |
| (1) | (2) |
| 68 | 0.22 |
| 70 | 0.06 |
| 71 | 0.14 |
| 72/1 | 0.12 |
| 72/2 | 0.05 |
| 75 | 0.02 |
| 276/2 | 0.21 |
| योग . . . 0.82 | |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत गोरडिया वितरण शाखा की अतिरिक्त सबमाईनर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 28, पुनासा के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र.-211-2010 एल.ए.-भू-अर्जन-प्र. क्र.-53-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—पुनासा

- (ग) ग्राम—नांदखेड़ा माफी
(घ) अर्जित रकबा—0.92 हेक्टेयर.

| खसरा क्रमांक | अर्जित रकबा (हेक्टर में) |
|--------------------|--------------------------|
| (1) | (2) |
| 282/1 | 0.03 |
| 283/1 | 0.07 |
| 283/2 | 0.07 |
| 285 | 0.17 |
| 299/1 | 0.06 |
| 299/2 | 0.07 |
| 300 | 0.15 |
| 301 | 0.11 |
| 302 | 0.06 |
| 303/1 | 0.06 |
| 303/2 | 0.07 |
| कुल योग . . . 0.92 | |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत बीजापुर वितरण शाखा की अतिरिक्त सबमाईनर हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 28, पुनासा के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र.-210-2010 एल.ए.-भू-अर्जन-प्र. क्र.-54-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—पुनासा

(ग) ग्राम—कालियाखेड़ी

(घ) अर्जित रकबा—1.12 हेक्टेयर.

| खसरा क्रमांक | अर्जित रकबा (हेक्टर में) |
|-----------------|--------------------------------|
| (1) | (2) |
| 13 | 0.23 |
| 14/1 | 0.12 |
| 14/2 | 0.13 |
| 41 | 0.12 |
| 42 | 0.10 |
| 22 | 0.05 |
| 23 | 0.08 |
| 24/2 | 0.16 |
| 38 | 0.04 |
| 40 | 0.09 |
| योग . . . 1.12 | |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत बीजापुर वितरण शाखा की अतिरिक्त सबमाईनर हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 28, पुनासा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 30 मई 2011

पत्र क्र. 890-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित

किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—त्योंथर
(ग) नगर/ग्राम—त्योथर खास
(घ) क्षेत्रफल लगभग —0.563 हेक्टेयर.

| खसरा नंबर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|-------------|---------------------|
| (1) | (2) |
| 11/1 में से | 0.204 |
| 19/2 में से | 0.359 |
| योग : 0.563 | |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के स्विचयार्ड” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
धार, दिनांक 30 मई 2011

क्र. 5894-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—सरदारपुर

(ग) ग्राम—लेडगांव

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.843 हेक्टर.

| | |
|---------------|---|
| सर्वे क्रमांक | अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में) |
| (1) | (2) |
| 299 | 0.843 |
| | योग : <u>0.843</u> |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—दोलतपुरा तालाब योजना में डूब से प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरदारपुर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैठन, दिनांक 1 जून 2011

क्र. 833-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

| | | |
|----------------------------------|-------|--------------|
| (क) जिला—सिंगरौली | खसरा | रकबा |
| (ख) तहसील—सिंगरौली | नम्बर | (हेक्टर में) |
| (ग) पटवारी हल्का नं.—चाचर नं. 48 | (1) | (2) |
| (घ) ग्राम का नाम—परसदेही | 546 | जुज 0.08 |
| (ङ) लगभग क्षेत्रफल—4.91 हेक्टर. | 548 | जुज 0.81 |
| | 609/1 | जुज 0.35 |

(1) (2)

| | |
|-------|----------|
| 609/2 | जुज 0.01 |
| 609/3 | जुज 0.19 |
| 609/4 | जुज 0.19 |
| 610/1 | जुज 0.09 |
| 610/2 | जुज 0.57 |
| 610/3 | जुज 0.57 |
| 611 | जुज 1.85 |
| 734/2 | जुज 0.20 |

योग . . 4.91

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पावरग्रिड के 765/400 के. वी. उपकेन्द्र की स्थापना हेतु भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियों के अर्जन बाबत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सिंगरौली (बैठन), जिला सिंगरौली के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 835-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

| |
|----------------------------------|
| (क) जिला—सिंगरौली |
| (ख) तहसील—सिंगरौली |
| (ग) प.ह.नं.—खम्हरिया नं. 49 |
| (घ) ग्राम का नाम—खम्हरिया |
| (ङ) लगभग क्षेत्रफल—20.59 हेक्टर. |

| | |
|-------|--------------|
| खसरा | रकबा |
| नम्बर | (हेक्टर में) |
| (1) | (2) |
| 381 | जुज 1.20 |
| 391 | जुज 0.10 |
| 392/1 | जुज 0.24 |
| 392/2 | जुज 0.09 |
| 392/3 | जुज 0.08 |
| 392/4 | जुज 0.09 |
| 393 | जुज 0.74 |
| 395 | जुज 0.42 |

| (1) | (2) | (घ) ग्राम का नाम—अमिलिया | (ङ) लगभग क्षेत्रफल—21.32 हेक्टर. |
|--|----------|--------------------------|----------------------------------|
| 396 | जुज 0.55 | खसरा | रकबा |
| 399 | जुज 0.12 | नम्बर | (हेक्टर में) |
| 400 | जुज 1.90 | (1) | (2) |
| 401/1 | जुज 2.22 | 136/1क | जुज 0.02 |
| 401/2 | जुज 0.15 | 137/1 | जुज 0.24 |
| 402 | जुज 1.35 | 137/2 | जुज 0.11 |
| 403 | जुज 1.22 | 137/3 | जुज 0.01 |
| 404 | जुज 1.70 | 138 | जुज 0.01 |
| 405 | जुज 0.25 | 141/1 | जुज 0.03 |
| 406 | जुज 0.57 | 141/4 | जुज 0.02 |
| 407/1 | जुज 1.19 | 141/2 | जुज 0.01 |
| 407/2 | जुज 0.08 | 141/3 | जुज 0.01 |
| 409 | जुज 1.76 | 142 | जुज 0.01 |
| 412/2 | जुज 0.40 | 303 | जुज 0.01 |
| 444/1 | जुज 1.00 | 307 | 0.08 |
| 444/2 | जुज 1.05 | 308 | जुज 0.02 |
| 444/4 | जुज 1.00 | 309 | 0.11 |
| 444/5 | जुज 0.80 | 310/1 | 0.13 |
| 446 | जुज 0.04 | 310/2 | 0.14 |
| 448 | जुज 0.16 | 310/3 | 0.13 |
| 450 | जुज 0.02 | 310/4 | 0.02 |
| 451 | जुज 0.10 | 311/1 | 0.21 |
| योग . . . 20.59 | | 311/2 | 0.09 |
| (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पावरग्रिड के 765/400 के. वी. उपकेन्द्र की स्थापना हेतु भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियों के अर्जन बाबत. | | 311/3 | 0.22 |
| (3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सिंगरौली (बैठन), जिला सिंगरौली के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है. | | 311/4 | 0.14 |
| सिंगरौली, दिनांक 2 जून 2011 | | 312/1 | 0.02 |
| प्र. क्र. 11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:— | | 312/2 | 0.01 |
| अनुसूची | | 313/1/1 | 0.03 |
| (1) भूमि का वर्णन— | | 313/1/2 | 0.02 |
| (क) जिला—सिंगरौली | | 313/2 | 0.05 |
| (ख) तहसील—सिंगरौली | | 314/1/1 | 0.01 |
| (ग) प. ह. नं.—अमिलिया नं. 4 | | 314/1/2 | 0.02 |
| | | 314/2 | 0.03 |
| | | 315/1/1 | 0.03 |
| | | 315/1/2 | 0.03 |
| | | 315/1/3 | 0.03 |
| | | 315/2 | 0.09 |
| | | 316/1 | 0.03 |
| | | 316/2 | 0.03 |
| | | 317/1/1 | 0.02 |
| | | 317/1/2 | 0.02 |
| | | 317/2 | 0.04 |
| | | 318/1 | 0.06 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|---------|----------|---------|------|
| 318/2 | 0.07 | 363/1 | 0.12 |
| 320/1/1 | जुज 0.01 | 363/2/1 | 0.05 |
| 320/1/2 | जुज 0.01 | 363/2/2 | 0.05 |
| 320/1/3 | जुज 0.03 | 363/2/3 | 0.05 |
| 320/2 | जुज 0.06 | 363/3 | 0.13 |
| 321/1 | 0.04 | 364/1 | 0.14 |
| 321/2 | 0.03 | 364/2 | 0.14 |
| 322/1 | 0.03 | 364/3 | 0.09 |
| 322/2 | 0.04 | 364/4 | 0.11 |
| 323/1/1 | 0.11 | 364/5 | 0.06 |
| 323/1/2 | 0.01 | 364/6 | 0.06 |
| 323/2 | जुज 0.01 | 365/1 | 0.08 |
| 324/2 | 0.09 | 365/2/1 | 0.04 |
| 342/1 | 0.03 | 365/2/2 | 0.04 |
| 342/2 | जुज 0.02 | 365/3 | 0.07 |
| 343 | जुज 0.05 | 366/1 | 0.05 |
| 344 | जुज 0.05 | 366/2 | 0.06 |
| 345 | 0.1 | 366/3 | 0.05 |
| 346/2 | जुज 0.25 | 366/4 | 0.05 |
| 347 | जुज 0.25 | 367 | 0.42 |
| 348/1 | 0.26 | 368 | 0.04 |
| 348/2 | 0.3 | 369/1 | 0.01 |
| 348/3 | 0.3 | 369/2 | 0.01 |
| 349 | 0.65 | 369/3 | 0.01 |
| 352/1 | 0.03 | 370 | 0.03 |
| 352/3 | 0.03 | 371 | 0.29 |
| 352/4 | 0.04 | 372 | 0.02 |
| 352/5 | 0.1 | 373/1 | 0.02 |
| 352/1ख | 0.2 | 373/2 | 0.03 |
| 352/2 | 0.1 | 373/3 | 0.04 |
| 354 | जुज 0.58 | 374/1 | 0.03 |
| 356 | 0.34 | 374/1/3 | 0.04 |
| 357/1/1 | 0.02 | 374/1/2 | 0.03 |
| 357/1/2 | 0.03 | 374/1/4 | 0.04 |
| 357/2 | 0.04 | 374/2/1 | 0.05 |
| 358/1 | 0.03 | 374/2/2 | 0.04 |
| 358/2 | 0.01 | 374/2/3 | 0.05 |
| 359/1 | 0.04 | 374/3 | 0.29 |
| 359/2 | 0.03 | 376/1 | 0.08 |
| 360 | 0.04 | 376/2 | 0.09 |
| 361 | 0.1 | 376/3 | 0.08 |
| 362 | 0.08 | 376/4 | 0.08 |
| | | 377/1क | 0.02 |
| | | 377/3 | 0.1 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|---------|----------|---------|----------|
| 377/1घ | 0.08 | 511 | जुज 0.01 |
| 377/1ख | 0.1 | 512/1 | 0.1 |
| 377/1ग | 0.2 | 512/2 | 0.04 |
| 377/2 | 0.25 | 512/2/3 | 0.03 |
| 378/1 | 0.3 | 512/2/2 | 0.03 |
| 378/2 | 0.3 | 512/3 | 0.1 |
| 378/3 | 0.2 | 513 | 0.3 |
| 378/4 | 0.1 | 514 | जुज 0.02 |
| 380 | 0.14 | 515 | 0.06 |
| 381/1 | 0.02 | 516/1 | 0.07 |
| 381/2 | 0.06 | 516/2 | 0.08 |
| 382/1 | 0.04 | 516/3 | 0.07 |
| 382/2 | 0.04 | 516/4 | 0.08 |
| 383 | 0.06 | 516/5 | 0.07 |
| 384 | 0.16 | 517 | 0.38 |
| 385 | 0.11 | 518 | 1.16 |
| 386 | 0.04 | 519/1 | 0.08 |
| 387/1 | 0.07 | 519/2 | 0.08 |
| 387/2 | 0.06 | 520 | 0.13 |
| 388 | जुज 0.17 | 521 | 0.58 |
| 400 | जुज 0.02 | 522/1 | 0.31 |
| 401 | जुज 0.02 | 522/2 | 0.1 |
| 402 | 0.05 | 522/4 | 0.1 |
| 403/1 | जुज 0.06 | 522/5 | 0.1 |
| 403/2 | जुज 0.04 | 522/3 | 0.31 |
| 498 | जुज 0.08 | 523/1 | 0.02 |
| 499/1 | जुज 0.01 | 523/2 | 0.03 |
| 500/4 | जुज 0.09 | 524/1 | 0.07 |
| 501/1 | जुज 0.04 | 524/2 | 0.55 |
| 502/1ख | जुज 0.02 | 528/1 | जुज 0.03 |
| 503/1 | 0.23 | 528/2 | जुज 0.02 |
| 503/2 | 0.07 | 529 | जुज 0.1 |
| 504 | 0.07 | 530 | जुज 0.15 |
| 505/1 | 0.05 | 531 | जुज 0.05 |
| 505/2 | 0.1 | 532/1क | जुज 0.04 |
| 505/3 | 0.1 | 532/1ख | जुज 0.02 |
| 505/4 | 0.05 | 532/2 | जुज 0.02 |
| 506/1 | जुज 0.02 | 574 | जुज 0.08 |
| 507/1/1 | जुज 0.02 | 576 | जुज 0.02 |
| 507/1/2 | जुज 0.01 | 589 | जुज 0.03 |
| 507/2 | जुज 0.04 | 590 | जुज 0.14 |
| 507/3 | जुज 0.04 | 591/1 | 0.1 |
| 509/1 | जुज 0.02 | 591/2 | 0.11 |
| 509/2 | जुज 0.01 | 592/1 | जुज 0.01 |

| | |
|------------------|----------|
| (1) | (2) |
| 592/2 | जुज 0.01 |
| 609/1 | जुज 0.02 |
| 610/1 | जुज 0.03 |
| 610/5 | जुज 0.03 |
| 610/2 | 0.01 |
| 610/3 | जुज 0.03 |
| 610/4 | जुज 0.03 |
| 611 | 0.08 |
| 612 | जुज 0.04 |
| 613 | जुज 0.04 |
| 614/1 | जुज 0.03 |
| 617 | जुज 0.03 |
| 1015 | जुज 0.08 |
| 1016/1 | जुज 0.13 |
| 1042 | जुज 0.04 |
| 1043 | 0.02 |
| 1044 | जुज 0.05 |
| 1051 | जुज 0.03 |
| 1054/1 | जुज 0.04 |
| 1056 | जुज 0.03 |
| 1058/1 | जुज 0.01 |
| 1058/2 | जुज 0.02 |
| 1058/3 | जुज 0.02 |
| 1058/5 | जुज 0.02 |
| 1059 | जुज 0.17 |
| कुल रकवा योग . . | 21.32 |

(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सांदलपुर तालाब (द्वितीय पूरक प्रकरण) योजना के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मंदसौर
(ख) तहसील—भानपुरा
(ग) ग्राम—सांदलपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल— 22.846 हेक्टेयर.

| सर्वे नं. | रकबा (हे. में) | अर्जित संपत्तियों का विवरण |
|-----------|-------------------|----------------------------------|
|-----------|-------------------|----------------------------------|

| (1) | (2) | (3) |
|-----|-----|-----|
|-----|-----|-----|

| | | |
|-----|-------|--|
| 430 | 0.138 | |
|-----|-------|--|

| | | |
|-----|-------|--|
| 442 | 0.400 | |
|-----|-------|--|

| | | |
|-----|-------|--|
| 444 | 0.400 | |
|-----|-------|--|

| | | |
|-----|-------|--|
| 445 | 2.429 | |
|-----|-------|--|

| | | |
|-------|-------|--|
| 450/1 | 0.105 | |
|-------|-------|--|

| | | |
|-------|-------|--|
| 450/3 | 0.105 | |
|-------|-------|--|

| | | |
|-------|-------|--|
| 451/2 | 0.132 | |
|-------|-------|--|

| | | |
|-------|-------|--|
| 451/3 | 0.160 | |
|-------|-------|--|

| | | |
|-----------|-------|--|
| 451/1 पै. | 0.040 | |
|-----------|-------|--|

| | | |
|-----------|-------|--|
| 451/1 पै. | 0.050 | |
|-----------|-------|--|

| | | |
|-------|-------|--|
| 465/1 | 0.745 | |
|-------|-------|--|

| | | |
|-------|-------|--|
| 465/2 | 1.990 | |
|-------|-------|--|

| | | |
|-----|-------|--|
| 468 | 0.271 | |
|-----|-------|--|

| | | |
|-----|-------|--|
| 469 | 4.403 | |
|-----|-------|--|

| | | |
|-----|-------|--|
| 473 | 0.360 | |
|-----|-------|--|

| | | |
|-------|-------|--|
| 474/1 | 0.686 | |
|-------|-------|--|

| | | |
|-------|-------|--|
| 474/2 | 0.686 | |
|-------|-------|--|

| | | |
|-----|-------|--|
| 475 | 0.164 | |
|-----|-------|--|

| | | |
|-------|-------|--|
| 477/2 | 0.202 | |
|-------|-------|--|

| | | |
|-------|-------|--|
| 478/2 | 0.917 | |
|-------|-------|--|

| | | |
|-------|-------|-------------|
| 480/2 | 1.394 | कुआ पक्का 1 |
|-------|-------|-------------|

| | | |
|-----|-------|--|
| 481 | 0.300 | |
|-----|-------|--|

| | | |
|-----|-------|----------------|
| 489 | 1.235 | संतरा पौधे 185 |
|-----|-------|----------------|

| | | |
|-----|-------|--|
| 490 | 0.664 | |
|-----|-------|--|

| | | |
|-----|-------|--|
| 491 | 0.732 | |
|-----|-------|--|

| | | |
|-------|-------|-----------|
| 505/4 | 0.117 | आम पोधा 1 |
|-------|-------|-----------|

| | | |
|-------|-------|--|
| 509/2 | 0.236 | |
|-------|-------|--|

| | | |
|-------|-------|--|
| 477/1 | 2.255 | |
|-------|-------|--|

| | | |
|-----|-------|--|
| 508 | 0.300 | |
|-----|-------|--|

| | | |
|-------|-------|--|
| 509/1 | 0.350 | |
|-------|-------|--|

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है:—छत्रसाल कोल ब्लाक तक सड़क (पहुंच मार्ग) एवं बुनियादी संरचना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, बैद्वन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

गरोठ, दिनांक 2 जून 2011

प्र. क्र. 05-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894

| | | |
|-------|-------|---------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 511/1 | 0.510 | |
| 511/2 | 0.370 | |
| योग : | | <u>22.846</u> |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—सांदलपुरा तालाब (द्वितीय पूरक प्रकरण) निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, गरोठ जिला मंदसौर के यहां किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेन्द्र ज्ञानी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सागर, दिनांक 3 जून 2011

प्र. क्र.-07 अ-82-वर्ष-2010-11-4419.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर
(ख) तहसील—गढाकोटा
(ग) ग्राम—परसिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.36 हेक्टेयर.

| खसरा नं. | रकबा (हेक्टेयर में) |
|-----------------------|------------------------|
| (1) | (2) |
| 264 | 0.05 |
| 267/1 | 0.13 |
| 193/1 | 0.03 |
| 147 | 0.15 |
| योग . . . <u>0.36</u> | |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन—बी.ओ.टी. योजनांतर्गत सागर-दमोह मार्ग (राज्य मार्ग क्र. 14) ग्राम परसिया के उन्नयन एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी महोदय रहली के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र.-07 अ-82-वर्ष-2010-11-4421.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर
(ख) तहसील—गढाकोटा
(ग) ग्राम—कैंकरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.18 हेक्टेयर.

| खसरा नं. | रकबा (हेक्टेयर में) |
|-----------------------|------------------------|
| (1) | (2) |
| 66 में से | 0.01 |
| 69 में से | 0.07 |
| 70 में से | 0.02 |
| 33 में से | 0.04 |
| 35 में से | 0.04 |
| योग . . . <u>0.18</u> | |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन—बी.ओ.टी. योजनांतर्गत सागर-दमोह मार्ग (राज्य मार्ग क्र. 14) ग्राम कैंकरा के उन्नयन एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी महोदय रहली के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र.-08 अ-82-वर्ष-2010-11-4418.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर
(ख) तहसील—गढाकोटा

(ग) ग्राम—रोन

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.18 हेक्टेयर.

| खसरा नं. | रकबा (हेक्टेयर में) |
|----------|------------------------|
| (1) | (2) |
| 265/2 | 0.04 |
| 265/4 | 0.07 |
| 420 | 0.01 |
| 422 | 0.01 |
| 423 | 0.02 |
| 424/1 | 0.02 |
| 453/2 | 0.01 |
| योग . . | <u>0.18</u> |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—बी.ओ.टी. योजनांतर्गत सागर-दमोह मार्ग (राज्य मार्ग क्र. 14) ग्राम रोन के उन्नयन एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी महोदय रहली के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र.-16 अ-82-वर्ष-2010-11-4420.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर
(ख) तहसील—गढाकोटा
(ग) ग्राम—गढाकोटा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.212 हेक्टेयर.

| खसरा नं. | रकबा (हेक्टेयर में) |
|----------|------------------------|
| (1) | (2) |
| 388 | 0.16 |
| 110/1 | 0.15 |
| 113/1 | 0.50 |
| 180/1 | 0.17 |
| 180/2 | 0.004 |
| 180/3 | 0.008 |
| 179/1 | 0.04 |
| 94/1 | 0.18 |
| योग . . | <u>1.212</u> |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—बी.ओ.टी. योजनांतर्गत सागर-दमोह मार्ग (राज्य मार्ग क्र. 14) ग्राम गढाकोटा के उन्नयन एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी महोदय रहली के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इंदौर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
इंदौर, दिनांक 12 मई 2011

क्र.-1601 भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—इंदौर
(ख) तहसील—सांवेर
(ग) नगर/ग्राम—सांवेर
(घ) कुल क्षेत्रफल—0.377 हेक्टेयर.

| खसरा नं. | रकबा (हेक्टेयर में) |
|--------------|------------------------|
| (1) | (2) |
| 84/1/1 पार्ट | 0.170 |
| 84/1/3 पार्ट | 0.107 |
| 216/3 पार्ट | 0.100 |
| योग . . | <u>0.377</u> |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:—ज्यामितीय सुधार हेतु एवं सांवेर जक्शन निर्माण बाबत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष, इंदौर एवं अनुविभागीय अधिकारी सांवेर, तहसील सांवेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राघवेन्द्रसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.